

नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

7वीं वार्षिक रिपोर्ट 2022-23



विज़न और मिशन

विज़न:

जीवन की बेहतर गुणवत्ता और देश के विकास के लिए तकनीकी उत्कृष्टता के साथ सुरक्षित, विश्वसनीय और दीर्घकालिक हाई स्पीड रेल सेवाएं प्रमुहैया करना।

उद्देश्य:

1. ग्राहकों के लिए एक दक्ष, सुरक्षित, संधारणीय और विश्वसनीय परिवहन का विकल्प उपलब्ध करना।
2. अत्याधुनिक हाई स्पीड रेल यातायात अवसंरचना के निर्माण, परिचालन और अनुरक्षण के द्वारा संपूर्ण राष्ट्र के लोगों को एक-दूसरे से जोड़ना।
3. हाईस्पीड रेल तकनीकी के समावेशीकरण, स्वदेशीकरण और नवोन्मेष को बढ़ावा देना।

7वीं वार्षिक रिपोर्ट

2022-23

विषयवस्तु	पृष्ठ सं.
निदेशक मंडल	1 – 2
अध्यक्ष का संबोधन	3 – 4
रिपोर्ट:	
निदेशकों की रिपोर्ट	5 – 39
2022-23 के लिए सीएसआर गतिविधियों पर रिपोर्ट	40 – 47
सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट	48 – 50
लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों पर की गयी टिप्पणियों का प्रबंधन की ओर से उत्तर	51
वित्तीय विवरण:	
लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	52 – 62
तुलन पत्र	63 – 64
लाभ एवं हानि का विवरण	65 – 66
नकदी प्रवाह का विवरण	67 – 68
इक्विटी में परिवर्तन का विवरण	69 – 70
वित्तीय विवरण पर नोट्स - नोट 1 से 43 तक	71 – 127
सी एंड एजी की टिप्पणियाँ और उस पर प्रबंधन का उत्तर	128 – 136

निदेशक मंडल

निदेशक मंडल

(29.09.2023 को)



जया वर्मा सिन्हा
अंशकालिक अध्यक्ष



राजेन्द्र प्रसाद
प्रबंध निदेशक



अंजुम परवेज़
निदेशक (परियोजनाएं)



विवेक प्रकाश त्रिपाठी
निदेशक (वित्त)



आलोक कटियार
निदेशक (विद्युत एवं प्रणाली)



संदीप श्रीवास्तव
निदेशक (चल स्टॉक)



मुकुल सरन माथुर
अंशकालिक निदेशक



पराग जैन नैनुतिया
अंशकालिक निदेशक



अन्विता सिन्हा
अंशकालिक निदेशक



हरेशकुमार चंदूलाल मोदी
अंशकालिक निदेशक

कंपनी सचिव

सुमीता शर्मा

पंजीकृत कार्यालय

दूसरी मंजिल, एशिया भवन, रोड नंबर 205,
सेक्टर - 9, द्वारका, नई दिल्ली - 110077
दूरभाष: 91-11-2807000/ 01; फ़ैक्स: 91-11-28070250
ई-मेल: psmd@nhsrcl.in;
वेबसाइट: www.nhsrcl.in
सीआईएन: U60200DL2016GOI291002

वैधानिक लेखा परीक्षक

मेसर्स एकेजीवीजी एंड एसोसिएट्स,
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

सचिवीय लेखा परीक्षक

मेसर्स अखिल रोहतगी एंड कंपनी,
कंपनी सचिव

आंतरिक लेखा परीक्षक

मेसर्स अशोक श्याम एंड एसोसिएट्स,
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

अध्यक्ष का संबोधन

अध्यक्ष का संबोधन



प्रिय मित्रों,

मैं वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की इस 7वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में सभी शेयरधारकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। एजीएम कंपनी की उपलब्धियों को अपने शेयरधारकों के साथ साझा करने और अब तक तय किए गए रास्ते को याद करने का अवसर प्रदान करती हूँ।

तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वित्तीय विवरण, निदेशकों की रिपोर्ट, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पर रिपोर्ट, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट आदि पहले ही सभी शेयरधारकों, लेखा परीक्षकों आदि को वितरित कर दी गई हैं।

मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आज की तारीख में, आपकी कंपनी ने परियोजना के 508 किमी के सम्पूर्ण संरेखण को कवर करते हुए सभी सिविल अनुबंध पैकेज आवंटित करने का बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है।

समग्र भूमि आवश्यकता का 99.6% भूमि अधिग्रहण करने के साथ, निर्माण गतिविधियों में भी तेजी आई है।

गुजरात के कुल 352 किमी खंड में से, आपकी कंपनी ने अगस्त 2023 तक 257 किमी पर नींव का निर्माण कर लिया है, साथ ही अन्य उप-संरचना कार्यों को भी पूरा किया है जैसे कि 224 किमी में खम्बों का निर्माण; 111 किमी गर्डर कास्टिंग; 84 किमी गर्डर लॉन्चिंग; आदि। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपकी कंपनी दुनिया के उन कुछ संगठनों में से एक है जिसने निर्माण की अत्याधुनिक फुल स्पैन लॉन्चिंग मेथड टेक्नोलॉजी में विशेषज्ञता हासिल की है। यह तकनीक खंडीय निर्माण की तुलना में निर्माण चक्र के समय को काफी हद तक घटाने में महत्वपूर्ण साबित हुई है।

सिविल कार्यों में अच्छी प्रगति के अलावा, ट्रैक, डिपो, पुल, स्टेशन आदि जैसे कई अन्य पैकेजों पर भी काम तेजी से चल रहा है।

ट्रैक कार्य के क्षेत्र में, गुजरात राज्य में प्रमुख ट्रैक सामग्री की अधिप्राप्ति, ट्रैक निर्माण से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करना, ट्रैक स्लैब विनिर्माण कारखाने का निर्माण आदि जैसी विभिन्न गतिविधियां लगातार प्रगति कर रही हैं। अगस्त 2023 के महीने में सूरत में पहले प्रबलित कंक्रीट (आरसी) ट्रैक बेड का निर्माण शुरू हुआ।

स्टील पुलों, प्री-स्ट्रेसड कंक्रीट पुलों, नदी पुलों का निर्माण भी जारी है। आपकी कंपनी ने अब तक पार, पूर्णा, मिंधोला, अंबिका और औरंगा नदियों पर पांच नदी पुलों का निर्माण पूरा कर लिया है।



औरंगा नदी, वलसाड, गुजरात में लॉन्चिंग पूरी हुई

गुजरात राज्य में सभी आठ एचएसआर स्टेशनों का काम संतोषजनक ढंग से आगे बढ़ रहा है, और साबरमती में पैसेंजर टर्मिनल हब बिल्डिंग का निर्माण पूरा हो गया है। इसके अलावा, महाराष्ट्र राज्य में बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) में स्थित परियोजना के एकमात्र भूमिगत स्टेशन का काम भी मार्च 2023 में शुरू हो गया है।

एमएचएसआर परियोजना के निर्माण के अलावा, आपकी कंपनी सात अन्य प्रस्तावित एचएसआर कॉरिडोर के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) पर भी काम कर रही है। चार डीपीआर (अर्थात दिल्ली-वाराणसी एचएसआर, दिल्ली-अहमदाबाद एचएसआर, नागपुर-मुंबई एचएसआर, और मुंबई-हैदराबाद एचएसआर कॉरिडोर) प्रस्तुत किए गए हैं, और शेष तीन डीपीआर 2024-25 तक प्रस्तुत किए जाने की उम्मीद है।

आपकी कंपनी ने अभी तक अपना वाणिज्यिक परिचालन शुरू नहीं किया है। 31 मार्च 2023 तक, पूंजीगत कार्य प्रगति की राशि 25,995 करोड़ रुपये है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप आपकी कंपनी सीएसआर के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं का निर्वहन करना जारी रखती है।

उपरोक्त सभी प्रगति/ उपलब्धियाँ एक एकजुट टीम के सामूहिक प्रयासों का परिणाम हैं। हम सभी जानते हैं कि सिम्फनी कभी भी एक व्यक्ति द्वारा संचालित नहीं की जा सकती; इसके संचालन के लिए पूरे ऑर्केस्ट्रा की आवश्यकता होती है। हालाँकि वर्तमान प्रगति निस्संदेह सराहनीय है, हमें अभी एक लंबा रास्ता तय करना है। मुझे विश्वास है कि हमारे संयुक्त प्रयासों से हमें शानदार परिणाम मिलेंगे, और यह हमारे देश के विकास और निर्माण उद्योग में नई मिसाल स्थापित करने में बहुत योगदान देगा।

(जया वर्मा सिन्हा)

अध्यक्ष

दिनांक : 29 सितंबर 2023

स्थान : नई दिल्ली

रिपोर्ट्स

निदेशकों की रिपोर्ट

विशिष्ट शेयरधारक:

आपकी कंपनी के निदेशकों को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी के मामलों पर अपनी 7वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अत्यधिक खुशी हो रही है।

नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के प्रावधानों के अनुसार एक सरकारी कंपनी है और भारत सरकार, गुजरात सरकार, तथा महाराष्ट्र सरकार के मध्य क्रमशः 50:25:25 की इक्विटी भागीदारी वाला एक संयुक्त उद्यम है। कंपनी को दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डीएमआरसी) की तर्ज पर निगमित किया गया है।

I. एमएचएसआर परियोजना का संक्षिप्त विवरण:

आपकी कंपनी जापान की शिकानसेन प्रौद्योगिकी पर आधारित भारत की पहली हाई स्पीड रेल परियोजना अर्थात् मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल (एमएचएसआर) परियोजना को कार्यान्वित कर रही है, जिसके लिए 12 दिसंबर 2015 को भारत और जापान के मध्य एक सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। एमएचएसआर की यह परियोजना अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी की सहायता से यात्री परिवहन प्रणाली को बदल देगी एवं सामान्य रूप से यात्री परिवहन तथा विशेष रूप से रेल परिवहन में एक नए युग का प्रारंभ करेगी। इससे न केवल रोजगार के अवसर पैदा होंगे बल्कि देश की आर्थिक वृद्धि को भी बढ़ावा मिलेगा।

एमएचएसआर परियोजना महाराष्ट्र के मुंबई शहर में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) से प्रारंभ होकर गुजरात के अहमदाबाद शहर के साबरमती रेलवे स्टेशन के पास समाप्त होगी। एमएचएसआर कॉरिडोर का लगभग 508 किमी. का संरेखण गुजरात राज्य (8 जिलों में), केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली और दमन-दीव और महाराष्ट्र राज्य (3 जिलों में) से होकर गुजरेगा। व्यवहार्यता अध्ययन के अनुसार परियोजना की अनुमानित पूर्णता लागत (लगभग) 1,08,000 करोड़ रुपये हैं।

उक्त एचएसआर कॉरिडोर में निम्नलिखित शामिल होंगे:

- i) बारह (12) स्टेशन [जैसे, मुंबई (बीकेसी), ठाणे, विरार, बोइसर, वापी, बिलिमोरा, सूरत, भरुच, वडोदरा, आनंद/नाडियाड, अहमदाबाद, और साबरमती];
- ii) तीन (3) चल स्टॉक रखरखाव डिपो [जैसे, ठाणे में एक डिपो, सूरत में एक लघु डिपो, और साबरमती में एक डिपो-सह-कार्यशाला];
- iii) कारों/ उपकरणों के निरीक्षण और रखरखाव तथा ओवरहेड इलेक्ट्रिकल (ओएचई) लाइनों, ट्रैक इत्यादि के रखरखाव के लिए आवश्यक सामग्री के भंडारण/ हैंडलिंग के लिए आठ (8) रखरखाव डिपो; और
- iv) वायडक्ट्स पर दो (2) कन्फर्मेशन कार बेस।

II. एमएचएसआर परियोजना की निर्माण-पूर्व गतिविधियाँ:

क. तकनीकी विशिष्टताएं, मानक विशिष्टताएं और विशिष्टताओं एवं मानकों के लिए मैनुअल

- i) निम्नलिखित के लिए तकनीकी विशिष्टताएँ (टीएस):
 - क) सी3 सिविल पैकेज नवंबर 2022 में पूरा हो गया है। इसके साथ ही सभी सिविल पैकेजों के लिए टीएस का कार्य पूरा हो गया है।
 - ख) अगस्त 2022 में ट्रैक पैकेजों को भी अंतिम रूप दे दिया गया है (महाराष्ट्र में टी1 पैकेज को छोड़कर)।
 - ग) ईडब्ल्यू-1 पैकेज (ओएचई, ट्रैक्शन पॉवर सप्लाई, एमवी/एलवी डिस्ट्रीब्यूशन पॉवर सप्लाई और संबंधित उपयोगिता निर्माण कार्य सहित) को नवंबर 2022 में जापानी समिति की संस्तुति के आधार पर अंतिम रूप दे दिया गया है और ईडब्ल्यू-1 पैकेज के बोली दस्तावेजों में शामिल किया गया है।
- ii) जापानी समिति की संस्तुति के आधार पर एमएचएसआरसीएल द्वारा (नवंबर 2022 में) संपूर्ण इलेक्ट्रिकल पॉवर सप्लाई सिस्टम के विनिर्देशों एवं मानकों (एमएसएस) और मानक विनिर्देशों (एसएस) के लिए संशोधित मैनुअल को अपनाया गया है।



तापी नदी, सूरत, गुजरात में वेल फाउंडेशन का कार्य प्रगति पर

ख. डिज़ाइन

वर्ष 2022-23 के दौरान पूर्ण किए गए प्रमुख डिज़ाइन कार्य इस प्रकार हैं:

- i) क) ट्रैक डिज़ाइन - अक्टूबर 2021 में जापानी समिति द्वारा 'जे-स्लैब ट्रैक सिस्टम' (जापानी शिंकानसेन के लिए प्रयुक्त होने वाले) के लिए आवश्यक प्रबलित कंक्रीट (आरसी) ट्रैक बेड, ट्रैक स्लैब, सीमेंट डामर मोर्टार (सीएएम) आदि के लिए मानक डिज़ाइन आरेखण की संस्तुति की गई थी और उनकी संस्तुति को तीनों ट्रैक पैकेजों, अर्थात् टी1, टी2, और टी3 के लिए अपनाया गया है।
- ख) 2022-23 के दौरान, जापान रेलवे टेक्निकल सर्विस (जेएआरटीएस) ने, जो कि विदेशी रेलवे प्रौद्योगिकी सहयोग हेतु एक जापानी संगठन है, प्रशिक्षण एवं प्रमाणन (टी & सी) पाठ्यक्रमों पर प्रारंभिक व्याख्यान का आयोजन किया है जो 2021-22 में सभी तीनों ट्रैक पैकेजों (अर्थात् टी1, टी2 और टी3) के लिए स्लैब ट्रैक सिस्टम के उत्पादन हेतु टी & सी और सलाहकार सेवाएं प्रदान करने के लिए जेएआरटीएस के साथ हस्ताक्षरित एक समझौता जापान के अनुसरण में आयोजित किया गया था। कुल मिलाकर, टी & सी के लिए पंद्रह अलग-अलग पाठ्यक्रमों की योजना बनाई गई है। उक्त व्यवस्था के तहत, 1000 से अधिक इंजीनियरों/ पर्यवेक्षकों को जापानी विशेषज्ञों द्वारा जापानी ट्रैक प्रौद्योगिकी का प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि साइट पर प्रशिक्षित श्रमशक्ति को उपलब्ध कराया जा सके।
- ii) गुजरात के आठ एचएसआर स्टेशनों, सूरत डिपो और रखरखाव डिपो के लिए आर्किटेक्चरल एवं मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लंबिंग (एमईपी) सेवाओं के तकनीकी डिज़ाइन के लिए किए गए काम:
 - क) 2021-22 के दौरान पांच एचएसआर स्टेशनों (अर्थात् सी4 और सी6 पैकेज में शामिल वापी, बिलिमोरा, सूरत, भरूच और आनंद) की वास्तुशिल्पीय सौन्दर्यात्मक रिपोर्ट (आंतरिक और बाहरी) तथा इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल (ई एंड एम) सेवाओं के डिज़ाइन पर संबंधित ठेकेदारों के साथ काम किया गया था। 2022-23 के दौरान सूरत स्टेशन के लिए उक्त सौंदर्य रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया है और 2023-24 में अन्य एचएसआर स्टेशनों के लिए इसे अंतिम रूप दिया जाएगा।

इन सभी स्टेशनों और डिपो के लिए निर्माण चरण की डिज़ाइन शुरू कर दी गयी है और मॉक-अप, शॉप ड्राइंग, फैब्रिकेशन ड्राइंग और साइट निष्पादन पर ध्यान देते हुए कार्य प्रगति पर है।
- ख) तीन एचएसआर स्टेशनों (अर्थात् वडोदरा, अहमदाबाद और साबरमती) के लिए उक्त तकनीकी डिज़ाइन अंतिम चरण में है और इसे 2023-24 में अंतिम रूप दिया जाएगा।



वडोदरा, गुजरात में शिन्सो पाइल का कार्य प्रगति पर

- ग) सूरत डिपो और सी4 और सी6 पैकेजों के तहत आने वाली रखरखाव डिपो की वास्तुकला और ईएंडएम सेवाओं के तकनीकी डिज़ाइन को भी अंतिम रूप दे दिया गया है।
- iii) डी2 पैकेज के लिए तकनीकी डिज़ाइन भी शुरू हो चुकी है और ठेकेदार ने प्रशासनिक भवन के लिए वास्तुकला डिज़ाइन प्रस्ताव जमा कर दिया है।
- iv) भारतीय पक्ष की ओर से एमएचएसआर कॉरिडोर पर स्टेशन क्षेत्र विकास (एसएडी) के लिए तकनीकी सहयोग (टीसी) के प्रस्ताव का अनुरोध किया गया था और इसे जापान दूतावास द्वारा 2021-22 के दौरान मंजूरी दे दी गई थी।
- 12 अक्टूबर 2022 को रेल मंत्रालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) और जेआईसीए के मध्य एमएचएसआर कॉरिडोर पर चयनित स्टेशनों के लिए उक्त एसएडी के लिए टीसी हेतु चर्चा के रिकॉर्ड (आरओडी) पर हस्ताक्षर किया गया था। टीसी के उक्त आरओडी के अनुसार जेआईसीए की विशेषज्ञ टीम चयनित स्टेशनों (अर्थात ठाणे, विरार, सूरत और साबरमती) के आसपास के क्षेत्रों की मास्टर प्लानिंग के लिए संबंधित भारतीय प्रतिपक्षों अर्थात एनएचएसआरसीएल, एमओएचयूए, राज्य सरकारों, शहरी विकास प्राधिकरणों आदि को तकनीकी सहायता प्रदान करेगी।
- टीसी के लिए आरओडी पर हस्ताक्षर करने के बाद, टीसी की कार्यान्वयन प्रक्रिया पर चर्चा करने के लिए जापानी और भारतीय समकक्षों के साथ कई ऑनलाइन और भौतिक बैठकें आयोजित की गई हैं।
- v) 2 एचएसआर स्टेशनों, अर्थात बीकेसी और भरूच को छोड़कर, सभी 12 एचएसआर स्टेशनों के लिए मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन (एमएमआई) योजनाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है और हितधारकों की मंजूरी मिल गई है एवं बीकेसी और भरूच के 2 एचएसआर स्टेशनों की एमएमआई हितधारकों द्वारा अनुमोदन के लिए प्रक्रियाधीन हैं।
- vi) छह सिविल पैकेजों (अर्थात सी3 से सी8 तक) के लिए स्टेशनों तथा स्टेशन पहुंचने के मार्गों, डिपो/रखरखाव डिपो तक पहुंचने के मार्गों और नदी पुलों सहित मुख्य लाइन वियाडक्ट के लिए संचयी रूप से 42,075 विस्तृत डिज़ाइन रेखा-चित्र (2021-22 तक 41,000 सहित) पूर्ण हो चुके हैं।
- vii) एमएचएसआर ट्रैक्शन पॉवर सप्लाई प्रणाली के स्विचबोर्ड, नियंत्रण पैनलों की विस्तृत डिज़ाइन और योजनाएं जेआईसीसी द्वारा तैयार की गई एवं जापान हाई स्पीड रेल इलेक्ट्रिक कंपनी (जेई) द्वारा समीक्षा और जांच की गई। उपरोक्त और जापान के भूमि, अवसंरचना, परिवहन एवं पर्यटन मंत्रालय (एमएलआईटी) द्वारा प्रमाणन के आधार पर दिसंबर 2022 में जेआईसीए ने (दिनांक 16 दिसंबर 2022 के पत्र के माध्यम से) एनएचएसआरसीएल के साथ ये विस्तृत डिज़ाइन साझा किए। इन्हें ईडब्ल्यू-1 बोली दस्तावेज़ में शामिल किया गया है।

ग. भारतीय रेलवे की मौजूदा सुविधाओं और उपयोगिताओं का स्थानांतरण:

भारतीय रेलवे की मौजूदा सुविधाएं एवं अवसंरचनाएं जो एमएचएसआर के संरेखण का उल्लंघन कर रहे हैं, अर्थात, अहमदाबाद, वडोदरा और साबरमती क्षेत्रों में रनिंग लाइनों, रेलवे प्लेटफार्मों सहित अन्य महत्वपूर्ण उत्पादन और रखरखाव सुविधाओं और कार्यालयों/ कर्मचारी क्वार्टरों को, पश्चिम रेलवे के समन्वय से स्थानांतरित किया जाना है।



पूर्ण वायाइक्ट भाग, वडोदरा, गुजरात

एमएचएसआर के संरेखण का उल्लंघन करने वाली कई ओएचई लाइनों और अन्य उपयोगिताओं को भी स्थानांतरित किया जाना है या उपयोगिता मालिकों के समन्वय में ऐसी संरचनाओं की ऊंचाई बढ़ाई जानी है।

इसके अलावा, चूंकि एमएचएसआर के संरेखण के कुछ हिस्से घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्रों से गुजर रहे हैं, इसलिए कई भूमिगत और नागरिक उपयोगिताओं जैसे गैस लाइनें, पानी और जल निकासी पाइपों, लाइट्स, बिजली और दूरसंचार की तारों और अन्य अवसंरचनाओं को भी मुंबई, ठाणे, वडोदरा और अहमदाबाद के विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों पर स्थानांतरित किया जा रहा है ताकि बड़े पैमाने पर आम जनता के हित को ध्यान में रखते हुए इन उपयोगिताओं के संचालन में न्यूनतम बाधा सुनिश्चित करते हुए एचएसआर सिविल निर्माण कार्यों को निर्बाध रूप से शुरू करने का मार्ग प्रशस्त किया जा सके।

2022-23 के दौरान रेलवे की मौजूदा सुविधाओं और उपयोगिताओं के स्थानांतरण और उक्त उपयोगिता स्थानांतरण से उत्पन्न निर्माण की प्रगति/ स्थिति इस प्रकार है:

स्थानांतरण/ स्थान बदलना इत्यादि

- i) 2022-23 के दौरान 121 ओवरहेड इलेक्ट्रिकल (ओएचई) लाइनों को स्थानांतरित किया गया है। 31 मार्च 2023 तक स्थानांतरित किए गए संचयी ओएचई लाइनों की संख्या 1605 (अर्थात गुजरात में 1331 और महाराष्ट्र में 274) है। यह गुजरात के 99.8% विद्युत उपयोगिताओं और महाराष्ट्र के 86% विद्युत उपयोगिताओं का गठन करता है।

शेष 46 ओएचई लाइनों (अर्थात महाराष्ट्र में 44 और गुजरात में 2) को स्थानांतरित करने का कार्य प्रगति पर है। घनिष्ठ समन्वय के माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया है कि विद्युत उपयोगिताओं/ लाइनों के स्थानांतरण के कारण किसी भी सिविल अनुबंध पैकेज के अंतर्गत चल रहे काम में बाधा न आए।

- ii) 2022-23 में एस एंड टी तारों के स्थानांतरण के कार्य जो पूर्ण हो चुके हैं:
 - क) नवंबर 2022 में सी5 पैकेज से संबंधित विश्वामित्री से वडोदरा यार्ड तक (लगभग 4 किलोमीटर की दूरी) का कार्य पूरा हो चुका है।
 - ख) एस एंड टी तारों को बिछाने के लिए वडोदरा स्टेशन क्षेत्र में कार्य; और
 - ग) टेलीकॉम तारों का स्थानांतरण [16 किमी. तक 6 क्वाड और 50/20 पेयर पॉलिथीन इंसुलेटेड जेली फिल्ड (पीआईजेएफ) तार बिछाने सहित]; और सहायक कार्य
- iii) निम्नलिखित स्थानांतरण कार्य:
 - क) वडोदरा गैस लिमिटेड की 6" और 2" व्यास की दो गैस पाइपलाइन बिछाने का कार्य 2022-23 में पूरा हुआ है।

- ख) बीकेसी, मुंबई (सी1 पैकेज) में एचएसआर स्टेशन के निर्माण के लिए मुंबई बीकेसी क्षेत्र [अर्थात ग्रेटर मुंबई नगर निगम (एमसीजीएम)] में मौजूदा भूमिगत सीवरेज सुविधाओं का स्थानान्तरण 2022-23 में पूरा किया जा चुका है।
- ग) बीकेसी, मुंबई में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) के रिटेल आउटलेट का स्थानान्तरण प्रगति पर है।
- घ) प्रस्तावित ठाणे डिपो पर स्टेम वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड की पानी की पाइपलाइन के स्थानान्तरण का कार्य प्रगति पर है।

उपयोगिता स्थानान्तरण से उत्पन्न निर्माण आवश्यकताएं:

- iv) आरयूबी (अहमदाबाद के डेम्प शेड के पास) के निर्माण का काम दिसंबर 2022 में पूरा हो चुका है।
- v) अहमदाबाद स्टेशन पर साबरमती छोर की ओर प्लेटफार्म नंबर 12 पर आउट-टू-आउट एफओबी लैंडिंग संरचना, जो परियोजना के राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) का उल्लंघन करती है, को विघटित कर दिया गया है और अप्रैल 2022 में इसका पुनर्निर्माण किया गया है।

घ. भूमि अधिग्रहण

भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, 31 मार्च 2023 तक की समग्र प्रगति के बारे में नीचे बताया गया है:

- i) संयुक्त माप सर्वेक्षण (जेएमएस) रिपोर्ट के आधार पर एमएचएसआर परियोजना के लिए भूमि की अपेक्षित आवश्यकता के साथ, 2022-23 के दौरान और 31 मार्च 2023 तक अर्जित भूमि की स्थिति नीचे दी गई है:

राज्य	प्रभावित गाँवों की संख्या	पूरे हो चुके जेएमएस (सं.)	भूमि की आवश्यकता (हेक्टेयर में) / प्लॉट (संख्या में)					अधिप्राप्त		टिप्पणियाँ
			सरकारी	निजी	भारतीय रेलवे	वन	कुल	2022-23 के दौरान	31 मार्च 2023 तक संचयी	
गुजरात	198	198	84.46 हेक्टेयर / 998	741.12 हेक्टेयर / 6324	125.87 हेक्टेयर / 41	2.83 हेक्टेयर / 10	954.28 हेक्टेयर / 7373	1.35 हेक्टेयर	943.85 हेक्टेयर	सहमति एवं नियमित निर्णय के माध्यम से 733.58 हेक्टेयर निजी भूमि का अधिग्रहण शामिल
महाराष्ट्र	97	97	59.58 हेक्टेयर / 340*	275.34 हेक्टेयर / 2017*	2.78 हेक्टेयर / 20*	92.75 हेक्टेयर / 207*	430.45 हेक्टेयर / 2584*	131.04 हेक्टेयर	429.38 हेक्टेयर**	प्रत्यक्ष खरीद पद्धति और नियमित निर्णय के माध्यम से 274.71 हेक्टेयर निजी भूमि का अधिग्रहण शामिल
दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली (डीडी और डीएनएच)	2	2	0.38 हेक्टेयर / 9	7.52 हेक्टेयर / 134	0	0	7.90 हेक्टेयर / 143	0.25 हेक्टेयर	7.90 हेक्टेयर	नियमित निर्णय के माध्यम से
कुल	297	297	144.42 हेक्टेयर / 1347	1023.98 हेक्टेयर / 8475	128.65 हेक्टेयर / 61	95.58 हेक्टेयर / 217	1392.63 हेक्टेयर / 10100	132.39 हेक्टेयर	1381.13 हेक्टेयर	

* महाराष्ट्र में भूमि की अपेक्षित आवश्यकता थोड़ी भिन्न/संशोधित की गई है।

** 342.20 हेक्टेयर (यानि 79.50%) के लिए कब्जा लिया गया

- ii) 31 मार्च 2023 तक निजी भूमि के लिए 9361.64 करोड़ रुपये का भूमि मुआवजा वितरित किया गया है [गुजरात, डीडी और डीएनएच में: 6180.18 करोड़ रुपये और महाराष्ट्र में: 3181.46 करोड़ रुपये]।

इ. पर्यावरणीय, वैधानिक मंजूरी और वृक्ष प्रत्यारोपण:

महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में वन्यजीव एवं तटीय नियामक क्षेत्र (सीआरजेड) मंजूरी के अलावा, आपकी कंपनी ने 2022-23 के दौरान निम्नलिखित पर्यावरणीय एवं वैधानिक मंजूरी प्राप्त की है:

- i) दो संरक्षित स्मारकों [अर्थात, अहमदाबाद के कालूपुर में सिदी बसीर की मीनार और कब्रें (हिलती हुई) और ईंट की मीनार] के विनियमित क्षेत्र के भीतर एमएचएसआर परियोजना के निर्माण के लिए प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के तहत राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण (एनएमए) द्वारा अप्रैल 2022 में अनुमति दी गई।



नवसारी, गुजरात में फुल स्पैन गर्डर की लॉन्चिंग का कार्य प्रगति पर

- ii) वन मंजूरी - गुजरात के लिए वन मंजूरी चरण II, 2019-20 में पहले ही प्राप्त कर लिया गया था।

महाराष्ट्र के लिए अगस्त 2022 में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी) द्वारा वन मंजूरी (चरण II) देने की संस्तुति जारी की गई है। हालांकि, महाराष्ट्र सरकार द्वारा अंतिम डायवर्जन आदेश जारी किया जाना बाकी है। इस बीच जनवरी 2023 में काम करने की अनुमति जारी कर दी गई है।

- iii) वृक्षों का रोपण/प्रत्यारोपण - आपकी कंपनी पर्यावरण के संरक्षण के लिए सक्रिय रूप से विभिन्न कदम उठा रही है जैसे कि राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) (गैर-वन क्षेत्र) के भीतर आने वाले पेड़ों का प्रत्यारोपण और प्रतिपूरक वनीकरण करना, जिसमें रोपण के बाद उनकी देखभाल और निगरानी करना भी शामिल है। यह वन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पेड़ों के लिए प्रतिपूरक वृक्षारोपण के लिए वन विभाग (अर्थात वन वृक्ष) को भुगतान जमा करने और वन्यजीवों, सीआरजेड और मैंग्रोव के संरक्षण और प्रबंधन के लिए विभिन्न पर्यावरणीय निकायों को किए गए भुगतान के अतिरिक्त है।

31 मार्च 2023 तक, कंपनी ने 8,003 पेड़ों का प्रत्यारोपण किया है और विभिन्न स्थानों पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण के एवज अतिरिक्त 87,151 पेड़ लगाए गए हैं। इसके अलावा, ठेकेदारों ने भी विभिन्न पैकेजों के तहत लगभग 16,000 पेड़ पौधे लगाए हैं।

च. पुनर्वास कार्य योजना

जेआईसीए दिशानिर्देशों के अनुसार अगस्त 2018 में जेआईसीए को प्रस्तुत की गयी सामाजिक प्रभाव आंकलन (एसआईए) /

पुनर्वास कार्य योजना (आरएपी) रिपोर्ट स्वीकार कर ली गई थी। परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (पीएपी) पर परियोजना के प्रभाव का आकलन करने और उन्हें मुआवजा, पुनर्वास और स्थानांतरण (आर एंड आर) सहायता आदि के लिए शमन उपाय विकसित करने हेतु **स्वदेशी लोग योजना (आईपीपी)** के साथ एसआईए / आरएपी विकसित किया गया है ताकि उनके सामाजिक-आर्थिक मानकों और आजीविका क्षमता में सुधार लाया जा सके।

परियोजना के लिए प्रस्तावित आय बहाली योजना (आईआरपी) का उद्देश्य परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएच) की आय को पूर्व-परियोजना स्तर तक विकसित करना या उससे बेहतर बनाना है और यह परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पीएच के पास अपनी वर्तमान गतिविधियों और कौशलों का लाभ उठाने के लिए डिज़ाइन किए गए विभिन्न विकल्पों में से अपना चुनाव करने का अवसर होगा। हम यह सुनिश्चित करने के लिए पीएपी के साथ बड़े पैमाने पर सहयोग करते हैं कि उन्हें उपलब्ध विकल्पों के बारे में अच्छी तरह से जानकारी दी जाए और उन्हें भाग लेने के लिए पर्याप्त अवसर दिए जाएं।

आपकी कंपनी ने 2022-23 में भी कौशल संवर्धन प्रशिक्षण के माध्यम से पीएच के लिए आईआरपी से संबंधित गतिविधियां जारी रखी हैं।

कौशल संवर्धन प्रशिक्षण के लिए, गुजरात में दो और संस्थानों (पहले से ही पहचाने गए सात संस्थानों के अलावा) और महाराष्ट्र में चार संस्थानों को शॉर्टलिस्ट किया गया है।

पीएपी को दिए गए प्रशिक्षण का विवरण इस प्रकार है:

(संख्या में)		
पीएपी - आईआरपी के अंतर्गत प्रशिक्षण के लिए रुचि प्रकट करने वाले	पीएपी - विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत पंजीकृत	पीएपी - प्रशिक्षण पूर्ण किया
2174	720	506*

* गुजरात में 374 पीएपी - अहमदाबाद, खेड़ा, आनंद, वडोदरा और भरूच जिलों में; और महाराष्ट्र में 132 पीएपी - मुंबई, ठाणे और पालघर जिलों में

शेष पीएपी भी धीरे-धीरे प्रशिक्षण से गुजरेंगे।

एमएचएसआर परियोजना के प्रत्येक पीएच के लिए व्यक्तिगत प्रभाव के आधार पर पात्रता मैट्रिक्स, जेआईसीए की सामाजिक एवं पर्यावरण विचार नीति 2010 और आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 की दूसरी अनुसूची के संदर्भ में **आर एंड आर अनुदान** [जिसमें स्थानांतरण के लिए परिवहन भत्ता; निर्वाह अनुदान; छोटे व्यापारियों को एकमुश्त अनुदान; पुनर्वास भत्ता; वार्षिकी के विरुद्ध एकमुश्त सहायता अनुदान; घर, छोटी-मोटी दुकानें, पशु शेड आदि के निर्माण के लिए एकमुश्त वित्तीय सहायता; नई संपत्तियों की खरीद पर पीएपी को स्टॉप शुल्क और पंजीकरण शुल्क की प्रतिपूर्ति; आदि शामिल हैं] की शुरुआत की गयी है।

2022-23 के दौरान, 1871 भूखंडों के लिए आर एंड आर अनुदान घोषित किए गए हैं [यानि, महाराष्ट्र में 1647 भूखंडों और गुजरात में 224 भूखंडों के लिए]। इसके साथ, 31 मार्च 2023 तक 8014 भूखंडों के लिए संचयी आर एंड आर अनुदान घोषित किए गए हैं [अर्थात, महाराष्ट्र में 1647 भूखंडों, गुजरात में 6233 भूखंडों, और केंद्र शासित प्रदेश डीडी और डीएनएच में 134 भूखंडों के लिए]।

छ. सामाजिक विकास कार्य

आपकी कंपनी सामाजिक विकास की आवश्यकताओं हेतु विभिन्न हितधारकों के अनुरोध को पूरा करने के लिए अपने परियोजना क्षेत्र के आसपास सामाजिक विकास कार्य (एसडीडब्ल्यू) कर रही है। एसडीडब्ल्यू के लिए कुल 100 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है। ये एसडीडब्ल्यू पुनर्वास और स्थानांतरण, भूमि मुआवजा और सीएसआर पहल के अतिरिक्त किए गए हैं।

कंपनी द्वारा किए गए एसडीडब्ल्यू कार्यों का विवरण इस प्रकार है:

क्रम सं.	विवरण	रकम (करोड़ रुपये में)
क	एसडीडब्ल्यू के लिए कुल बजटीय प्रावधान	100.00

क्रम सं.	विवरण	रकम (करोड़ रुपये में)
ख	उपयोग:	0.35
	i) विभिन्न गतिविधियाँ जैसे कि व्हीलचेयर का दान, जिला अधिकारियों को वित्तीय सहायता, चिकित्सा केंद्र खोलना आदि।	
	ii) महाराष्ट्र के पालघर जिले के 71 गाँव (43 पीईएसए गांवों सहित) में ग्राम विकास योजना के तहत कार्य - स्वीकृत राशि	15.60
	[जिला प्रशासन, पालघर को 4.22 करोड़ रुपये जारी किए गए (संचयी 36 गांवों के लिए) (जिसमें 33 पीईएसए गांवों शामिल हैं) (2021-22 तक पहचाने गए 23 गांवों सहित)]	

31 मार्च 2023 तक 36 गांवों में ग्राम विकास योजना (वीडीपी) पहल की स्थिति इस प्रकार है:

गाँव	कार्य का नाम	संवितरित राशि (रुपये में)	प्रगति % - (भौतिक/वित्तीय)
तलासरी तालुका (7 पीईएसए गांवों में, अर्थात मानपाड़ा, वासा, वरवाड़ा, कवाड़ा, उपलाट, आमगांव और ज़री)	आंगनवाड़ी, किचन शेड, शौचालयों की मरम्मत और परिसर दीवार का निर्माण; सड़क पर पुल का निर्माण; ग्रामपंचायत भवन में नये शेड का निर्माण; समाज मंदिर का निर्माण; सीमेंट कंक्रीट सड़क का निर्माण; जिला परिषद स्कूल में क्लासरूम का निर्माण; इत्यादि।	1,03,50,000	100% वित्तीय और 69% भौतिक कार्य पूरे हो चुके हैं
पालघर तालुका (11 गाँव में, जिसमें 8 पीएएसए गांव शामिल हैं, अर्थात विराथन खुर्द, पडघे, नंदोर, रोथे, बेटेगांव, अंबाडी, शेलवली, वालवे, शिगांव, और हनुमान नगर, टेम्बीखोडवे)	कंक्रीट सड़क का निर्माण; जिला परिषद स्कूल में नए क्लास रूम का निर्माण; पेवर ब्लॉक का निर्माण; शेड का निर्माण; आंगनवाड़ी भवन की मरम्मत; समाज मंदिर और सामुदायिक भवन का निर्माण; इत्यादि।	1,48,62,307	100% वित्तीय और 90% भौतिक कार्य पूरे हो चुके हैं
डहाणू तालुका (12 पीएएसए गांवों में, अर्थात धामनगांव, अप्टोल, जाडीगांव, अश्वे, अंबेसरी, जीतगांव, वनाई, चारी, कोताबी, गनगनगांव, देहने और गोवने)	पेवर ब्लॉक कार्य; सीमेंट कंक्रीट सड़क का निर्माण; 2 जल निकासी का निर्माण; समाज मंदिर बहुउद्देशीय हॉल का निर्माण; आंगनवाड़ी भवन की मरम्मत; आंगनवाड़ी दीवार परिसर का निर्माण; श्मशान भूमि पर शेड का निर्माण; ग्रामपंचायत कार्यालय का निर्माण; स्ट्रीट सोलर लाइट की स्थापना; इत्यादि।	1,25,98,474	100% वित्तीय और 85% भौतिक कार्य पूरे हो चुके हैं
वसई तालुका (6 पीईएसए गांव, अर्थात नागले, मोरी, पोमन, सरजामोरी, शिलोतार और चंद्रपाड़ा)	जल आपूर्ति वितरण लाइन और ऊंची मुख्य जल टंकी/ एलिवेटेड स्टोरेज जलाशय (ईएसआर) का निर्माण; और सोलर मिनी हाई मास्ट की आपूर्ति, स्थापना और शुरुआत।	44,37,053	100% कार्य पूरे हो चुके हैं
	कुल	4,22,47,834	

ज. पीएमसी के लिए सलाहकारों सहित अन्य सलाहकारों की नियुक्ति

वर्ष 2022-23 के दौरान, आपकी कंपनी ने एमएचएसआर परियोजना के लिए निम्नलिखित सलाहकार नियुक्त किए हैं:

- जेआईसी कंसोर्टियम (जिसमें जापान इंटरनेशनल कंसल्टेंट (जेआईसी), ओरिएंटल कंसल्टेंट्स ग्लोबल (ओसीजी) और निप्पोन कोड कंपनी लिमिटेड शामिल हैं) -
 - डिज़ाइन संबंधी पीएमसी - सलाहकारी सेवाओं के लिए; और
 - ट्रैक और चल स्टॉक [पीएमसी-टीआरएस] पैकेजों (टी1, टी2, टी3, आर1, डी2, आईएम1 और टीआई4) के निर्माण के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श सेवाओं के लिए।

- ii) हिताची लिमिटेड और कावासाकी रेलकार मैनुफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड का संघ - चल स्टॉक (आरएस) और सामान्य निरीक्षण ट्रेन [आर1-पीएस] के संबंध में प्रारंभिक सर्वेक्षण (पीएस) के लिए।
- iii) जापान हाई स्पीड रेल इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, एक जापानी संस्था (जेई) को -
 - क) ईडब्ल्यू-1 पैकेज (अर्थात पीएस-ईडब्ल्यू1) के लिए 'बोली प्रक्रिया' को अंतिम रूप देने के लिए प्रारंभिक सेवाएं प्रदान करने हेतु नियोक्ता के रूप में एनएचएसआरसीएल की ओर से काम करने के लिए नियुक्त किया गया है। ईडब्ल्यू-1 पैकेज के उक्त प्रारंभिक सेवाओं के लिए आरएफपी 13 दिसंबर 2022 को जारी किया गया था और कार्य 27 दिसंबर 2022 को सौंपा गया है। मार्च 2023 में जेई के साथ प्रत्यायोजन समझौते पर हस्ताक्षर करने पर उक्त पीएस-ईडब्ल्यू1 संपन्न हुआ है; और
 - ख) ई1 पैकेज (इलेक्ट्रिकल, एसएंडटी, ओसीसी, यूटिलिटी बिल्डिंग, आदि) के तहत आने वाले सभी कार्यों को पूरा करने के लिए नियुक्त किया गया है जिसमें जापान के शिकानसेन की सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों (अर्थात प्रत्यायोजन समझौता) को सुनिश्चित करने के लिए जापान की प्रथाओं का पालन करते हुए, टेंडर देने से लेकर अधिष्ठापन और कमीशनिंग तक के समस्त कार्य शामिल हैं।
- iv) टीओडी इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड - वर्ल्ड ट्रेड सेंटर (डब्ल्यूटीसी) नौरोजी नगर, नई दिल्ली में एनएचएसआरसीएल कार्यालय की डिजाइनिंग, फर्निशिंग और विकास कार्यों के लिए आर्किटेक्चरल एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी के लिए नियुक्त किया गया है।



जापान हाई स्पीड रेल इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड (जेई) के साथ प्रतिनिधिमंडल समझौते पर हस्ताक्षर

झ. निविदा:

एचएसआर प्रशिक्षण संस्थान के निर्माण सहित संपूर्ण एमएचएसआर परियोजना को अब जेआईसीए के 28 अनुबंध पैकेजों (पीएमसी-सलाहकार सेवा पैकेज को शामिल करने के बाद) के माध्यम से निष्पादित किया जाएगा। 23 पैकेज (28 में से) मुख्य परियोजना से संबंधित हैं और 5 पैकेज वडोदरा में स्थित प्रशिक्षण संस्थान से संबंधित हैं।

वर्ष 2022-23 के दौरान, कंपनी ने:

- i) निम्नलिखित जेआईसीए अनुबंध पैकेज आमंत्रित किए हैं:
 - क) सी1 (बीकेसी मुंबई में भूमिगत एचएसआर स्टेशन, कट और कवर सुरंग और शाफ्ट - 1 के डिजाइन और निर्माण के लिए)
 - ख) सी2 [बीकेसी में मुंबई भूमिगत स्टेशन से शिलफाटा के बीच टनल बोरिंग मशीन (टीबीएम) और न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड (एनएटीएम) से समुद्र तल में सुरंग के निर्माण कार्यों के लिए]
 - ग) सी3 [सिविल और भवन निर्माण कार्यों के लिए जिसमें वायाडक्ट, पुलों, पर्वतीय सुरंगें, रखरखाव डिपो, पृथ्वी संरचनाएं और स्टेशन (ठाणे, विरार और बोडसर) शामिल हैं]
 - घ) डी1 [ठाणे डिपो के डिजाइन और निर्माण के लिए]
 - ड) टीआई1 [वडोदरा में प्रशिक्षण संस्थान भवन (चरण II) के निर्माण के लिए]
 - च) ईडब्ल्यू1 [2 x 25 केवी बिजली आपूर्ति विद्युतीकरण प्रणाली (ट्रैक्शन सबस्टेशन, ओवरहेड उपकरण और एमवी / एलवी बिजली वितरण उपकरण) के डिजाइन, विनिर्माण, आपूर्ति, निर्माण, स्थापना, परीक्षण और

कमीशनिंग के लिए]

- छ) पीएमसी - सलाहकार सेवाएं (एमएचएसआर परियोजना के निर्माण के लिए डिज़ाइन संबंधी सलाहकार सेवाओं के लिए)
- ज) पीएमसी-टीआरएस [ट्रैक और चल स्टॉक (टी-1, टी-2, टी-3, आर1, डी2, आईएम-1 और टीआई4) पैकेजों के निर्माण के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श सेवाओं के लिए]

जेआईसीए के सात अनुबंध पैकेज प्रदान किए गए हैं अर्थात्, सी1; टी3; टीआई4 (सिम्युलेटर); आर1-पीएस (चल स्टॉक के संबंध में प्रारंभिक सर्वेक्षण और ट्रेन के सामान्य निरीक्षण के लिए); डी2 (साबरमती डिपो के निर्माण के लिए); पीएमसी-सलाहकार सेवाएँ; और पीएमसी-टीआरएस।



गुजरात के वापी में सुरंग की खुदाई चल रही है

उपर्युक्त पैकेजों को प्रदान करने के साथ, गुजरात राज्य में वायाडक्ट्स, स्टेशनों, सिविल और ट्रैक कार्यों के लिए जेआईसीए के सभी अनुबंध पैकेज प्रदान कर दिए गए हैं, जो 352 किमी. (508 किमी. में से) के विस्तार को कवर करता है।



सेगमेंटल कास्टिंग यार्ड, सुरत, गुजरात

31 मार्च 2023 तक प्रदान की गई निविदाएं, मूल्यांकन के अधीन, जारी की जा चुकी/ की जाने वाली निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) आदि की समग्र/ संचयी स्थिति नीचे दी गई है:

एचएसआर खंड	कुल (संख्या में)	प्रदान की गयीं (संख्या)	मूल्यांकन के अधीन (संख्या)	जारी की गयीं एनआईटी (संख्या)	जारी की जाने वाली एनआईटी (संख्या)
साबरमती-वापी	10	10 (सी4, सी5, सी6, सी7, सी8, पी1बी, पी 1सी, टी2, टी3, & डी2)	0	0	0
वापी-बीकेसी	5	1 (सी1)	1 (सी2)	2 (सी3& डी1)	1 (टी1)
सामान्य पैकेज	8	5 (पी4**, पीएमसी-सिविल, पीएमसी-सलाहकार सेवाएँ, आर1-प्रारंभिक सर्वेक्षण, और पीएमसी-टीआरएस)	0	0	3 (ई1**, आर1-मेन, औरआईएम-1)
प्रशिक्षण संस्थान	5	4 (टीआई-2*, टीआई-3*, पीएमसी-टीआई*, और टीआई-4)	1 (टीआई-1)	0	0
कुल	28	20	2	2	4

^ सी – का अर्थ है सिविल पैकेज; टी – का अर्थ है ट्रैक पैकेज; आर – का अर्थ है चल स्टॉक पैकेज; ई – का अर्थ है इलेक्ट्रिकल, एसएंडटी और ओसीसी पैकेज; टीआई – का अर्थ है प्रशिक्षण संस्थान पैकेज; डी – का अर्थ है डिपो पैकेज; आईएम – का अर्थ है निरीक्षण और रखरखाव कार पैकेज; पी – का अर्थ है विशेष पुल पैकेज; पीएमसी – का अर्थ है परियोजना प्रबंधन परामर्श; और टीआरएस – का अर्थ है ट्रैक एंड चल स्टॉक ।

* पहले से पूरा हो चुका है

** पैकेजों का उप-विभाजन:

I. पी4 अनुबंध पैकेज - दो उप-पैकेजों में विभाजित है अर्थात्

क) पी4(एक्स) - 11 पुलों के लिए स्टील सुपर स्ट्रक्चर के निर्माण और परिवहन के लिए

ख) पी4(वाई) - 17 पुलों के लिए स्टील सुपर स्ट्रक्चर के निर्माण और परिवहन के लिए

II. ई1 अनुबंध पैकेज को 4 उप-पैकेजों में विभाजित किया गया है। 31 मार्च 2023 तक इन 4 उप-पैकेजों की स्थिति नीचे दी गई है:

- | | | |
|-------------------|--|--------------------------|
| क) ईडब्ल्यू-1 - - | ओएचई, ट्रैक्शन पॉवर सप्लाई, एमवी/एलवी वितरण बिजली आपूर्ति और संबंधित उपयोगिता निर्माण कार्यों सहित इलेक्ट्रिकल का डिजाइन और निष्पादन | } एनआईटी जारी की जानी है |
| ख) ईडब्ल्यू-2 - - | एस एंड टी सिस्टम, ओसीसी, और पर्यवेक्षी नियंत्रण और डेटा अधिग्रहण (एससीएडीए) का डिजाइन और निष्पादन | |
| ग) ईई-4 - - | ओसीसी और एससीएडीए के लिए उपकरणों का निर्माण | |
| घ) ईडी-1 - - | ओसीसी और एससीएडीए के लिए डिजाइन | |

वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद, एक अनुबंध पैकेज (अर्थात् आईएम1) अप्रैल 2023 में आमंत्रित किया गया है और दो अनुबंध पैकेज (अर्थात् टीआई1 और सी2) क्रमशः अप्रैल 2023 और मई 2023 में प्रदान किए गए हैं।



सेगमेंटल लॉन्चिंग प्रगति पर, वडोदरा, गुजरात



फुल स्पैन गर्डर लॉन्चिंग का काम जारी, भरुच, गुजरात



एचएसआर बिलिमोरा स्टेशन एप्रोच वायाडक्ट लॉन्चिंग प्रगति पर है।

III. एमएचएसआर परियोजना –निर्माण गतिविधियाँ:

अ सिविल कार्यों, ट्रैक कार्यों, डिपो आदि की स्थिति/प्रगति।

i) सिविल कार्य:

31 मार्च 2023 तक, लगभग 272.89 किलोमीटर में 33,820 पाइल्स और लगभग 200 किलोमीटर में 4,996 नींव के निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है। पियर (170 किमी. के लिए) और पियर कैप (130 किमी. के लिए), गर्डर कास्टिंग (69 किमी. के लिए), और गर्डर्स लॉन्चिंग (45 किमी. के लिए) जैसे सब-स्ट्रक्चर कार्य भी पूरे हो चुके हैं। इसके अलावा, फुल स्पैन गर्डर्स और सेगमेंटल बॉक्स गर्डर्स की कास्टिंग भी कई अत्याधुनिक कास्टिंग यार्डों में जारी है जो एमएचएसआर के संरेखण पर स्थापित किए गए हैं।

30 जून 2023 तक गुजरात में महत्वपूर्ण निर्माण गतिविधियों की संचयी प्रगति इस प्रकार है:

माइलस्टोन/ गतिविधियाँ	विषय-क्षेत्र (किमी. में)	अब तक की प्रगति (किमी. में)	% प्रगति
पाइल नींव	352	323	92
घाट	352	208	59
गर्डर कास्टिंग	340	94.4	28
गर्डर लॉन्चिंग	340	68	20

निर्माण पद्धति:

गुजरात में 352 किमी. में से 286 किमी. के परियोजना विस्तार में वायाडक्ट निर्माण कार्य की योजना अत्याधुनिक फुल स्पैन लॉन्चिंग विधि (एफएसएलएम) के साथ बनाई गई है। जहां विशेष संरचनाओं के कारण एफएसएलएम का उपयोग नहीं किया जा सकता है, वहां स्पैन-बाय-स्पैन (एसबीएस) विधि अपनाई गयी है। अपनाई गई निर्माण पद्धति नीचे सारणीबद्ध है:

निर्माण प्रकार	वायाडक्ट की लम्बाई	गुजरात में कुल 352 किमी. विस्तार का %
फुल स्पैन	286	81%
स्पैन-बाय-स्पैन (एसबीएस)	56	16%



एफएसएलएम कास्टिंग यार्ड, आणंद, गुजरात

एनएचएसआरसीएल दुनिया के उन चुनिंदा संगठनों में से एक है जिसने निर्माण की एफएसएलएम तकनीक में महारत हासिल की है। यह तकनीक पारंपरिक स्पैन बाय स्पैन (एसबीएस) पद्धति से 10 गुना तेज है, जिससे एसबीएस के तहत चक्र का समय 7 दिन से घटकर एफएसएलएम द्वारा 16 घंटे हो जाता है।

ii) ट्रैक कार्य:

गुजरात में 352 किलोमीटर खण्ड पर ट्रैक बिछाने का काम शुरू हो गया है। वर्ष के दौरान, इंजीनियरिंग, ट्रैक सामग्री की खरीद, ट्रैक निर्माण मशीनरी और ट्रैक स्लैब निर्माण कारखाने से संबंधित गतिविधियाँ शुरू की गई हैं।



ट्रैक वर्क्स (पैकेज टी 2) - ट्रैक स्लैब बिछाने वाली कार और रेल बिछाने वाली कार (इनसेट में), गुजरात

टी2 पैकेज -

- क) ट्रैक की प्रमुख सामग्री (रेल, फास्टनरों, निर्माण मशीनरी आदि) की खरीद को अंतिम रूप दे दिया गया है।
- ख) सूरत में ट्रैक प्रशिक्षण फैसिलिटी का निर्माण पूरा हो चुका है जहाँ ठेकेदार के कामगारों को ट्रैक कार्यों से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। जेएआरटीएस (जापानी विशेषज्ञ के माध्यम से) द्वारा प्रबलित कंक्रीट (आरसी) ट्रैक बेड निर्माण प्रशिक्षण के लिए एक दिवसीय प्रारंभिक सत्र भी आयोजित किया गया था।
- ग) गुजरात के किम में एक ट्रैक स्लैब उत्पादन फैक्ट्री निर्माणाधीन है। ट्रैक स्लैब निर्माण के लिए जापान में निर्मित 38 सांचे फरवरी 2023 में फैक्ट्री स्थल पर पहुँच गए हैं।
वर्ष की समाप्ति के बाद, सूरत में उप-साइट कार्यालय का निर्माण अप्रैल 2023 में पूरा हो गया है।
- घ) मार्च 2023 में जापान में निप्पॉन स्टील परिसर में रेल का निरीक्षण किया गया था।
वर्ष की समाप्ति के बाद, अप्रैल 2023 में सूरत में ठेकेदार को रेल की पहली खेप (100 किमी.) प्राप्त हो गई है।

टी3 पैकेज -

- क) ट्रैक की प्रमुख सामग्रियों की खरीद को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
- ख) आनंद में एक ट्रैक स्लैब उत्पादन कारखाना निर्माणाधीन है।
वर्ष की समाप्ति के बाद, वडोदरा और साबरमती में दो उप-साइट कार्यालयों (तीन में से) का निर्माण अप्रैल-मई 2023 में पूरा हो गया है।
- ग) निर्माण मशीनरी (स्लैब बिछाने वाली कार और रेल फीडर कार) का उत्पादन भारत में ठेकेदार द्वारा किया जा रहा है।

iii) डिपो:

साबरमती एचएसआर डिपो (डी2 पैकेज) का निर्माण 84 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाएगा और एमएचएसआर परियोजना में सबसे बड़ा डिपो होगा। इस डिपो का डिज़ाइन जापान के सेंदाई और कनाज़ावा शिंकानसेन डिपो पर आधारित है। चालू होने पर, इस डिपो में 10 स्टेबलिंग लाइनें होंगी जिन्हें 29 लाइनों तक बढ़ाया जाएगा और साथ ही इस डिपो में ओसीसी भवन का निर्माण भी किया जाएगा।

इस डिपो में खुदाई और मिट्टी भराई का काम चल रहा है।

सूरत डिपो (सी4 पैकेज का हिस्सा) - नींव निर्माण का काम 2022-23 में पूरा हो चुका है और सुपर स्ट्रक्चर का काम प्रगति पर है।



पार नदी, वलसाड, गुजरात में लॉन्चिंग पूरी हुई

iv) पुल:

विशेष पुल - राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों, सिंचाई नहरों और रेलवे के ऊपर क्रॉसिंग के लिए 28 लॉन्ग स्पैन स्टील संरचनाओं (अर्थात गुजरात में 17 और महाराष्ट्र में 11) द्वारा पुल का निर्माण किया जाना है।

31 मार्च 2023 तक पी4 पैकेज (अर्थात 28 पुलों का स्टील ट्रेस फैब्रिकेशन) की संचयी प्रगति इस प्रकार है:

पैकेज	शुरुआत की तिथि	सामग्री की अधिप्राप्ति	31 मार्च, 2023 तक पूरा हो चुका गढ़ाई कार्य	टिप्पणियाँ
पी4(एक्स) और पी4(वाई)	22 मार्च 2021	25143 एमटी	8502 एमटी	2 जीएडी का चेक असेंबली कार्य 31 मार्च 2023 तक पूरा हो चुका है

गुजरात में, 8 स्टील ट्रेस पुलों (17 में से) का निर्माण अत्याधुनिक नवीनतम कार्यशालाओं में किया गया है। 2 पुलों (उक्त 8 पुलों में से) का निर्माण और चेक असेंबली वर्ष के दौरान पूरा हो चुका है।

प्री-स्ट्रेसड कंक्रीट (पीएससी) पुल - राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे के ऊपर क्रॉसिंग के लिए 6 लॉन्ग स्पैन पीएससी पुलों (गुजरात में 5 और महाराष्ट्र में 1) का निर्माण किया जाना है। 2 पुलों के सब-स्ट्रक्चर कार्य के साथ 5 पुलों की नींव डालने का काम मार्च 2023 तक पूरा कर लिया गया है। शेष 3 पुलों का सब-स्ट्रक्चर कार्य प्रगति पर है। प्राथमिकता खंड पर 2 पीएससी और 1 स्टील पुलों का लॉन्चिंग कार्य 2023-24 के दौरान पूरा होने की उम्मीद है।

नदी पुल - एमएचएसआर परियोजना के लिए 27 नदियों पर लगभग 27 पुल बनाने की आवश्यकता होगी (अर्थात गुजरात में 20 नदी/ पुल और महाराष्ट्र में 7 नदी/ पुल)। गुजरात राज्य की सभी 20 नदियों पर पुल निर्माण का काम शुरू हो गया है।

2022-23 के दौरान गुजरात की चार प्रमुख नदियों पर निर्माण कार्य प्रगति पर है अर्थात नर्मदा नदी पुल पर सभी 22 वेल की नींव, माही नदी पुल पर सभी 12 वेल की नींव, ताप्ती नदी पुल पर 11 वेल की नींव (13 में से) का निर्माण कार्य प्रगति में है और इसके अलावा, साबरमती नदी पुल पर पाइलिंग का काम चल रहा है।

इसके अलावा, पार नदी पर पहले नदी पुल का निर्माण पूरा हो गया है जिसकी लंबाई 320 मीटर है।

वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद, तीन और नदी पुलों, अर्थात मई 2023 में पूर्णा नदी (लंबाई 240 मीटर) और जून 2023 में मिंडहोला नदी (लंबाई 360 मीटर) और अंबिका नदी (लंबाई 200 मीटर) पर पुलों का निर्माण पूरा हो गया है।



सूरत एक्सप्रेस स्टेशन, गुजरात में कार्य प्रगति पर

v) गुजरात में एचएसआर स्टेशन:

2022-23 के दौरान, पांच (5) एचएसआर स्टेशनों (अर्थात वापी, बिलिमोरा, सूरत, भरुच और आनंद) पर चल रहे निर्माण कार्य के अलावा, तीन (3) एचएसआर स्टेशनों (अर्थात अहमदाबाद, वडोदरा और साबरमती) पर निर्माण कार्य शुरू हो गया है।

इन एचएसआर स्टेशनों पर प्रगति इस प्रकार है:

- 4 एचएसआर स्टेशनों, अर्थात सूरत, बिलिमोरा, आनंद और अहमदाबाद पर नींव डालने का काम पूरा हो चुका है। संक्षिप्त में कार्यों की स्थिति इस प्रकार है:
 - क) सूरत स्टेशन - 300 मीटर कॉन्कोर्स स्लैब और 200 मीटर रेल लेवल स्लैब का काम पूरा हो गया है।
 - ख) आनंद स्टेशन - 388 मीटर कॉन्कोर्स स्लैब और 150 मीटर रेल लेवल स्लैब का काम पूरा हो गया है।
 - ग) अहमदाबाद स्टेशन - कॉन्कोर्स स्लैब की ढलाई शुरू हो गई और 60 मीटर स्लैब का काम पूरा हो गया है।
 - घ) बिलिमोरा स्टेशन - रेल लेवल स्लैब की ढलाई शुरू हो गई और 50 मीटर स्लैब का काम पूरा हो गया है।

vi) पैसेंजर टर्मिनल हब बिल्डिंग:

साबरमती में पैसेंजर टर्मिनल हब बिल्डिंग [एचएसआर स्टेशन, पश्चिमी रेलवे साबरमती स्टेशन, गुजरात मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के आईसी स्टेशन और अहमदाबाद बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (बीआरटीएस) बस स्टॉप को जोड़ने वाला] का निर्माण वास्तुशिल्पीय परिष्करण, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लंबिंग (एमईपी), और सिविल कार्य के साथ पूरा होने के अंतिम चरण में है।

उक्त पैसेंजर हब के निर्माण की भौतिक प्रगति, 31 मार्च 2023 तक, 96% पूरी हो चुकी है।



गुजरात के साबरमती पैसेंजर टर्मिनल हब में फिनिशिंग का काम चल रहा है

ट. सुरक्षा, व्यावसायिक स्वास्थ्य और पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली

आपकी कंपनी ने एक मजबूत सुरक्षा, व्यावसायिक स्वास्थ्य और पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली स्थापित की है जिसका पालन इसके सभी ठेकेदार, सलाहकार और स्वयं एनएचएसआरसीएल भी करते हैं।

कंपनी ने वर्ष 2022-23 के दौरान इस संबंध में निम्नलिखित पहल की हैं:

- i) सी5, सी7 और सी8 अनुबंध पैकेजों के लिए सुरक्षा स्वास्थ्य और पर्यावरण प्रबंधन योजना (एसएचई योजना) और निर्माण पर्यावरण प्रबंधन योजना (सीईएमपी) को 2022-23 के दौरान मंजूरी मिल गई है और इसे दिन-प्रतिदिन की निर्माण गतिविधियों के अनुरूप लागू किया जा रहा है। एसएचई प्रबंधन योजना के हिस्सा के रूप में सुरक्षा प्रबंधन योजना (एसएमपी), अस्थायी यातायात नियंत्रण योजना और एचआईवी/एड्स की रोकथाम और नियंत्रण के लिए व्यापक कार्य योजना भी तैयार, अनुमोदित और कार्यान्वित की जा रही है। ठेकेदार द्वारा तैयार और प्रस्तुत की गई उपरोक्त योजनाएं टी2 और टी3 पैकेज के लिए संशोधन के अधीन हैं।



गुजरात के सूरत में क्लास-रूम प्रशिक्षण कार्यक्रम और मास टूल बॉक्स वार्ता आयोजित की गई



गुजरात के वडोदरा में अग्निशमन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित

- ii) नए पैकेजों के प्रारंभ होने पर एनएचएसआरसीएल के एसएचई मैनुअल को समय-समय पर संशोधित किया जाता है। विभिन्न सुरक्षा आवश्यकताओं की प्रभावशीलता और वास्तविक भौतिक स्थितियों पर इसके कार्यान्वयन की समीक्षा की गई है और एसएचई मैनुअल में निर्दिष्ट अंतरराष्ट्रीय सुरक्षित प्रथाओं की दशाओं को शामिल करके तथा आवश्यकतानुसार बदलाव करके संशोधित किया गया है ताकि मैनुअल को व्यापक एवं सख्त बनाया जा सके।
- iii) एसएचई के अनुमोदित प्रबंधन योजना द्वारा संचालित सुरक्षा, व्यावसायिक स्वास्थ्य और पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली को ठेकेदार द्वारा विभिन्न सिविल पैकेजों की दैनिक निर्माण गतिविधियों में लागू किया गया है और सलाहकार द्वारा इसकी समीक्षा और निगरानी की जा रही है। सिविल पैकेज के सभी खण्डों में साइट एसएचई समिति की बैठकें की जा रही हैं। सलाहकार द्वारा मासिक ऑडिट रेटिंग स्कोर (एमएआरएस) और बाहरी एजेंसी द्वारा त्रैमासिक ऑडिट के माध्यम से ठेकेदार के एसएचई प्रबंधन के प्रदर्शन का लेखापरीक्षण किया जा रहा है।

ठ. गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली

- i) गुणवत्ता आश्वासन -- गुणवत्ता आश्वासन के लिए, नामित ठेकेदार द्वारा विभिन्न दस्तावेज (जैसे कार्य गुणवत्ता प्रबंधन योजना, साइट गुणवत्ता प्रबंधन योजना, डिज़ाइन गुणवत्ता प्रबंधन योजना, अधिप्राप्ति गुणवत्ता प्रबंधन योजना और विनिर्माण गुणवत्ता प्रबंधन योजना, आदि) तैयार किए जा रहे हैं और प्रत्येक अनुबंध पैकेज(जो) के लिए अलग से संबंधित निविदा विशिष्टियों के नियम व शर्तों/ एफआईडीआईसी की शर्तों के अनुसार कंपनी या इंजीनियर, यानी टी-सीएपी [अर्थात टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स, कंसल्टिंग इंजीनियर्स ग्रुप, आरवी एसोसिएट्स, और पाडेको (जापान)] से अनुमोदन प्राप्त किए जा रहे हैं।

उपरोक्त के अलावा, प्रत्येक अनुबंध पैकेज के लिए ठेकेदारों द्वारा तैयार किए गए विभिन्न अन्य दस्तावेज, जैसे ऑन-साइट प्रयोगशाला प्रबंधन योजना, ऑफ-साइट प्रयोगशाला प्रबंधन योजना और ऑफ-शोर प्रयोगशाला प्रबंधन योजना कंपनी और टीसीएपी द्वारा अनुमोदित हैं। 2022-23 के दौरान तीन अनुबंध पैकेजों (अर्थात सी5, सी7, और सी8) के लिए गुणवत्ता प्रबंधन योजना, साइट गुणवत्ता प्रबंधन योजना, डिज़ाइन गुणवत्ता प्रबंधन योजना, खरीद गुणवत्ता योजना को अंतिम रूप दिया गया है और अनुमोदित किया गया है।

- ii) गुणवत्ता नियंत्रण -- साइट पर गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए:
 - क) ठेकेदार ने साइट के काम, बैचिंग प्लांट (कंक्रीट उत्पादन इकाइयां), प्री-कास्टिंग यार्ड और ऑन-साइट (फील्ड) प्रयोगशालाओं की देखरेख के लिए क्वालिटी इंजीनियरों को साइट पर नियुक्त किया है।

- ख) साइट इंजीनियरों द्वारा प्रत्येक गतिविधि के लिए चेकलिस्ट भरी जाती है। इन चेकलिस्टों की बाद में क्वालिटी इंजीनियरों द्वारा दुबारा जांच की जाती है।
 - ग) इंजीनियर के प्रतिनिधियों की एक टीम भी साइट और फील्ड प्रयोगशालाओं में किए जा रहे सभी परीक्षणों की जांच/ निगरानी करती है। ऑफ-साइट प्रयोगशालाओं में किए जा रहे महत्वपूर्ण परीक्षण पर भी इंजीनियर के प्रतिनिधियों द्वारा नज़र रखी जाती है।
 - घ) एनएचएसआरसीएल के क्वालिटी इंजीनियर भी निष्पादन और विभिन्न प्रयोगशाला परीक्षणों के दौरान साइट कार्यों की जांच करते हैं।
 - ड) एनएचएसआरसीएल/ मुख्यालय कार्यालय द्वारा ठेकेदार और टीसीएपी के क्वालिटी और साइट इंजीनियरों के साथ साप्ताहिक गुणवत्ता नियंत्रण बैठकें आयोजित की जाती हैं।
- iii) आंतरिक गुणवत्ता लेखापरीक्षा -- पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार त्रैमासिक आंतरिक गुणवत्ता लेखापरीक्षा की भी एक प्रणाली मौजूद है। लेखापरीक्षा या तो ठेकेदार की कॉरपोरेट टीम द्वारा या तीसरे पक्ष के लेखापरीक्षकों को नियुक्त करके किया जाता है। लेखापरीक्षा के दौरान ठेकेदार की क्वालिटी टीम भी लेखापरीक्षकों के साथ रहती है। लेखापरीक्षा के निष्कर्षों को इंजीनियर और एनएचएसआरसीएल के साथ साझा किया जाता है और ठेकेदार की प्रबंधन टीम की त्रैमासिक बैठकों में इस पर चर्चा की जाती है।

IV. एमएचएसआर परियोजना – संचालन और रखरखाव की योजना

ड. संचालन और रखरखाव (ओ एंड एम):

एमएचएसआर के संचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) का गठन कार्य प्रगति पर है। ओ एंड एम प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए एक विस्तृत योजना विकसित की गई है जिसमें रखरखाव अवसंरचनाओं की स्थापना, रखरखाव वाहनों और मशीनों की खरीद, हाई स्पीड रेल प्रशिक्षण संस्थान और अन्य सुविधाओं की स्थापना शामिल हैं।

ओएंडएम नियमावली और नियमों का मसौदा तैयार कर लिया गया है। जापानी विशेषज्ञों से इनपुट प्राप्त करके और जापान से प्राप्त दस्तावेजों का संदर्भ लेकर विस्तृत मैनुअल तैयार किए जा रहे हैं।

जापान की एचएसआर प्रणाली की महत्वपूर्ण ओ एंड एम कार्यप्रणाली को समझने के लिए, जेआईसीए द्वारा नामांकित विशेषज्ञों के साथ कई तकनीकी चर्चाएं और संगोष्ठियाँ आयोजित की गई हैं ताकि कोर ज्ञान प्राप्त किया जा सके और ओ एंड एम के लिए अवसंरचना सहित उचित रणनीति और योजना विकसित करने में मदद मिल सके।

ओ एंड एम प्रभाग के 13 कर्मचारियों के एक बैच [ओ एंड एम के प्रमुख लीडर्स (केओएमएल) के रूप में नामित] को जेआईसीए अनुदान के तहत निष्पादित दो महीने के प्रशिक्षण के लिए अप्रैल 2022 में जापान भेजा गया था। उन्हें ओ एंड एम गतिविधियों के विभिन्न पहलुओं के सम्बन्ध में कठोर प्रशिक्षण दिया गया। जापान में एचएसआर (शिकानसेन) के ओ एंड एम सिस्टम के विभिन्न प्रमुख प्रौद्योगिकी क्षेत्रों के सम्बन्ध में प्रशिक्षण प्राप्त करने की योजना के क्रियान्वयन के अंतर्गत 360 कर्मचारियों में से (कोर स्टाफ के रूप में नामित) जापान जाने वाला यह पहला बैच था।

त. एचएसआर प्रशिक्षण संस्थान

वडोदरा में एक समर्पित हाई स्पीड रेलट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (एचएसआरटीआई) स्थापित किया जा रहा है। संस्थान में वे सभी सुविधाएं होंगी जो जापान के शिन शिराकावा में ईस्ट जापान रेलवे कंपनी (जेआर ईस्ट) के हाई स्पीड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में उपलब्ध हैं, जैसे ड्राइवर सिम्युलेटर, ट्रैक सर्किट, ओएचई, बिजली आपूर्ति, सैंपल ट्रैक आदि। वडोदरा का उक्त एचएसआरटीआई एचएसआर के ज्ञान का भंडार बनने की ओर अग्रसर है और यह भारत में अन्य उच्च गति कॉरिडोर के भविष्यगत विकास के आधार के रूप में काम करेगा।

एचएसआरटीआई के छात्रावास भवन का एक हिस्सा पट्टे के आधार पर राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान (एनआरटीआई) द्वारा उपयोग किया जा रहा है।

थ. बिजली अधिप्राप्त करने की गतिविधियाँ

आपकी कंपनी को, एक "मानित लाइसेंसधारी" के रूप में गुजरात और महाराष्ट्र की बिजली आपूर्ति कंपनियों द्वारा एमएचएसआर के मार्ग पर विभिन्न सबस्टेशनों [ट्रैक्शन सब-स्टेशन (टीएसएस): 14 और वितरण सब-स्टेशन (डीएसएस):

15] के लिए को कनेक्टिविटी / कनेक्शन प्रदान किया गया है।

वर्ष के दौरान, राज्य विद्युत उपयोगिता कंपनी द्वारा दो ट्रांसमिशन लाइनों अर्थात् वडोदरा टीएसएस (लगभग 15 किमी.) और साबरमती टीएसएस (लगभग 16 किमी.) (केबल डालने के कार्य को छोड़कर) का कार्य और साथ ही बे संवर्धन कार्य [अर्थात्, गुजरात में 1 टीएसएस] को पूरा किया गया है। यह 2021-22 में पूरे किए गए एक टीएसएस ट्रांसमिशन लाइन (अर्थात् महमदाबाद) और बे संवर्धन कार्य (अर्थात् गुजरात में 1 टीएसएस और महाराष्ट्र में 2 डीएसएस) के अतिरिक्त किया गया है।

V. अन्य हाई स्पीड रेल (एचएसआर) कॉरिडोर परियोजनाएं

आपकी कंपनी ने रेलवे बोर्ड द्वारा सौंपे गए निम्नलिखित सात एचएसआर कॉरिडोर की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने का काम जारी रखा है:

- दिल्ली - वाराणसी एचएसआर (942 किमी.) (लखनऊ से अयोध्या तक 124 किमी के स्पर सहित);
- दिल्ली - अहमदाबाद एचएसआर (872 किमी.);
- मुंबई - नागपुर एचएसआर (765 किमी.);
- मुंबई - हैदराबाद एचएसआर (671 किमी.);
- चेन्नई - मैसूर एचएसआर (451 किमी.);
- दिल्ली - अमृतसर एचएसआर (476 किमी.); और
- वाराणसी - हावड़ा एचएसआर (752 किमी.)

इन कॉरिडोर के संबंध में डीपीआर कार्य शुरू करने के लिए कंपनी द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में नीचे बताया गया है:



फुल स्पैन गर्डर लॉन्चिंग का काम प्रगति पर, नवसारी, गुजरात

क. दिल्ली-वाराणसी एचएसआर (डीवीएचएसआर), मुंबई-नागपुर एचएसआर (एमएनएचएसआर) और दिल्ली-अहमदाबाद एचएसआर (डीएचएसआर) कॉरिडोर:

2021-22- रेलवे बोर्ड को 300 किमी. प्रति घंटे की परिचालन गति के लिए संरेखण डिज़ाइन के साथ डीवीएचएसआर डीपीआर का अंतिम संस्करण प्रस्तुत किया गया था।

2022-23 - एमएनएचएसआर और डीएचएसआर के लिए अंतिम डीपीआर रेल मंत्रालय (एमओआर) को सौंप दी गई है, जिसमें 300 किमी. प्रति घंटे की परिचालन गति के लिए संरेखण डिज़ाइन को ध्यान में रखते हुए रेलवे बोर्ड से प्राप्त इनपुट और फीडबैक को शामिल किया गया है।

उक्त सभी तीन डीपीआर सामाजिक प्रभाव आंकलन (एसआईए) और पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन (ईआईए) के साथ एलआईडीएआर डेटा के आधार पर अंतिम संरेखण विवरण के साथ आंतरिक रूप से तैयार किए गए थे।

ख. शेष चार एचएसआर कॉरिडोर

शेष चार एचएसआर कॉरिडोर के लिए डीपीआर बनाने का काम तैयारी के विभिन्न चरणों में है:

i) मुंबई - हैदराबाद एचएसआर:

वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद:

- क) प्रारंभिक मार्ग विकास, जीएडी, यातायात सर्वेक्षण, संचालन योजना, स्टेशन वास्तुकला कार्यों आदि के लिए डेस्कटॉप अध्ययन कार्य के बाद अंतिम संरेखण डिज़ाइन मई 2023 में पूरी हो गयी है।
- ख) आपकी कंपनी द्वारा रिपोर्ट की समीक्षा की जा रही है।

ii) चेन्नई-मैसूर एचएसआर:

- क) डेस्कटॉप अध्ययन कार्य और आगे का प्रारंभिक मार्ग विकास जनवरी 2023 में पूरा हो गया है।
- ख) वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद, हितधारक चर्चा; अन्य गतिविधियाँ (अर्थात ईआईए रिपोर्ट आदि) पूरी हो चुकी हैं और मई 2023 में संरेखण को अंतिम रूप दे दिया गया है।
- ग) संरेखण को अंतिम रूप देने के लिए हितधारकों की चर्चा पूरी होने के बाद एलआईडीएआर सर्वेक्षण और संरेखण डिज़ाइन और संतुलन गतिविधियाँ फिर से शुरू होंगी।

iii) वाराणसी - हावड़ा एचएसआर:

वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद:

- क) डेस्कटॉप अध्ययन कार्य और आगे का प्रारंभिक मार्ग विकास जून 2023 में पूरा हो गया है।
- ख) विभिन्न हितधारकों के साथ चर्चा के बाद जून 2023 में संरेखण और एचएसआर स्टेशन के स्थानों को अंतिम रूप दिया गया है।
- ग) 2023-24 में हवाई एलआईडीएआर सर्वेक्षण के बाद ईआईए/एसआईए/यातायात आदि जैसी क्षेत्रीय गतिविधियाँ फिर से शुरू की जाएंगी।

iv) दिल्ली - अमृतसर एचएसआर:

- क) डेस्कटॉप अध्ययन कार्य और आगे का प्रारंभिक मार्ग विकास दिसंबर 2022 में पूरा हो गया है।
- ख) हितधारकों की चर्चा पूरी हो चुकी है और फरवरी 2023 में संरेखण को अंतिम रूप दे दिया गया है।
- ग) 2023-24 में हवाई एलआईडीएआर सर्वेक्षण के बाद ईआईए/एसआईए/यातायात आदि जैसी क्षेत्रीय गतिविधियाँ की जाएंगी।



गुजरात के बिलिमोरा एचएसआर स्टेशन पर कार्य प्रगति पर है

VI. कंपनी का वित्तीय प्रोफाइल

क. वित्तीय सारांश या हाइलाइट्स के साथ प्रदर्शन

आपकी कंपनी ने अभी तक वाणिज्यिक परिचालन शुरू नहीं किया है। वर्ष के दौरान, कोई परिचालन आय नहीं हुई है, हालांकि, आपकी कंपनी ने 96.45 करोड़ रुपये की ब्याज आय अर्जित की है। इसके अलावा, 31 मार्च 2023 तक पूंजीगत कार्य-प्रगति की राशि 25,995.05 करोड़ रुपये है।

वित्तीय प्रदर्शन संकेतक:

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	विवरण	2022-23	2021-22*
1.	परिचालन आय	शून्य	शून्य
2.	अन्य आय	97.77	123.18
3.	कर देने से पूर्व लाभ	68.50	86.58
4.	कर देने के पश्चात लाभ	53.79	65.38
5.	निवल मूल्य	14750.78	13,322.53
6.	प्रतिधारित आय में अंतरण	52.25	61.95

* आईसीएआई की ईएसी राय के आधार पर वित्त वर्ष 2022-23 के वित्तीय विवरण के तहत वित्त वर्ष 2021-22 के लिए पिछले वर्ष के तुलनात्मक आंकड़ों में किए गए परिवर्तनों के कारण जहां भी आवश्यक हो, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनर्वर्गीकृत/समायोजित किया गया है।



सेगमेंटल कास्टिंग यार्ड, अहमदाबाद, गुजरात

ख. विदेशी मुद्रा आय और व्यय

आपकी कंपनी ने 2022-23 के दौरान कोई विदेशी मुद्रा अर्जित नहीं की है और वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा व्यय 2719.13 करोड़ रुपये रहा है।

ग. शेयर पूंजी की संरचना

आपकी कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 20,000 करोड़ रुपये है, जिसमें भारत सरकार (जीओआई), गुजरात सरकार (जीओजी) और महाराष्ट्र सरकार (जीओएम) द्वारा क्रमशः 50:25:25 के अनुपात में इक्विटी भागीदारी का योगदान दिया जाएगा। यह कंपनी डीएमआरसी की तर्ज पर एक संयुक्त उद्यम (जेवी) कंपनी है। कंपनी, तीनों मौजूदा शेयरधारकों को उनके बजटीय आवंटन के अनुसार अलग-अलग हिस्सों में उनके द्वारा संवितरित इक्विटी योगदान की राशि के मुताबिक इक्विटी योगदान की प्राप्ति के तुरंत बाद आयोजित होने वाली बोर्ड बैठक में इक्विटी शेयर आवंटित करती है।

मौजूदा शेयरधारकों को शेयरों के आवंटन पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं, जो अधिमानी आवंटन/ प्राइवेट प्लेसमेंट से संबंधित हैं।

मौजूदा शेयरधारक इक्विटी शेयर पूंजी की पूर्व प्रतिबद्ध राशि का योगदान करते हैं। अतः, इस प्रक्रिया की मूल प्रकृति मौजूदा शेयरधारक द्वारा चुकता शेयर पूंजी को बढ़ाने की है, जो कि उनके बीच पूर्व आपसी सहमति के अनुसार है।

31 मार्च 2023 को, आपकी कंपनी की चुकता शेयर पूंजी 14,211.43 करोड़ रुपये है जिसमें रेल मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार (अर्थात 10,000 करोड़ रुपये - भारत के राष्ट्रपति और उनके बारह नामांकितों के नाम पर), जीओजी (अर्थात 4205.43 करोड़ रुपये - गुजरात के राज्यपाल के नाम पर) और जीओएम (अर्थात 6 करोड़ रुपये - महाराष्ट्र के राज्यपाल के नाम पर) द्वारा योगदान दिया गया है।

वर्ष की समाप्ति के बाद, कंपनी ने गुजरात सरकार को प्रत्येक 1,000 रुपये के 59,45,600 इक्विटी शेयर आवंटित किए हैं। रेल मंत्रालय से प्राप्त अन्य इक्विटी, ईएपी और अग्रिमों के बारे में जानकारी वित्तीय विवरण 2022-23 के नोट संख्या 12 और 13 के तहत दिया गया है।

VII. अनुपालन

क. कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत

i) जमा

आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किया।

ii) अंतर-कॉर्पोरेट ऋण, गारंटी या निवेश का विवरण

वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के प्रावधानों के अनुसार कोई अंतर-कॉर्पोरेट ऋण नहीं दिया है या कोई गारंटी नहीं दी है या कोई निवेश (सुरक्षित या असुरक्षित) नहीं किया है।

iii) संबंधित पार्टी के लेनदेन का खुलासा

2022-23 के वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 32 के तहत संबंधित पार्टी खुलासे की विस्तृत जानकारी दी गयी है।

iv) समीक्षाधीन अवधि के दौरान, आपकी कंपनी ने कोई क्रेडिट रेटिंग प्राप्त नहीं की है।

v) 2022-23 में शेयरधारकों के लिए किसी लाभांश की संस्तुति नहीं की गई है क्योंकि कंपनी निर्माण चरण में है, और अभी तक वाणिज्यिक परिचालन शुरू नहीं किया है।

vi) समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

vii) ऐसी कोई भी भौतिक परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं नहीं हैं जो आपकी कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करती हैं जो वित्तीय वर्ष के अंत और रिपोर्ट की तारीख के बीच हुई हों और जो वित्तीय विवरण से संबंधित हों।

viii) समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार लागत रिकॉर्ड का रखरखाव लागू नहीं है क्योंकि आपकी कंपनी ने अभी तक वाणिज्यिक परिचालन शुरू नहीं किया है और उसका कोई परिचालन टर्नओवर नहीं है।

ix) सचिवीय मानक अनुपालन

आपकी कंपनी भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी लागू सचिवीय मानकों का अनुपालन कर रही है।

x) जोखिम प्रबंधन

आपकी कंपनी एमएचएसआर परियोजना कार्यान्वित कर रही है। गुजरात राज्य में सभी सिविल निर्माण पैकेजों के आवंटन के परिणामस्वरूप कंपनी ने निर्माण चरण में प्रवेश कर लिया है और संबंधित ठेकेदारों द्वारा विभिन्न स्थलों पर काम पूरे जोरों पर चलाया जा रहा है।

कंपनी नियमित आधार पर परियोजना के लिए जोखिम की पहचान, जोखिम मूल्यांकन, जोखिम प्रबंधन और शमन के लिए पर्याप्त कदम उठा रही है।

जहां तक परिसंपत्तियों और कुछ देनदारियों से जुड़े जोखिमों का सवाल है, ऐसे जोखिमों की पहचान की जाती है, उनका मूल्यांकन किया जाता है और बीमा कंपनी से उक्त परिसंपत्तियों के लिए पर्याप्त मूल्य का बीमा कवर प्राप्त करके उन जोखिमों का शमन किया जाता है, इसके अलावा उक्त परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक सामयिक और अनुशंसित शमन उपाय किए जाते हैं।

वित्तीय जोखिमों के संबंध में, चार्टर्ड अकाउंटेंट की एक बाहरी फर्म को आंतरिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त करके कंपनी द्वारा पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण उपाय अपनाए जाते हैं और इसके अलावा समय-समय पर वैधानिक लेखा परीक्षकों तथा भारत के सी एंड एजी द्वारा नियमित लेखापरीक्षा भी की जाती है। आंतरिक नियंत्रण में सुधार लाने और उचित उपायों को लागू करने के लिए आंतरिक लेखा परीक्षकों, वैधानिक लेखा परीक्षकों और सीएजी लेखा परीक्षकों द्वारा प्रदान की गई सिफारिशें समय-समय पर लागू की जाती हैं।

- xi) समीक्षाधीन अवधि के दौरान, नियामकों या अदालतों या न्यायाधिकरणों द्वारा कोई महत्वपूर्ण और वस्तुगत आदेश पारित नहीं किया गया है जो भविष्य में कंपनी की स्थिति और कंपनी के संचालन को प्रभावित करती हों।

xii) **ऊर्जा का संरक्षण और हरित हाई स्पीड रेल**

हाई स्पीड रेलवे प्रति यात्री-किमी. के लिए ऊर्जा आवश्यकताओं के मामले में सबसे अधिक ऊर्जा कुशल प्रणालियों में से एक है।

एक कदम आगे बढ़ते हुए, एनएचएसआरसीएल ने उच्च ऊर्जा दक्षता हासिल करने के लिए अपने एचएसआर स्टेशन भवनों को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (आईजीबीसी) द्वारा तैयार किए गए मानकों के अनुसार डिज़ाइन किया है। ये मानक कंपनी के निकट सहयोग से आईजीबीसी द्वारा एचएसआर के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए हैं।

परियोजना में ऊर्जा आवश्यकताओं को न्यूनतम करने के लिए ऊर्जा बचत चल स्टॉक, उपकरण और मशीनरी होगी।

इसके अलावा, परियोजना डिज़ाइन चरण; निर्माण चरण; और संचालन चरण के दौरान कार्बन पदचिह्न को न्यूनतम करने के लिए पर्यावरण अनुकूल, नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग की योजना बनाई जा रही है।

ऑल-स्टॉप स्टेशनों की छत पर सौर पैनल लगाने का प्रावधान है और इससे उत्पन्न बिजली का उपयोग गैर-कर्षण कार्यों की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाएगा जिससे स्टेशनों और डिपो में समग्र ऊर्जा आवश्यकता कम हो जाएगी।

इसके अलावा निर्माण चरण के दौरान, स्थलों पर किए जा रहे प्रमुख ऊर्जा और संसाधन संरक्षण उपायों में निम्न शामिल हैं:

- क) कास्टिंग यार्ड और श्रमिक कॉलोनी क्षेत्रों में सोलर लाइटों का प्रावधान।
- ख) जमीन पर लगने वाले, मशीनरी पर लगने वाले और छत पर लगने वाले सौर पैनलों का प्रावधान है। सौर पैनलों से उत्पन्न बिजली का उपयोग साइट पर ऊर्जा आवश्यकताओं जैसे कि क्रेन केबिन में एयर कंडीशनर का संचालन, क्षेत्र में लाइटिंग के लिए, ट्रैफिक लाइट, ब्लिंकर, रोप लाइट, डायवर्जन, आदि को पूरा करने के लिए किया जाएगा।
- ग) वर्षा जल संग्रहण, उपयोग और संचयन प्रणाली का प्रावधान है।
- घ) वृक्षारोपण।
- ङ) विभिन्न उद्देश्यों के लिए निर्माण और विध्वंस (सी एंड डी) अपशिष्ट का पुनः उपयोग।
- च) ऊर्जा की आवश्यकता को कम करने के लिए कार्यालय भवनों, स्टेशनों, डिपो आदि सहित सभी भवनों के लिए एलईडी लाइटों का उपयोग।
- छ) उत्सर्जन उत्पादन को कम करने के लिए निर्माण मशीनरी और उपकरणों का नियमित रखरखाव।
- ज) परियोजना निर्माण के लिए बिजली की आवश्यकता को मुख्य रूप से ग्रिड बिजली के ज़रिए पूरा किया जा रहा है, जिससे डीजल जनरेटर (डीजी) सेट का उपयोग और संचालन कम हो रहा है और अंततः ईंधन की आवश्यकता और उत्सर्जन उत्पादन में कमी आ रही है।



ऑपरेटर्स के बिन के पावर ए/सी के लिए गर्डर ट्रांसपोर्टर पर सोलर पैनल उपलब्ध कराया गया

2022-23 के दौरान, ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ईसीबीसी) के आधार पर ऊर्जा संरक्षण के समर्थकारी प्रावधानों को सिविल (अर्थात सी1 और सी3), डिपो (अर्थात डी1 और डी2) और विद्युत कार्य (अर्थात ईडब्ल्यू-1) पैकेज के सभी 5 पैकेजों में भवन निर्माण कार्यों की विद्युत और यांत्रिक प्रणाली की तकनीकी विशिष्टताओं में शामिल किया गया है।

700kWp (आरईएससीओ मॉडल) विकसित करने के लिए बिजली खरीद समझौते (ओपीपीएल डीईएल एसपीवी प्राइवेट लिमिटेड के साथ हस्ताक्षरित) के अनुसार, साबरमती पैसेंजर हब टर्मिनल भवन की छत पर सौर पैनल स्थापित करने का काम प्रक्रियाधीन है। उक्त कार्य से एचएसआर में हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा और परिणामस्वरूप ऊर्जा लागत में बचत होगी।

xiii) **प्रौद्योगिकी अवशोषण और अनुसंधान एवं विकास**

आपकी कंपनी ने भारतीय तकनीकी क्षमताओं का लाभ उठाकर हाई स्पीड रेल प्रौद्योगिकी के प्रासंगिक क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास कार्यों के लिए एक ट्रस्ट, अर्थात हाई स्पीड रेलवे इनोवेशन सेंटर (एचएसआर आईसी) का गठन किया है जिसकी सहायता से लागत प्रभावी समाधान खोजे जाएंगे और आत्मनिर्भर राष्ट्र के गठन की दिशा में योगदान भी दिया जा सकेगा। एचएसआर आईसी ने एक सलाहकार परिषद का गठन किया है जिसमें भारत और विदेश के शिक्षा जगत और अनुसंधान संस्थानों, अर्थात आईआईटी, आरटीआरआई और टोक्यो विश्वविद्यालय के लोग शामिल हैं।

एचएसआर आईसी शिक्षा जगत के सहयोग से छह अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं पर काम कर रहा है। उक्त प्रत्येक परियोजना की प्रगति नीचे सारणीबद्ध है:

क्रम सं.	परियोजना	कार्यान्वयन करने वाली संस्था(एं)	प्रगति
(i)	ट्रैक्शन पॉवर सप्लाई के स्वदेशी सिमुलेशन मॉडल का विकास	क) आईआईटी दिल्ली ख) आईआईटी रुड़की	क) यूरोपीय (ईएन) मानकों के अनुसार डेस्कटॉप सत्यापन को सक्षम करने के लिए प्रोटोटाइप, एल्गोरिदम विकास अंतिम चरण में पहुंच गया है। ख) विभिन्न ट्रैक्शन नेटवर्क घटकों का गणितीय मॉडल सॉफ्टवेयर विकसित किया गया और एकल टीएसएस के

क्रम सं.	परियोजना	कार्यान्वयन करने वाली संस्था(एं)	प्रगति
		ग) आईआईटी मुंबई और आईआईएससी बेंगलूर द्वारा संयुक्त रूप से	लिए अनुक्रमिक रैखिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिदम का उपयोग करके पॉवर प्रवाह विश्लेषण किया गया। ट्रेन टाइम टेबल, संपूर्ण नेटवर्क सहित गतिशील पॉवर प्रवाह का विकास प्रगति पर है। ग) ईएन मानकों के अनुसार डेस्कटॉप सत्यापन को सक्षम करने के लिए प्रोटोटाइप, एल्गोरिदम विकास अंतिम चरण में पहुंच गया है।
(ii)	ओएचई पेंटोग्राफ इंटरैक्शन के डिजाइन सत्यापन के लिए स्वदेशी सिमुलेशन मॉडल का विकास	क) आईआईटी मद्रास का उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकी विकास केंद्र (एएमटीडीसी) ख) आईआईटी दिल्ली ग) आईआईएससी बेंगलूर और आईआईटी मुंबई द्वारा संयुक्त रूप से	क) पेंटोग्राफ, कैटेनरी और ट्रेन संचलन के लिए प्रोटोटाइप सॉफ्टवेयर विकसित किया गया। हालाँकि, सॉफ्टवेयर को अभी भी ईएन मानकों के अनुसार मान्य किया जाना बाकी है। ख) पेंटोग्राफ, कैटेनरी और इंटरैक्शन के लिए प्रोटोटाइप सॉफ्टवेयर विकसित किया गया। ग) पेंटोग्राफ, कैटेनरी, इंटरैक्शन आदि के लिए प्रोटोटाइप सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। ओवरलैप सेक्शन के लिए मॉडल विकास के अधीन है।
(iii)	एचएसआर और रेलवे में उपयोग हेतु रीइन्फोर्सड अर्थ (आरई) की प्रतिधारक दीवारों और आरई अंत्याधार का डिजाइन	आईआईटी गांधीनगर और आईआईटी तिरुपति द्वारा संयुक्त रूप से	परियोजना पूरी हो चुकी है। रेलवे टेक्निकल रिसर्च इंस्टिट्यूट (आरटीआरआई), जापान के आधार पर, एचएसआरआईसी की समीक्षा के लिए कार्यान्वयन संस्थानों द्वारा अगले चरण के लिए फीडबैक, सुधार और योजनाएं प्रस्तावित की जाएंगी।
(iv)	हाई स्पीड रेलवे ट्रैक के लिए सीमेंट डामर मोर्टार (सीएम) पर विस्तृत अध्ययन	क) आईआईटी खड़गपुर ख) आईआईटी मद्रास	क) सीएम के निर्माण और संरचना में सुधार करने का कार्य प्रगति पर है। ख) चरण- II के निष्कर्षों पर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। प्रगति के तहत रियोलॉजिकल अध्ययन और प्रसार कार्यशाला की योजना बनाई गई है।
(v)	एचएसआर वायाडक्ट डिजाइन का अनुकूलन	क) आईआईटी मद्रास ख) आईआईटी धनबाद ग) आईआईटी खड़गपुर	यूरोपीय देशों, जापान, चीन आदि के विभिन्न हाई-स्पीड रेलों के मैनुअल और कोड का अध्ययन जारी है। विभिन्न

क्रम सं.	परियोजना	कार्यान्वयन करने वाली संस्था(एं)	प्रगति
			हाई-स्पीड रेलों के चल स्टॉक और उनके भार का भी आईआईटी द्वारा अध्ययन किया जा रहा है। भारतीय परिस्थितियों के लिए विभिन्न मापदंडों की उपयुक्तता और अध्ययन के आधार पर आवश्यक संशोधनों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। डिजाइन पर बाद में काम किया जाएगा।

वर्ष के दौरान, दो सलाहकार परिषद की बैठकें क्रमशः 28 जून 2022 और 15 मार्च 2023 को आयोजित की गईं, जिसमें भाग लेने वाले संस्थानों की अनुसंधान परियोजनाओं की स्थिति और प्रगति की समीक्षा की गई और आगे किए जाने वाले कार्यों पर चर्चा की गई।

ख. आपकी कंपनी को 2022-2023 के दौरान, कंपनी की संस्था अंतर्नियम के अनुच्छेद 157 के तहत कोई **राष्ट्रपति निर्देश प्राप्त** नहीं हुआ है।

ग. सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई)

आरटीआई अधिनियम, 2005 की आवश्यकताओं के अनुसार अपीलीय प्राधिकारी, लोक सूचना अधिकारी और सहायक लोक सूचना अधिकारी के नाम सहित आवश्यक अपडेटेड जानकारी कंपनी की वेबसाइट पर पोस्ट की गई है।

आरटीआई की पूछताछ आमतौर पर भूमि अधिग्रहण, डीपीआर, भर्ती, एचएसआर परियोजना के बारे में सामान्य जानकारी आदि से संबंधित होते हैं और आमतौर पर निर्धारित समय के भीतर उनके उत्तर दे दिए जाते हैं। वर्ष के दौरान प्राप्त सभी 166 आवेदन (जिसमें 10 प्रथम अपील आवेदन शामिल हैं) का निपटारा कर दिया गया है।

VIII. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता

बोर्ड ने अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए नीतियों और प्रक्रियाओं को अपनाया है, जिसमें कंपनी की नीतियों का पालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाना, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता और विश्वसनीय वित्तीय खुलासे करने के लिए समय पर तैयारी करना शामिल है। कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली इसके आकार, पैमाने और इसके संचालन की जटिलताओं के अनुरूप है।

IX. सूचना प्रौद्योगिकी का विकास एवं अनुप्रयोग

क. पीएमआईएस के क्षेत्र में

एनएचएसआरसीएल ने परियोजना प्रबंधन सूचना प्रणाली (पीएमआईएस) लागू की है, जो एक निर्बाध एकीकृत वेब-आधारित एप्लिकेशन समाधान है जो रियल टाइम बेसिस पर काम करता है और जिसमें दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणाली, लागत संबंधी प्रक्रियाएं, भुगतान आवेदन, सुरक्षा घटना रिपोर्टिंग, प्रगति माप प्रणाली और विभिन्न प्रकार के अनुमोदन और संचार प्रक्रियाएँ शामिल हैं। संपूर्ण एकीकृत पीएमआईएस प्रणाली में प्राइमावेरा यूनिफायर, पी6, डैशबोर्ड रिपोर्टिंग के लिए एनालिटिक्स और ईबीएस संबंधित मॉड्यूल शामिल हैं। एमएचएसआर परियोजना की प्रभावी निगरानी और नियंत्रण के लिए, पीएमआईएस को आंतरिक वित्तीय मॉड्यूल के साथ एकीकृत किया गया है और विभिन्न हितधारकों की सहायता से वर्ष के दौरान समग्र प्रक्रियाओं/ कार्य प्रवाहों का निर्माण और विकास किया गया है। सिस्टम में दस्तावेज़ों/डेटा के केंद्रीकृत डेटा प्रबंधन की वास्तुकला है। सभी हितधारक/ उपयोगकर्ता, अर्थात् ठेकेदार, पीएमसी एजेंसियां, नियोक्ता, सलाहकार पीएमआईएस के उभयनिष्ठ मंच पर काम कर रहे हैं एवं साइट और अन्य कार्यालयों से रियल टाइम बेसिस पर सिस्टम/ प्रक्रियाओं को अपडेट करते हैं। साइट से या पारगमन के दौरान एक्सेस और काम करना आसान बनाने के लिए मोबाइल ऐप भी उपलब्ध कराया गया है। यह सिस्टम सपोर्ट मोड में चल रहा है और नए मॉड्यूल या मौजूदा प्रक्रियाओं का संशोधन और मौजूदा सिस्टम का रखरखाव एक सतत प्रक्रिया के रूप में क्रियान्वित किया जाता है।

सिस्टम को सिंगल साइन ऑन मॉड्यूल वाले यूनिफायर यूजर आइडेंटिटी मैनेजमेंट और साथ ही ईबीएस पेट्रोल, आई-एक्सपेंस (कर्मचारियों के दावे और प्रतिपूर्ति का प्रबंधन) और जटिल खरीद मॉड्यूल के माध्यम से संवर्धित किया जा रहा है। इन अतिरिक्त

मॉड्यूलों का कार्यान्वयन 2023-24 में पूरा होने वाला है। आई-एक्सप्रेस मॉड्यूल को फरवरी 2023 में पहले ही गो-लाइव कर दिया गया है।

एनएचएसआरसीएल ने पीएमआईएस और ईबीएस मॉड्यूल की ऑन-प्रिमाइस स्थापना के लिए रेल-टेल डेटा सेंटर से होस्टिंग सेवाएं अधिप्राप्त की हैं। उद्योग की प्रासंगिक प्रथाओं और अनुबंध को नियंत्रित करने वाली शर्तों के अनुसार सिस्टम को अधिक अनुकूलित करने के लिए निरंतर प्रशिक्षण, सुधार और विकास कार्य वर्तमान में किए जा रहे हैं।

ख. सिस्टम, अवसंरचना इत्यादि के क्षेत्र में

1. एनएचएसआरसीएल में आईटी अवसंरचनाओं की भेद्यता मूल्यांकन और प्रक्रिया लेखापरीक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के मानकीकरण परीक्षण एवं गुणवत्ता प्रमाणन (एसटीक्यूसी) के निदेशालय द्वारा जुलाई 2022 में पूरी की जा चुकी है। एसटीक्यूसी वेबसाइटों और अन्य एप्लिकेशन का विशेष परीक्षण, प्रशिक्षण, लेखापरीक्षा और प्रमाणन आयोजित करता है।

उक्त लेखापरीक्षा में कंपनी के सर्वर, फ़ायरवॉल, स्विचों, लोकल एरिया नेटवर्क (एलएएन) कंट्रोलर और अन्य नेटवर्क डिवाइस शामिल हैं। सुरक्षा के लेखापरीक्षा का प्रमाणन प्राप्त करने की प्रक्रिया अत्यधिक तकनीकी है और इसके लिए कई दौर के परीक्षण, त्रुटियों को दूर करना और वेबसाइट के मानकीकरण की आवश्यकता होती है।

2. कंपनी के लिए साइबर संकट प्रबंधन योजना (सीसीएमपी) तैयार की गई है और भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक सेल सीईआरटी-इन को प्रस्तुत की गई है। सीसीएमपी में महत्वपूर्ण आईटी अवसंरचनाओं का विवरण, साइबर सुरक्षा के लिए समर्पित आईटी सेल का प्रस्तावित ढांचा, संकट प्रबंधन समूह (सीएमजी) और मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ) का विवरण, साइबर घटनाओं को संभालने के लिए तैयारी और दिशानिर्देश आदि शामिल हैं। उक्त सीसीएमपी को सीईआरटी-इन द्वारा अप्रैल 2022 में अनुमोदन प्राप्त हुआ है।
3. परिसंपत्तियों के सम्पूर्ण जीवन चक्र के दौरान वास्तुकला, इंजीनियरिंग, निर्माण और संचालन में डिजिटल रूपांतरण के माध्यम से परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए सूचना बनाने और प्रबंधित करने के लिए हार्ड-एंड बिल्डिंग इनफार्मेशन मॉडलिंग सर्वर और संबंधित सॉफ्टवेयर अधिप्राप्त किए गए हैं।

ख. मानव संसाधन (एचआर)

आपकी कंपनी मानव संसाधन को अत्यधिक महत्व देती है। कंपनी की मानव संसाधन नीतियों का उद्देश्य उपलब्ध सर्वोत्तम प्रतिभा को आकर्षित करना और बनाए रखना है। कर्मचारियों की भर्ती पीएसयू, मेट्रो कंपनियों, निजी क्षेत्र से की गई है या सामान्य रूप से केंद्र/राज्य सरकार के विभागों और केंद्रीय/राज्य पीएसयू आदि से प्रतिनियुक्ति पर ली गई है।

आपकी कंपनी की जनशक्ति 31 मार्च 2022 को 399 (75 प्रतिनियुक्तिवादियों सहित) से घटकर 31 मार्च 2023 को 387 (74 प्रतिनियुक्तिवादियों सहित) हो गई है।

वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए विभिन्न स्वास्थ्य जांच शिविर और टीकाकरण अभियान का आयोजन किया, इसके अलावा कर्मचारियों के लिए एर्गोनॉमिक रूप से डिज़ाइन किए गए वर्कस्टेशन और कमर को सहारा देने वाली कुर्सियां, कार्यस्थल पर कम शोर और धूल मुक्त वातावरण; कर्मचारियों के लिए पूल परिवहन; निर्दिष्ट आयु के बाद कर्मचारियों के लिए नियमित निवारक स्वास्थ्य जांच सुविधा; इत्यादि जैसे कल्याणकारी उपाय निरंतर किए हैं।

आपकी कंपनी महिला कर्मचारियों को एक अनुकूल और सुरक्षित माहौल प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यस्थलों पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न और शोषण के मामलों की जांच के लिए, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया था। 2022-23 के दौरान कंपनी को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। वर्ष के दौरान, कंपनी ने अत्यंत जोश और उत्साह के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया है।

2022-23 के दौरान, कंपनी के अधिकारियों को निम्नलिखित व्यावसायिक कार्यक्रमों/ प्रशिक्षणों/ कार्यशालाओं/ संगोष्ठियों आदि के लिए नामित किया गया है:

- क) महिला अधिकारियों के लिए अखिल भारतीय प्रबंधन संघ (एआईएमए) द्वारा विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, अर्थात 'महिला लीडरशिप कार्यशाला' – जिसमें दो (2) महिला कर्मचारियों ने भाग लिया था।
- ख) लगभग 67 कर्मचारियों ने कई संस्थानों/ निकायों द्वारा आयोजित विभिन्न घरेलू प्रशिक्षणों (ऑनलाइन और ऑफलाइन) में भाग लिया, जिसमें सामान्य प्रबंधन से लेकर तकनीकी विषयों तक विभिन्न विषयों/पहलुओं को शामिल किया गया था।

इसके अलावा, कंपनी अपने कर्मचारियों को जापानी भाषा दक्षता प्रदान करना जारी रखती है।

कंपनी अपने कर्मचारियों के मध्य खेल को प्रोत्साहित करती रही है। वर्ष के दौरान, कंपनी द्वारा टेनिस, बैडमिंटन, क्रिकेट टूर्नामेंट आदि जैसी विभिन्न खेल गतिविधियाँ भी आयोजित की गईं।

आपकी कंपनी ने 12 फरवरी 2023 को रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ और रेलवे बोर्ड के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में अपना स्थापना दिवस मनाया। कंपनी के सभी परियोजना कार्यालयों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उत्सव के साथ जोड़ा गया था। इस अवसर पर कर्मचारियों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों की सराहना की गई और उन्हें पुरस्कृत किया गया। कंपनी के कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए विभिन्न अंदरूनी और बाहरी खेलों का भी आयोजन किया गया।

XI. सतर्कता

सतर्कता विभाग का नेतृत्व कंपनी के एक पूर्णकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) द्वारा किया जाता है और इनकी सहायता दो सदस्यों की एक टीम करती है।

निम्नलिखित छह महत्वपूर्ण क्षेत्रों और संबंधित जानकारी, जैसे संपत्ति प्रबंधन, परिसंपत्तियों का प्रबंधन, रिकॉर्ड प्रबंधन, प्रौद्योगिकीय पहल, दिशानिर्देश/ मैनुअल/ परिपत्रों का अद्यतनीकरण और शिकायतों का निपटान के संबंध में कंपनी द्वारा दिल्ली और परियोजना कार्यालयों में जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न पहल/ कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।

भ्रष्टाचार विरोधी संदेशों के प्रसार के लिए और अखंडता के साथ आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने वाले एक सतर्क भारत के विजन पर जोर देने के लिए साइक्लोन, वॉकथॉन, क्रिकेट और सांस्कृतिक गतिविधियों (नुक्कड़ नाटक आदि) जैसे खेल आयोजन किए गए हैं।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान भारत के माननीय प्रधान मंत्री द्वारा सीवीसी के एक समाचार पत्र का अनावरण किया गया, जिसमें कंपनी द्वारा 'वेब आधारित केंद्रीकृत परियोजना प्रबंधन सूचना प्रणाली (पीएमआईएस)' पर लिखा गया एक लेख शामिल था जो एमएचएसआर परियोजना और पैकेज प्रदर्शन के एकीकृत दृष्टिकोण पर प्रकाश डालता है।

कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान "सतर्कता प्रशासन" और "नैतिकता, कार्य संस्कृति और सतर्कता" पर दो कार्यशालाएँ आयोजित की गईं ताकि कर्मचारियों को इनसे अवगत कराया जा सके।

कंपनी ने 2021-22 के दौरान विभिन्न सतर्कता मंजूरी उद्देश्यों के लिए भौतिक मोड से ईऑफिस में माइग्रेट किया था।- शिकायत ट्रेकिंग के लिए एक समर्पित सतर्कता सूचना प्रणाली विकसित की गई है और सिस्टम को अंतिम उत्पादन मोड में ले जाने से पहले अन्य सतर्कता संबंधी व्यावसायिक मॉड्यूल और उपयोगकर्ता परीक्षण के साथ इसका एकीकरण चल रहा है।

XII. लोगो, पुरस्कार एवं मान्यताएं

आपकी कंपनी को 2022-23 के दौरान निम्नलिखित पुरस्कार प्राप्त हुए हैं:

1. व्यावसायिक उत्कृष्टता, परिचालन प्रदर्शन उत्कृष्टता, विकास, उत्पादन, निवेश के प्रति सकल योगदान और रोजगार को बढ़ावा देने, सीएसआर, आत्मनिर्भर भारत, अनुसंधान और नवाचार की दिशा में संगठन के प्रयासों और उपलब्धियों के लिए राष्ट्र निर्माण में 'सर्वश्रेष्ठ संचार आउटरीच' की श्रेणी में 9वां पीएसयू पुरस्कार, जिसका आयोजन गवर्नर्स नाउ द्वारा किया गया था। यह पुरस्कार 16 फरवरी 2023 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में प्रदान किया गया।
2. तीन श्रेणियों, अर्थात 'वर्ष का सर्वश्रेष्ठ संगठन - पीआर उत्कृष्टता'; मीडिया संबंधों का सर्वोत्तम उपयोग'; और पीआर और संचार की दिशा में 'सामग्री का सर्वोत्तम उपयोग'; व्यापक जनसंपर्क संदर्भ में मीडिया संबंधों के सफल उपयोग की दिशा में, जो कल्पना को कैप्चर करता है और ग्राहक के उद्देश्यों को पूरा करता है; और एक सफल जनसंपर्क अभियान



शोर अवरोधक निर्माण कार्य प्रगति पर, नवसारी, गुजरात

में सामग्री के सबसे मौलिक और प्रभावी उपयोग की दिशा में 16वां ग्लोबल कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव पुरस्कार, जिसका आयोजन विश्व संचार परिषद (डब्ल्यूसीसी) के तत्वावधान में भारतीय जनसंपर्क परिषद (पीआरसीआई) द्वारा किया गया था। यह पुरस्कार 11 और 12 नवंबर 2022 को कोलकाता में आयोजित एक समारोह में प्रदान किया गया।

आपकी कंपनी ट्रेड मार्क्स अधिनियम, 1999 के तहत अपने पूर्व पंजीकृत ट्रेडमार्क अर्थात लोगो के साथ-साथ अपने नाम के संक्षिप्त नाम को भी पंजीकृत करने की प्रक्रिया में है।

अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में उपस्थिति

एनएचएसआरसीएल ने रेलवे मंडप के हिस्से के रूप में 14 से 27 नवंबर 2022 तक प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2022 में एमएचएसआर परियोजना की खास विशेषताओं का प्रदर्शन किया, जहां आगंतुकों ने भारत की पहली हाई स्पीड रेल परियोजना के बारे में पूछताछ की।

एनएचएसआरसीएल ने 17 से 19 नवंबर 2022 तक लखनऊ में रेलवे डिज़ाइन मानक संगठन (आरडीएसओ) ग्राउंड में आयोजित इनोरेल 2022 में भी भाग लिया।

XIII. विज़न और मिशन

आपकी कंपनी ने निम्नलिखित को अपने विज़न और मिशन के रूप में अपनाया है:

I. विज़न:

जीवन की बेहतर गुणवत्ता और देश के विकास के लिए तकनीकी उत्कृष्टता के साथ सुरक्षित, विश्वसनीय और दीर्घकालिक हाई स्पीड रेल सेवाएं प्रमुहैया करना।

II. उद्देश्य:

1. ग्राहकों के लिए एक दक्ष, सुरक्षित, संधारणीय और विश्वसनीय परिवहन का विकल्प उपलब्ध करना।
2. अत्याधुनिक हाई स्पीड रेल यातायात अवसंरचना के निर्माण, परिचालन और अनुरक्षण के द्वारा संपूर्ण राष्ट्र के लोगों को एक-दूसरे से जोड़ना।
3. हाईस्पीड रेल तकनीकी के समावेशीकरण, स्वदेशीकरण और नवोन्मेष को बढ़ावा देना।

XIV. बोर्ड कमिटियाँ

क. कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति

आपकी कंपनी ने अभी तक वाणिज्यिक परिचालन शुरू नहीं किया है और इसलिए वित्तीय वर्ष के दौरान कोई परिचालन लाभ अर्जित नहीं किया है।

आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार सीएसआर कार्य करने के उद्देश्य से एक बोर्ड स्तर की 'कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति' का गठन किया है, जिसे 'सीएसआर समिति' के नाम से जाना जाता है। एक नोडल अधिकारी और उनकी टीम उक्त समिति को सहायता प्रदान कर रही है।

सीएसआर समिति, इसकी संरचना, बैठकों में उपस्थिति, सीएसआर बजट, सीएसआर गतिविधियाँ आदि के बारे में विवरण '2022-23 के लिए सीएसआर गतिविधियों पर रिपोर्ट' में उल्लिखित है जो निदेशकों की रिपोर्ट का हिस्सा है और इस रिपोर्ट के परिशिष्ट - 1 के रूप में संलग्न है।

ख. अन्य समितियाँ

कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 4 के साथ पढ़ी गई कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(4) के अनुसार एक संयुक्त उद्यम असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी होने के कारण आपकी कंपनी को अपने बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक रखने की आवश्यकता नहीं है।

नतीजतन, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति और लेखा परीक्षा समिति का गठन कंपनी (बोर्ड की बैठकें और उसकी शक्तियाँ) नियम, 2014 के नियम 6 के साथ पढ़ी गई धारा 177 और 178 के प्रावधानों के अनुसार नहीं किया जा सकता है।

इसके अलावा, हितधारक संबंध समिति (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के तहत) का गठन भी लागू नहीं होता है क्योंकि कंपनी के सदस्यों/ शेयरधारकों की संख्या 1000 से कम है।

तदनुसार, कंपनी के पास ये तीनों समितियाँ मौजूद नहीं हैं।

XV. कॉरपोरेट गवर्नेंस

आपकी कंपनी कॉरपोरेट प्रशासन की सच्ची भावना का पालन करती है और पारदर्शिता, जवाबदेही, नैतिक संचालन प्रथाओं और पेशेवर प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करके सर्वोत्तम प्रशासन प्रथाओं को लागू करती है।

XVI. निदेशक मंडल

क. बोर्ड की संरचना

कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अनुसार, निदेशक मंडल में निदेशकों की संख्या 3 से कम और 15 से अधिक नहीं होगी।

वर्तमान में, पूर्णकालिक निदेशकों के पांच पद [अर्थात्, प्रबंध निदेशक, निदेशक परियोजना, निदेशक वित्त, निदेशक चल स्टॉक एवं निदेशक (विद्युत एवं प्रणाली)], रेलवे मंत्रालय से नामित निदेशकों के तीन (3) पद (अंशकालिक अध्यक्ष सहित) एवं प्रत्येक राज्य सरकार अर्थात् गुजरात और महाराष्ट्र से एक (1) नामित निदेशक का पद परिचालन अधीन है।

31 मार्च 2023 को, आपकी कंपनी के बोर्ड में आठ (8) निदेशक अर्थात्, चार (4) पूर्णकालिक निदेशक [तत्कालीन निदेशक परियोजना {और एमडी के पद का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे}, निदेशक वित्त, निदेशक चल स्टॉक एवं निदेशक (विद्युत एवं प्रणाली)], रेल मंत्रालय से तीन (3) नामित निदेशक (अंशकालिक अध्यक्ष सहित) और गुजरात सरकार से एक (1) नामित निदेशक शामिल थे।

वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद:

क) महाराष्ट्र सरकार ने श्री परागजैन नैनुतिया को अंशकालिक निदेशक के रूप में नामित किया है। श्री जैन 11 अप्रैल 2023 को एनएचएसआरसीएल के बोर्ड में शामिल हुए हैं।

- ख) रेलवे बोर्ड के दिनांक 8 मई 2023 के पत्र के अनुसार, श्री राजेंद्र प्रसाद ने 8 मई 2023 से प्रबंध निदेशक (एमडी) के पद का कार्यभार ग्रहण करने के साथ निदेशक परियोजना के पद का अतिरिक्त प्रभार भी ग्रहण किया है।
- ग) श्री अरुण बिजलवान ने रेलवे बोर्ड के दिनांक 19 अक्टूबर 2022 के पत्र के अनुसार सेवानिवृत्ति पर 30 जून 2023 को निदेशक वित्त के पद का प्रभार छोड़ दिया है।
- घ) श्री विवेक प्रकाश त्रिपाठी, महाप्रबंधक / सामरिक वित्त ने रेलवे बोर्ड के पत्र दिनांक 23 जून 2023 के अनुसार 1 जुलाई 2023 से निदेशक वित्त के पद का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया है और पद पर नियमित पदधारी की नियुक्ति तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो पद पर बने रहेंगे।

ख. वर्ष के दौरान निदेशक पद में परिवर्तन

सभी निदेशकों को कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) से निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) प्राप्त होने के बाद कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152(3) के अनुसार कंपनी के बोर्ड में नियुक्त किया जाता है, जिसमें यह प्रावधान है कि कंपनी के निदेशक के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक उसे डीआईएन आवंटित न किया गया हो।

कंपनी के बोर्ड में निदेशकों को कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुसार केंद्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाता है।

वर्ष के दौरान, कंपनी के निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं:

- क) श्री राजेंद्र प्रसाद, तत्कालीन निदेशक परियोजना ने अपने स्वयं के पदभार के साथ 7 जुलाई 2022 को श्री सतीश चंद्र अग्निहोत्री के स्थान पर एमडी के पद का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया है, जिन्होंने रेलवे बोर्ड के पत्र के अनुसार 7 जुलाई 2022 को एमडी के पद का प्रभार छोड़ दिया था।
- ख) भारत सरकार के रेल मंत्रालय (एमओआर) ने सुश्री अन्विता सिन्हा को सुश्री पेटल दिल्लन के स्थान पर अंशकालिक निदेशक के रूप में नामित किया है, जो 18 जून 2022 से कंपनी की निदेशक नहीं रहीं। सुश्री सिन्हा 12 जुलाई 2022 को बोर्ड में शामिल हुईं।
- ग) रेल मंत्रालय ने श्री मुकुल सरन माथुर को श्री आर.एन. सिंह के स्थान पर अंशकालिक निदेशक के रूप में नामित किया है, जिन्होंने 7 नवंबर 2022 को रेलवे बोर्ड से अपने पद का प्रभार छोड़ दिया था। श्री माथुर 6 जनवरी 2023 को बोर्ड में शामिल हुए।
- घ) रेल मंत्रालय ने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ श्री अनिल कुमार लाहोटी को श्री वी.के. त्रिपाठी के स्थान पर अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नामित किया है, जो 31 दिसंबर 2022 को सेवानिवृत्त हुए। श्री लाहोटी 22 फरवरी 2023 को बोर्ड में शामिल हुए।

ग. निदेशकों का पारिश्रमिक

एक सरकारी कंपनी होने के नाते, आपकी कंपनी के पूर्णकालिक निदेशक सरकार द्वारा जारी उनकी नियुक्ति के नियमों और शर्तों के अनुसार औद्योगिक महंगाई भत्ता (आईडीए) / केंद्रीय महंगाई भत्ता (सीडीए) वेतनमान के अनुसार पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं।

भारत सरकार (जीओआई) और भाग लेने वाली राज्य सरकारों द्वारा मनोनीत नामित निदेशक, निदेशक के रूप में अपनी भूमिका के लिए कंपनी से कोई पारिश्रमिक नहीं लेते हैं, बल्कि सरकारी अधिकारी होने के नाते संबंधित सरकार से केंद्रीय महंगाई भत्ता (सीडीए) वेतनमान के तहत अपना पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं।

घ. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

कंपनी के सभी पूर्णकालिक निदेशकों [अर्थात्, प्रबंध निदेशक, निदेशक परियोजना, निदेशक वित्त (और मुख्य वित्तीय अधिकारी), निदेशक चल स्टॉक, निदेशक (विद्युत एवं प्रणाली)] और कंपनी सचिव को कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी के बोर्ड द्वारा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक घोषित किया गया है।

इ. बोर्ड की बैठकें और उपस्थितियाँ

आपकी कंपनी के निदेशक मंडल की वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान चार (4) बार, अर्थात्, 23 मई 2022, 26 अगस्त 2022, 23 नवंबर 2022 और 10 मार्च 2023 को बैठकें हुई हैं।

2022-23 के दौरान आयोजित बोर्ड बैठकों और वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के संबंध में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	बोर्ड की बैठकों की संख्या		पिछले एजीएम में उपस्थिति (22.12.2022 को आयोजित)
			निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित	बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित थे	
1.	श्री अनिल कुमार लाहोटी (डीआईएन – 10053659) अध्यक्ष एवं सीईओ, रेलवे बोर्ड	अंशकालिक अध्यक्ष (भारत सरकार द्वारा नामित) (22 फरवरी 2023 से)	1	1	लागू नहीं है
2.	श्री राजेंद्र प्रसाद (डीआईएन – 08006234)	प्रबंध निदेशक (पूर्णकालिक निदेशक)	4	4	हाँ
3.	श्री अरुण बिजलवान (डीआईएन – 08012372)	निदेशक वित्त (पूर्णकालिक निदेशक)	4	4	नहीं
4.	श्री विजय कुमार (डीआईएन – 08205585)	निदेशक चल स्टॉक (पूर्णकालिक निदेशक)	4	4	हाँ
5.	श्री संदीप कुमार (डीआईएन – 08206781)	निदेशक (विद्युत एवं प्रणाली) (पूर्णकालिक निदेशक)	4	4	हाँ
6.	श्री मुकुल सरन माथुर (डीआईएन – 07361718), प्रधान कार्यकारी निदेशक/ इन्फ्रा, रेलवे बोर्ड	अंशकालिक निदेशक (भारत सरकार द्वारा नामित) (6 जनवरी 2023 से)	1	1	लागू नहीं है
7.	सुश्री अन्विता सिन्हा (डीआईएन – 09670512), कार्यकारी निदेशक/ स्थापना (राजपत्रित संवर्ग), रेलवे बोर्ड	अंशकालिक निदेशक (भारत सरकार द्वारा नामित) (12 जुलाई 2022 से)	3	3	हाँ
8.	श्री हरेशकुमार चंदूलाल मोदी (डीआईएन – 08626316), मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय राजमार्ग) एवं अपर सचिव, सड़क एवं भवन विभाग, गुजरात सरकार	अंशकालिक निदेशक (गुजरात सरकार द्वारा नामित)	4	4	हाँ
9.	श्री पराग जैन नैनुतिया (डीआईएन – 00295846) प्रमुख सचिव (परिवहन एवं बंदरगाह), महाराष्ट्र सरकार	अंशकालिक निदेशक (महाराष्ट्र सरकार द्वारा नामित) (11 अप्रैल 2023 से)	लागू नहीं है		
10.	श्री सतीश चन्द्र अग्निहोत्री (डीआईएन – 01637856)	प्रबंध निदेशक (पूर्णकालिक निदेशक) (1 जुलाई 2021 से 7 जुलाई 2022 तक पद पर रहे)	1	1	लागू नहीं है

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	बोर्ड की बैठकों की संख्या		पिछले एजीएम में उपस्थिति (22.12.2022 को आयोजित)
			निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित	बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित थे	
11.	श्री विनय कुमार त्रिपाठी (डोआईएन – 09463988) अध्यक्ष एवं सीईओ, रेलवे बोर्ड	अंशकालिक अध्यक्ष (भारत सरकार द्वारा नामित) (20 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक पद पर रहे)	3	3	हाँ
12.	श्री रविन्द्र नाथ सिंह (डोआईएन – 08488013), प्रधान कार्यकारी निदेशक/इन्फ्रा, रेलवे बोर्ड	अंशकालिक निदेशक (भारत सरकार द्वारा नामित) (19 जून 2019 से 7 नवंबर 2022 तक पद पर रहे)	2	2	लागू नहीं है
13.	सुश्री पेटल दिल्लन (डोआईएन – 09481402), कार्यकारी निदेशक/ व्यापार विकास, रेलवे बोर्ड	अंशकालिक निदेशक (भारत सरकार द्वारा नामांकित) (27 जनवरी 2022 से 17 जून 2022 तक पद पर रहीं)	1	1	लागू नहीं है

सुश्री सुमीता शर्मा, कंपनी सचिव, ने 2022-23 के दौरान आयोजित कंपनी की सभी बोर्ड बैठकों और एजीएम में भाग लिया।

XVII. आचार एवं नैतिकता संहिता

आपकी कंपनी ने अपने कर्मचारियों, वरिष्ठ प्रबंधन और निदेशक मंडल के लिए 1 जून 2018 से एक आचरण और नैतिकता संहिता लागू की है, जिसमें कार्य संबंधी मुद्दों और आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में आने वाली दुविधाओं से निपटने के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया गया है।

निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन टीम के सभी सदस्यों ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए उक्त आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

XVIII. आम सभा की बैठकें

क. पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों (एजीएम) का विवरण इस प्रकार है:

वित्तीय वर्ष	बैठक आयोजन की तिथि	समय	स्थान
2021-22 (6ठी एजीएम)	22 दिसंबर, 2022	1700 बजे	समिति कक्ष क्रमांक- 237, रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली
2020-21 (5वीं एजीएम)	16 नवम्बर, 2021	1630 बजे	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से
2019-20 (4थी एजीएम)	28 सितम्बर, 2020	1200 बजे	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से

ख. उपरोक्त एजीएम (6ठी) में एक विशेष प्रस्ताव की आवश्यकता थी जिसे पारित किया गया था।

ग. वर्ष 2022-23 के दौरान कोई विशेष आम बैठक (ईजीएम) आयोजित नहीं की गई है।

घ. चालू वर्ष के लिए एजीएम - 2022-23 के लिए कंपनी की प्रस्तावित 7वीं एजीएम निम्नलिखित विवरण के अनुसार आयोजित होने वाली है:

दिन	-	शुक्रवार
तारीख	-	29 सितम्बर, 2023
समय	-	1300 बजे
स्थान	-	रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली

XIX. कंपनी की वेबसाइट

आपकी कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट www.nhsrcl.in है। कंपनी से संबंधित सभी प्रमुख जानकारी, जिसमें व्यवहार्यता अध्ययन रिपोर्ट, परियोजना की स्थिति सहित परियोजना के तकनीकी विवरण, एसआईए / आरएपी और आईपीपी रिपोर्ट, निविदा विवरण, साबरमती मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट हब के बारे में विवरण, विभिन्न रिक्तियां और ऐसी रिक्तियों के परिणाम आदि शामिल हैं, कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर विभिन्न भाषाओं (अंग्रेजी भाषा के अलावा) जैसे कि हिंदी, गुजराती, मराठी और जापानी में उपलब्ध हैं।

कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है - <https://nhsrcl.in/index.php/hi/about-us/annual-report>



गुजरात के अहमदाबाद एचएसआर स्टेशन पर कार्य प्रगति पर

XX. लेखापरीक्षक

क. सांविधिक लेखापरीक्षक

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी & एजी) ने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार 2022-23 के लिए मैसर्स एकेजीवीजी एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया है।

ख. सचिवीय लेखा परीक्षक

आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार 2022-23 के लिए कंपनी की सचिवीय लेखापरीक्षा के लिए मैसर्स अखिल रोहतगी एंड कंपनी, कंपनी सचिवों को कंपनी के सचिवीय लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

ग. आंतरिक लेखा परीक्षक

आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार 2022-23 के लिए कंपनी के आंतरिक लेखापरीक्षा के संचालन के लिए मैसर्स अशोक श्याम एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को कंपनी के आंतरिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

XXI. निदेशकों के उत्तरदायित्वों का विवरण

आपकी कंपनी का निदेशक मंडल पुष्टि करता है कि:

- वार्षिक लेखों की तैयारी में, मेटेरियल डिपार्चर से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखाकरण मानकों का पालन किया गया है।

- ii) ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन और उन्हें लगातार लागू किया गया था एवं ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए गए थे जो उचित और विवेकपूर्ण थे ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों की स्थिति एवं उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ और हानि के बारे में सही और निष्पक्ष राय दी जा सके;
- iii) कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा एवं धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लेखांकन के पर्याप्त रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त ध्यान दिया गया था;
- iv) वार्षिक खाते चालू संस्था के आधार पर तैयार किए गए थे; और
- v) सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियाँ तैयार की गई थीं और यह कि ऐसी प्रणालियाँ पर्याप्त थीं और प्रभावी ढंग से काम कर रही थीं।

XXII. अन्य प्रासंगिक दस्तावेज़

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार प्रासंगिक अनुलग्नकों के साथ निम्नलिखित रिपोर्ट/ दस्तावेज़ इसके नियमों के साथ पढ़े जाने पर इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग बनते हैं और इन्हें यहां क्रमांकित परिशिष्टों के रूप में संलग्न किया गया है:

- | | |
|--|---------------------|
| 1. 2022-23 के लिए सीएसआर गतिविधियों पर रिपोर्ट | परिशिष्ट - 1 |
| 2. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट
सचिवीय लेखा परीक्षक ने पाया है कि कंपनी ने आवेदन राशि प्राप्त होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर इक्विटी शेयर आवंटित नहीं किए हैं जो कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 के अधीन करना आवश्यक है। मामले के बारे में स्पष्टीकरण 'शेयर पूंजी की संरचना' शीर्षक के तहत क्रमांक VI(ग) में प्रदान किया गया है। | परिशिष्ट - 2 |
| 3. वित्तीय विवरण पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में निहित योग्यता के लिए प्रबंधन का उत्तर | परिशिष्ट - 3 |
| 4. सी एंड एजी की टिप्पणियाँ और उस पर प्रबंधन का उत्तर इस रिपोर्ट का अभिन्न अंग हैं | |

XXIII. अभिस्वीकृति

कंपनी के साथ निरंतर सहयोग करने के लिए हम भारत और जापान की सरकारों; रेल मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों; गुजरात एवं महाराष्ट्र की राज्य सरकारों; भारत और जापान के राजदूतों और दूतावासों; नीति आयोग; औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी); जेट्रो के अधिकारियों; जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए); जापान इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स (जेआईसी) और जेआर ईस्ट; और विभिन्न मीडिया चैनलों के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता जताते हैं।

हम कंपनी के सभी कर्मचारियों का तहे दिल से सराहना भी करते हैं जिन्होंने कंपनी के प्रति समर्पण और निष्ठा दिखाया है।

निदेशक मंडल के लिए एवं उसकी ओर से

(राजेन्द्र प्रसाद)	(विवेक प्रकाश त्रिपाठी)
प्रबंध निदेशक	निदेशक वित्त
[डीआईएन: 08006234]	[डीआईएन: 10216466]

दिनांक : 29 सितम्बर 2023*

स्थान : नई दिल्ली

* निदेशकों की रिपोर्ट 20 जुलाई 2023 को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित की गई है। एजीएम के दिन, तिथि और समय में संशोधन 'शुक्रवार, 18 अगस्त 2023 को 1700 बजे' से 'शुक्रवार, 29 सितंबर 2023 को 1300 बजे' तक के साथ ही सीएंडएजी की टिप्पणियाँ और उस पर प्रबंधन के जवाब निदेशक मंडल द्वारा 29 सितंबर 2023 को अनुमोदित किए गए हैं।

2022-23 के लिए सीएसआर गतिविधियों पर रिपोर्ट

1. कंपनी की सीएसआर नीति का संक्षिप्त सारांश:

एक जिम्मेदार कॉरपोरेट इकाई के रूप में, कंपनी समाज के उत्थान और बेहतरी के लिए कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) की अवधारणा के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी नैतिकता, समावेशिता, पारदर्शिता और शासन के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए अपने व्यवसाय को सामाजिक रूप से जिम्मेदार तरीके से संचालित करने का प्रयास करती है। कंपनी देश में सतत विकास को बढ़ावा देने की दिशा में भी काम करती है।

सीएसआर नीति का उद्देश्य हितधारकों की अपेक्षाओं के अनुरूप परिणाम आधारित और प्रभाव-उन्मुख तरीके से कार्य करना है। समाज के वंचित, उपेक्षित और कमजोर वर्गों को प्राथमिकता दी जाएगी और साथ ही उन जिलों या उससे सटे जिलों के निवासियों को काम में प्राथमिकता दी जाएगी जहां कंपनी काम कर रही है।

कंपनी ने सीएसआर गतिविधियों के चयन के लिए एक प्रणाली बनाई है, जिसके तहत क्षेत्रीय स्तर के कार्यालय हितधारकों के साथ बातचीत के बाद स्थानीय जरूरतों के आधार पर सीएसआर प्रस्ताव की सिफारिश कर सकते हैं।



मोतियाबिंद शल्य चिकित्सा की पहचान हेतु शिविर, ठाणे, महाराष्ट्र

2. सीएसआर समिति की संरचना:

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार एक बोर्ड स्तरीय सीएसआर समिति (एक अंशकालिक निदेशक की अध्यक्षता के अधीन) का गठन किया है। सीएसआर समिति कंपनी द्वारा की गई सभी गतिविधियों की निगरानी करके सीएसआर एजेंडे के कार्यान्वयन की निगरानी और सुनिश्चित करती है। उक्त बोर्ड स्तरीय समिति को एक नोडल अधिकारी और उनकी टीम से सहायता मिलती है।

श्री अंजुम परवेज़, पीईडी/योजना एवं विकास एवं सीएसआर नोडल अधिकारी, अनुमोदित सीएसआर गतिविधियों के कार्यान्वयन की समीक्षा और अनुवीक्षण में सीएसआर समिति का मार्गदर्शन/संवीक्षा एवं सहायता करते हैं। नोडल अधिकारी सीएसआर समिति की बैठकों में स्थायी रूप से आमंत्रित सदस्य भी होते हैं।

31 मार्च 2023 तक, सीएसआर समिति के सदस्य हैं: अध्यक्ष के रूप में श्री एच.सी. मोदी, अंशकालिक निदेशक, और साथ ही इसके सदस्यों के रूप में श्री अरुण बिजलवान, निदेशक वित्त और श्री विजय कुमार, निदेशक चल स्टॉक और समिति के सचिव के रूप में सुश्री सुमीता शर्मा, कंपनी सचिव।

वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद, जून 2023 में सीएसआर समिति का पुनर्गठन किया गया, जिसमें श्री संदीप कुमार, निदेशक (विद्युत एवं प्रणाली) को श्री अरुण बिजलवान, निदेशक वित्त, जो 30 जून 2023 को सेवानिवृत्त हुए के स्थान पर समिति के सदस्य के रूप में नामित किया गया।

2022-23 के दौरान, सीएसआर समिति की तीन (3) बैठकें हुईं, अर्थात् 23 अगस्त 2022 को, 18 नवंबर 2022 को और 9 मार्च 2023 को। उक्त तीन बैठकों में उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पदनाम/ निदेशक पद की प्रकृति	सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या	
			निदेशक के रूप में कार्यकाल के दौरान आयोजित किया गया	उपस्थित
1	श्री एच. सी. मोदी	अंशकालिक निदेशक (और अध्यक्ष, सीएसआर समिति)	3	3
2	श्री राजेंद्र प्रसाद (20.07.2022 तक)	प्रबंध निदेशक (और सदस्य, सीएसआर समिति)	लागू नहीं है	
3	श्री अरुण बिजलवान (26.06.2023 तक)	निदेशक वित्त (और सदस्य, सीएसआर समिति)	3	3
4	श्री विजय कुमार (20.07.2022 से)	निदेशक चल स्टॉक (और सदस्य, सीएसआर समिति)	3	3
5	श्री संदीप कुमार (26.06.2023 से)	निदेशक (विद्युत एवं प्रणाली) (और सदस्य, सीएसआर समिति)	लागू नहीं है	

नोडल अधिकारी और कंपनी सचिव दोनों ने 2022-23 के दौरान आयोजित कंपनी की उपरोक्त तीनों सीएसआर समिति की बैठकों में भाग लिया था।



कृत्रिम अंगों का वितरण, आणंद, गुजरात

3. वेब-लिंक जिस पर सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं के बारे में कंपनी की वेबसाइट पर प्रकट किया गया है:
 - क) सीएसआर समिति की संरचना एवं बोर्ड द्वारा अनुमोदित तथा कंपनी द्वारा शुरू की गई सीएसआर परियोजनाएं—
<https://nhsrcl.in/hi/about-us/latest-social-initiatives>
 - ख) सीएसआर नीति (समय-समय पर संशोधित) - <https://nhsrcl.in/sites/default/files/2023-01/Amended%20CSR%20Policy.pdf>
4. कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8(3) के अनुसरण में सीएसआर परियोजनाओं पर किए गए प्रभाव मूल्यांकन के वेब-लिंक के साथ कार्यकारी सारांश : लागू नहीं
5. (क) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(5) के अनुसार पिछले तीन वित्तीय वर्षों [अर्थात 2019-20, 2020-21, और 2021-22] के दौरान कंपनी की औसत शुद्ध लाभ राशि 67,13,85,748/- रुपये है।



मोतियाबिंद सर्जरी के बाद लाभार्थी, ठाणे, महाराष्ट्र

क्रम सं.	विवरण	वित्तीय वर्ष-1 2019-20*	वित्तीय वर्ष -2 2020-21*	वित्तीय वर्ष -3 2021-22*
1	कर पूर्व लाभ	70,88,15,442.43	25,39,48,696.09	105,13,93,104.66
2	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 198 के तहत अभिकलित शुद्ध लाभ	70,88,15,442.43	25,39,48,696.09	105,13,93,104.66
3	सीएसआर नीति नियम, 2014 के नियम 2(1)(एच) के तहत अभिकलित शुद्ध लाभ	-	-	-
4	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 (अर्थात 2-3) के लिए कुल शुद्ध लाभ	70,88,15,442.43	25,39,48,696.09	105,13,93,104.66

* कृपया वित्तीय विवरण 2022-23 की नोट संख्या 42 देखें, जिसमें बताया गया है कि पिछले वर्ष के आंकड़ों को, जहां भी आवश्यक हो, पुनर्वर्गीकृत / पुनर्समूहित किया गया है ताकि उन आंकड़ों को वर्तमान वर्ष की प्रस्तुति के अनुरूप पुष्ट किया जा सके।

- ख) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(5) के अनुसार, कंपनी के **औसत शुद्ध लाभ का 2%** 1,34,27,715/- रुपये है।
- ग) कंपनी (सीएसआर) नियम, 2014 के नियम 7(2) के अनुसार, पिछले तीन वित्तीय वर्षों से सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रम या गतिविधियों से कोई **अधिशेष** उत्पन्न नहीं हुआ है।
- घ) कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 7(3) के अनुसरण में **सेट-ऑफ** के लिए उपलब्ध राशि और वित्तीय वर्ष के लिए सेट-ऑफ हेतु आवश्यक राशि:

क्रम सं.	वित्तीय वर्ष	पिछले वित्तीय वर्षों से सेट-ऑफ के लिए उपलब्ध राशि (रुपये में)	वित्तीय वर्ष में सेट ऑफ की जाने वाली आवश्यक राशि, यदि कोई हो (रुपये में)	शेष राशि (रुपये में)
वित्तीय वर्ष-1	2021-22	-- शून्य --		
वित्तीय वर्ष-2	2020-21			
वित्तीय वर्ष-3	2019-20			
कुल				



मोतियाबिंद सर्जरी के लिए पहचान शिविर, पालघर, महाराष्ट्र

इ) वित्तीय वर्ष के लिए **कुल सीएसआर दायित्व** की राशि 1,34,27,715/- रुपये है [अर्थात (ख) + (ग) - (घ)]

च) 2022-23 के लिए व्ययित या अव्ययित सीएसआर राशि:

व्ययित राशि (रुपये में)	अव्ययित राशि (रुपये में)				
	धारा 135(6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित कुल राशि		धारा 135(5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी फंड में अंतरित राशि		
	राशि (रुपये में)	अंतरण की तिथि	फंड का नाम	राशि (रुपये में)	अंतरण की तिथि
84,07,715	50,20,000	31 मार्च 2023	-- शून्य--		

6. क) **प्रशासनिक उपरिव्यय** में खर्च की गई राशि : 0
- ख) **प्रभाव आंकलन** पर खर्च की गई राशि: लागू नहीं है
- ग) - 2022-23 के दौरान **खर्च की गई कुल राशि** : 84,07,715 रुपये
 - वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित **कुल प्रतिबद्ध राशि** : 50,20,000 रुपये
- घ) 2022-23 के दौरान खर्च की गई अतिरिक्त राशि : 0
- इ) आगामी वित्तीय वर्षों में सेट-ऑफ के लिए उपलब्ध राशि : 0
- च) पिछले तीन वित्तीय वर्षों से संबंधित अव्ययित राशि से 2022-23 में शुरू की गई नई सीएसआर परियोजनाओं का विवरण-
- i) नई चल रही परियोजनाओं पर खर्च की गई राशि : लागू नहीं है
- ii) चालू परियोजनाओं के अलावा नई परियोजनाओं पर खर्च की गई राशि : लागू नहीं है

7. (क) चल रही बहु-वर्षीय परियोजनाओं (वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान अनुमोदित) पर खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
क्रम सं.	परियोजना आईडी	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में वर्णित गतिविधियों की सूची से आइटम	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/ नहीं)	परियोजना का स्थान (जिला और राज्य)	परियोजना की अवधि	परियोजना के लिए आवंटित राशि (रुपये में)	वर्तमान वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रुपये में)	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए आवंटित सीएसआर खाते में अंतरित राशि (रुपये में)	कार्यान्वयन का मोड एजेंसी के माध्यम से (हाँ/ नहीं)	कार्यान्वयन का मोड - कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से नाम सीएसआर पंजीकरण संख्या
1.	सीएसआर-6	गुजरात के सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मध्याह्न भोजन परोसने के लिए दो (2) खाद्य वितरण वाहनों की अधिप्राप्ति के लिए सहायता	क्र.सं. VII (i), भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन, निवारक स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना	हाँ	अहमदाबाद और वडोदरा, गुजरात	दो वित्तीय वर्षों में विस्तारित	22,90,000	0	22,90,000	नहीं	अक्षय पात्र फाउंडेशन सीएसआर00000 286
2.	सीएसआर-7	नेत्र शिविर आयोजित करके मोतियाबिंद सर्जरी [अनुमानित 125 लाभार्थी/रोगी] और दृष्टि सही करना [अनुमानित 600 लाभार्थी/ रोगी]	क्र.सं. VII (i), - निवारक स्वास्थ्य देखभाल सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना	नहीं	चमोली, उत्तराखंड	दो वित्तीय वर्षों में विस्तारित	27,30,000	0	27,30,000	नहीं	पैसिफिक क्रिएटिव सोसायटी सीएसआर00004 314
		कुल					50,20,000	0	50,20,000		

(ख) चल रही परियोजनाओं (अर्थात एकल वर्ष परियोजना) (वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान अनुमोदित) के अलावा खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
क्रम सं.	परियोजना आईडी	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में वर्णित गतिविधियों की सूची से आइटम	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/ नहीं)	परियोजना का स्थान (जिला और राज्य)	वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रुपये में)	प्रत्यक्ष (हाँ/ नहीं)	कार्यान्वयन का मोड
								नाम
								कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
								सीएसआर पंजीकरण संख्या
1.	सीएसआर-5	शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को हाईटेक कृत्रिम अंगों का वितरण, अनुमानित आर्थिक रूप से गरीब 160 लाभार्थियों	क्र.सं. VII (i)- निवारक स्वास्थ्य देखभाल सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना	हाँ*	राष्ट्रीय स्तर (अखिल भारत)*	36,50,500	नहीं	श्री नित्यानंद स्वामी एजुकेशन ट्रस्ट
2.	सीएसआर-8	पीएम केयर फंड में योगदान	फंड में योगदान [क्रमांक सं. viii]	हाँ	राष्ट्रीय स्तर (अखिल भारत)	47,57,215	हाँ	लागू नहीं है
		कुल				84,07,715		

* कार्यान्वयन एजेंसी का पंजीकृत कार्यालय गुजरात राज्य में है। हालाँकि, कृत्रिम अंगों के लाभार्थी भारत के विभिन्न अन्य राज्यों से भी थे। इसलिए, परियोजना का स्थान अखिल भारत के रूप में चिह्नित किया गया है।

8. वित्तीय वर्ष 2022-23 में खर्च की गई पिछले तीन वित्तीय वर्षों की अव्ययित सीएसआर राशि का विवरण:

क्रम सं.	पिछले वित्तीय वर्ष	धारा 135(6) के तहत अव्ययित सीएसआर खर्च में अंतर्गत राशि (1 अप्रैल 2022 तक शेष राशि) (रुपये में)	2022-23 में खर्च की गई राशि (रुपये में)	धारा 135(6) के तहत 31 मार्च 2023 को अव्ययित सीएसआर खर्च में शेष राशि, जो आगामी वित्तीय वर्षों में खर्च की जानी है (रुपये में)	धारा 135(5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट फंड में अंतर्गत राशि (नाम, राशि और अंतरण की तारीख के साथ)	अभाव
1.	2019-20					
2.	2020-21					
3.	2021-22	14,87,500	0	14,87,500		-
	सीएसआर - 1					
	सीएसआर - 2	42,50,000	42,50,000	0		
	सीएसआर - 3	48,50,000	24,25,000	24,25,000		
	कुल	1,05,87,500	66,75,000	39,12,500		-

ख) पिछले वित्तीय वर्ष की चल रही परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण:

(1) क्रम सं.	(2) परियोजना आईडी	(3) परियोजना का नाम	(4) वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना शुरू की गई थी	(5) परियोजना अवधि	(6) परियोजना के लिए आवंटित कुल राशि (रुपये में)	(7) 1 अप्रैल 2022 तक खर्च की गई राशि (रुपये में)	(8) 2022-23 के दौरान खर्च की गई राशि (रुपये में)	(9) 31 मार्च 2023 तक खर्च की गई संघयी राशि (रुपये में)	(10) 31 मार्च 2023 तक लंबित राशि	(11) परियोजना की स्थिति – पूरी हो चुकी/चल रही
1	सीएसआर – 1	मोतियाबिंद सर्जरी [अनुमानित 350 रोगियों का]	2021-2022	तीन वित्तीय वर्षों में विस्तारित	14,87,500	0	0	0	14,87,500*	पूरी हो चुकी* (परियोजना फरवरी 2023 में पूरी हुई)
2	सीएसआर – 2	मोतियाबिंद सर्जरी [अनुमानित 1000 रोगियों का]	2021-2022	दो वित्तीय वर्षों में विस्तारित	42,50,000	0	42,50,000	42,50,000	0	पूरी हो चुकी
3	सीएसआर – 3	6 क्लास रूम और आईआईटी रुड़की परिसर में बंधियों के लिए अनुश्रुति अकादमी की पहली मंजिल पर स्थित कॉरिडोर को जोड़ने के लिए 1 फुटब्रिज का निर्माण	2021-2022	तीन वित्तीय वर्षों में विस्तारित	48,50,000	0	24,25,000	24,25,000	24,25,000	चल रही
		कुल			1,05,87,500		66,75,000	66,75,000	39,12,500	

* वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद, कार्यन्वयन एजेंसी द्वारा परियोजना के लिए आवंटित सीएसआर बजट (राशि 14,87,500/- रुपये) का दावा एक बिल में किया गया था। सीएसआर परियोजना के लिए उक्त अंतिम बिल का भुगतान परियोजना पूरी होने की रिपोर्ट की प्राप्ति पर 21 अप्रैल 2023 को किया गया था।

9. वित्तीय वर्ष 2022-23 (पिछले वित्तीय वर्षों सहित) में खर्च की गई कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) राशि के माध्यम से बनाई या अर्जित की गई पूंजीगत संपत्ति से संबंधित विवरण:

क्रम सं.	संपत्ति या परिसंपत्तियों का संक्षिप्त विवरण	संपत्ति या परिसंपत्तियों के पिछ कोड के साथ परियोजना का पूरा पता और स्थान	निर्माण की तारीख	2022-23 के दौरान खर्च की गई सीएसआर राशि	पंजीकृत स्वामी की इकाई/प्राधिकरण/लाभार्थी का विवरण		
					सीएसआर पंजीकरण संख्या	नाम	पंजीकृत पता
1	रुड़की, उत्तराखंड के आईआईटी रुड़की परिसर में बंधियों के लिए अनुश्रुति अकादमी की पहली मंजिल पर कॉरिडोर को जोड़ने के लिए छह (6) क्लास रूम और एक (1) फुटब्रिज का निर्माण	प्रस्तावित पूंजीगत संपत्ति आईआईटी रुड़की के नाम पर निहित होगी। पता: आईआईटी रुड़की कैम्पस, रुड़की, उत्तराखंड - 247667	निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन है	24,25,000* रुपये	सीएसआर00003687	IIT रुड़की	आईआईटी रुड़की कैम्पस, रुड़की, उत्तराखंड - 247667
2	गुजरात में सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मध्याह्न भोजन परोसने के लिए दो (2) खाद्य वितरण वाहनों की अधिप्राप्ति के लिए सहायता	वाहन अभी खरीदे जाने बाकी हैं। प्रस्तावित वाहन अक्षय पात्र फाउंडेशन के नाम पर निहित होंगे।	खरीद प्रक्रियाधीन है	शून्य**	सीएसआर00000286	अक्षय पात्र फाउंडेशन	अक्षय पात्र फाउंडेशन हरे कृष्णा हिल, कॉर्डरोड के पश्चिम, राजाजीनगर, बेंगलुरु, कर्नाटक - 560010

* कंपनी द्वारा 2021-22 के दौरान 48,50,000/- रुपये की कुल राशि का वादा किया गया था।

** कंपनी द्वारा 2022-23 के दौरान 22,90,000 रुपये की कुल राशि का वादा किया गया है।

10. यदि कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का 2% खर्च करने में विफल रही है, तो इसका कारण: लागू नहीं है

निदेशक मंडल के लिए एवं उसकी ओर से

दिनांक : 20 जुलाई 2023	(राजेन्द्र प्रसाद)	(एच.सी. मोदी)	(विजय कुमार)
स्थान : नई दिल्ली	प्रबंध निदेशक	अंशकालिक निदेशक एवं अध्यक्ष, सीएसआर समिति	निदेशक चाल स्टॉक एवं सदस्य, सीएसआर समिति
	[डीआईएन: 08006234]	[डीआईएन: 08686316]	[डीआईएन: 08205585]



अखिल रोहतगी एंड कंपनी

कंपनी सचिव

21, शामनाथ मार्ग, सिविल लाइंस, दिल्ली - 110054

फोन: 9810690633, 8527087435

ईमेल: rohatgi_co_secy@gmail.com

csdelhi84@gmail.com

प्रपत्र सं. एमआर-3

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम संख्या 9 के अनुसार]

सेवा में,

सदस्यगण,

नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड,

पंजीकृत कार्यालय: दूसरी मंजिल, एशिया भवन, रोड नंबर 205, सेक्टर-9, द्वारका, दिल्ली-110077

हमने नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (इसके बाद इसे कंपनी कहा गया है) द्वारा लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छी कॉर्पोरेट प्रथाओं के अनुपालन की सचिवीय लेखापरीक्षा की है। सचिवीय लेखापरीक्षा इस प्रकार से की गई थी जिससे हमें कॉर्पोरेट आचरण/वैधानिक अनुपालन का मूल्यांकन करने तथा उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए उचित आधार मिला।

कंपनी के बहीखाते, कागजात, कार्यवृत्त बही, दायर किए गए प्रपत्रों और रिटर्न तथा कंपनी द्वारा बनाए गए अन्य रिकॉर्ड के सत्यापन के आधार पर और सचिवीय लेखापरीक्षा के संचालन के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, हम एतद्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, कंपनी ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष को कवर करने वाली लेखापरीक्षा अवधि के दौरान यहां नीचे सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि कंपनी के पास इसके बाद उल्लिखित रिपोर्टिंग की सीमा तक, के तरीके से और के अधीन उचित बोर्ड-प्रक्रियाएं और अनुपालन-तंत्र उपलब्ध हैं।

हमने निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा रखे गए बहीखाते, कागजात, कार्यवृत्त बही, प्रपत्रों और रिटर्न और अन्य रिकॉर्ड की जांच निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार की है:

- (i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों।
- (ii) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियम एवं कानून लागू नहीं हैं।
- (iii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1999 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियम लागू नहीं हैं क्योंकि कंपनी के शेयर स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध नहीं हैं।
- (iv) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए विनियम एवं उपनियम लागू नहीं हैं क्योंकि कंपनी के शेयर उक्त अधिनियम के तहत उल्लिखित डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं हैं।

- (v) भारत प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अंतर्गत निर्धारित विनियम एवं दिशानिर्देश लागू नहीं हैं क्योंकि कंपनी के शेयर स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध नहीं हैं।
- (vi) अन्य लागू कानून, नियम और दिशानिर्देशों के अनुसार, जैसा कि नीचे बताया गया है:
- क. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
 - ख. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006
 - ग. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013
 - घ. पर्यावरण कानून यथा लागू
 - ड. श्रम कानून यथा लागू

हमने भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानकों के लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी ने अधिनियम, नियमों, दिशानिर्देशों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है, सिवाय इसके कि समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने आवेदन राशि प्राप्त होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर अपने शेयरधारक को इक्विटी शेयर आवंटित नहीं किए हैं, जैसा कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 42 के तहत आवश्यक है।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि बोर्ड का गठन कार्यकारी निदेशकों और गैर-कार्यकारी निदेशकों के उचित संतुलन के साथ किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में जो बदलाव हुए, वे अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए हैं।

बोर्ड की बैठकें निर्धारित करने के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त सूचना दी गई है, एजेंडा और एजेंडे पर विस्तृत नोट्स कम से कम सात दिन पहले भेजे गए थे और बैठक से पहले एजेंडा आइटम पर अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण मांगने और प्राप्त करने तथा बैठक में अभिप्रायपूर्ण सहभागिता के लिए एक प्रणाली मौजूद है। प्रबंधन की ओर से बताया गया कि बोर्ड के समक्ष चर्चा के लिए रखे गए किसी भी एजेंडे आइटम पर कोई भी सदस्य असहमत नहीं था और बहुमत से निर्णय को पारित किया गया है।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि, जैसा कि प्रबंधन द्वारा सूचित किया गया है, कंपनी में लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप पर्याप्त सिस्टम और प्रक्रियाएं मौजूद हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि समीक्षाधीन अवधि के दौरान प्रत्येक 1,000 रुपये के 1,45,04,300 इक्विटी शेयर गुजरात के राज्यपाल को जारी किए गए थे जिसका समुच्चय 14,50,43,00,000 रुपये था और प्रत्येक 1,000 रुपये के 60,000 इक्विटी शेयर महाराष्ट्र के राज्यपाल को जारी किए गए थे जिसका समुच्चय 6,00,00,000 रुपये था।

अखिल रोहतगी एंड कंपनी के लिए
कंपनी सचिव
पंजी. सं. P1995DE072900

दीपक कुमार
पार्टनर
एम नं.: F10189
सीपी नंबर: 11372
यूडीआईएन: F010189E000653581

दिनांक : 21 जुलाई 2023
स्थान : नई दिल्ली



अखिल रोहतगी एंड कंपनी

कंपनी सचिव

21, शामनाथ मार्ग, सिविल लाइंस, दिल्ली - 110054

फोन: 9810690633, 8527087435

ईमेल: rohatgi_co_secy@gmail.com

csdelhi84@gmail.com

सेवा में,

सदस्यगण,

नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड,

पंजीकृत कार्यालय: दूसरी मंजिल, एशिया भवन, रोड नंबर 205, सेक्टर-9, द्वारका दिल्ली 110077

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ी जानी है।

1. सचिवीय रिकॉर्ड का रखरखाव करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय रिकॉर्ड पर एक राय व्यक्त करना है।
2. हमने सचिवीय रिकॉर्ड की सामग्री की सटीकता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उचित लेखापरीक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है। यह सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण के आधार पर सत्यापन किया गया था कि सचिवीय रिकॉर्ड में सही तथ्य दर्शाए गए हों। हमारा मानना है कि जिन प्रक्रियाओं और प्रथाओं का हम पालन करते हैं वे हमारी राय के लिए उचित आधार प्रदान करती हैं।
3. हमने कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड और लेखा बही की सटीकता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।
4. जहां भी आवश्यक था, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं के घटित होने आदि के बारे में प्रबंधन से अभ्यावेदन प्राप्त किया है।
5. कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानून, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन करना प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक ही सीमित थी।
6. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस प्रभावकारिता या प्रभावशीलता का आश्वासन है जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

अखिल रोहतगी एंड कंपनी के लिए

कंपनी सचिव

पंजी. सं. P1995DE072900

दीपक कुमार

पार्टनर

एम नं.: F10189

सीपी नंबर: 11372

यूडीआईएन: F010189E000653581

दिनांक : 21 जुलाई 2023

स्थान : नई दिल्ली

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों पर की गयी टिप्पणियों का प्रबंधन की ओर से उत्तर

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का परिशिष्ट सी:

(विशेषज्ञ की राय के आधार के अधीन)

विशेषज्ञ की राय	प्रबंधन की ओर से उत्तर
कंपनी के पास संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (मूर्त परिसंपत्तियों) के भौतिक सत्यापन के लिए उचित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली नहीं थी, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी संभावित रूप से ऐसी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (मूर्त परिसंपत्तियों) की पहचान कर सकती थी जो अस्तित्व में नहीं है या कंपनी के नियंत्रण में नहीं है।	एनएचएसआरसीएल के पास 31 मार्च 2023 तक 9444.94 करोड़ रुपये की कुल संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में से संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (मूर्त परिसंपत्तियों) के अधीन 9383.20 करोड़ रुपये का प्रमुख भाग भूमि परिसंपत्ति है, जो (लगभग) 99.34% के बराबर है और एमएचएसआर परियोजना के 508 किलोमीटर संरेखण के निर्माण के लिए अधिग्रहित किया गया है। एनएचएसआरसीएल ने इन परिसंपत्तियों की पहचान, अधिग्रहण और कब्जे के लिए विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की है जिसमें भूमि खण्ड की पहचान से संबंधित दस्तावेज, भूमि की पहचान के लिए किया गया सर्वेक्षण, भूमि के भौतिक कब्जे के संदर्भ में दस्तावेज और स्वामित्व हस्तांतरण से संबंधित दस्तावेज आदि शामिल हैं। इसके अलावा, कंपनी निर्माण चरण में है और एमएचएसआर परियोजना के निर्माण के लिए जमीन ठेकेदारों को सौंप दी गई है। उपरोक्त सभी दर्शाते हैं कि भूमि के सत्यापन के लिए पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली मौजूद हैं। इसलिए, कंपनी के प्रबंधन के मददेनजर संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (मूर्त परिसंपत्तियों) के सत्यापन के लिए पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण मौजूद हैं। इसके अलावा, विशेषज्ञ की राय वित्तीय विवरणों की समग्र समझ को प्रभावित नहीं करते हैं।

निदेशक मंडल के लिए एवं उसकी ओर से

(राजेन्द्र प्रसाद)
 प्रबंध निदेशक
 [डीआईएन: 08006234]

(विवेक प्रकाश त्रिपाठी)
 महाप्रबंधक/ सामरिक वित्त और निदेशक वित्त
 के पद का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं
 [डीआईएन: 10216466]

दिनांक : 20 जुलाई 2023

स्थान : नई दिल्ली

वित्तीय विवरण

एकेजीवीजी एंड एसोसिएट्स

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

इंड-एस वित्तीय विवरण पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में,
मेसर्स नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
के सदस्य,

राय

हमने मेसर्स नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ("कंपनी") के इंड-एस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2023 की तुलना पत्र और लाभ एवं हानि का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और तत्कालीन समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण एवं वित्तीय विवरणों पर नोट्स शामिल हैं और साथ ही महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी शामिल है। (इसके बाद इसे "इंड-एस वित्तीय विवरण" कहा गया है)।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोक्त इंड-एस वित्तीय विवरण, कंपनी अधिनियम 2013 ("अधिनियम") द्वारा अपेक्षित एवं आवश्यक तरीके से और कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015, जैसा संशोधन हो, ("इंड एस") के साथ पढ़ी जाने वाली अधिनियम की धारा 133 के अधीन निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों एवं भारत में आम तौर पर स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च 2023 को कंपनी के मामलों की स्थिति और उसका लाभ, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कुल व्यापक आय, इक्विटी और नकदी प्रवाह में परिवर्तन के बारे में सही और निष्पक्ष जानकारी देते हैं।

राय का आधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों के बारे में हमारी रिपोर्ट के 'वित्तीय विवरण खण्ड की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियों' में आगे वर्णित किया गया है। हम भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी नैतिक संहिता के साथ-साथ अधिनियम के प्रावधानों और उसके नियमों के अधीन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय विवरणों पर हमारी राय का आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

मामले का महत्व

हम वित्तीय विवरणों में नोट संख्या 33(iii) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं जिसमें बताया गया है कि कंपनी नियमित रूप से अपनी परियोजनाओं के लिए सरकारी और निजी पार्टियों से भूमि अधिग्रहण करती है और मालिकों को मौद्रिक मूल्यों में मुआवजा देती है।

निजी पार्टियों के मामले में, कंपनी भूमि एवं आर एंड आर भुगतान पर कंपनी की नीति के अनुसार नई संपत्ति की अगली खरीद पर स्टॉप शुल्क और पंजीकरण शुल्क की प्रतिपूर्ति करती है। नई संपत्ति की अगली खरीद पर स्टॉप शुल्क और पंजीकरण शुल्क की प्रतिपूर्ति की राशि का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

उपरोक्त मामले के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं है।

वित्तीय विवरण और उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य जानकारी के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण में शामिल जानकारी, बोर्ड की रिपोर्ट के अनुलग्नक सहित बोर्ड की रिपोर्ट और शेयरधारकों की जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

H.O.: E-1, दूसरी मंजिल, प्रशांत विहार, रोहिणी, आउटर रिंग रोड, दिल्ली - 85 फ़ोन: +91-9811118031, 9818330516, 9818314719 टेलीफोन: 011-49037920

शाखाएं: गुरुग्राम | नोएडा | मुंबई | बेंगलुरु | अहमदाबाद | चेन्नई | लखनऊ

ई-मेल: info@akgvg.com वेबसाइट: www.akgvg.com

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारी को पढ़ना है और ऐसा करते समय, इस बात पर विचार करना है कि क्या ऐसी अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों, या हमें लेखापरीक्षा में मिली जानकारी के साथ महत्वपूर्ण रूप से असंगत है, या अन्यथा महत्वपूर्ण रूप से गलत बताया गया प्रतीत होता है।

यदि, हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, यह निष्कर्ष निकलता है कि ये अन्य जानकारी देने में महत्वपूर्ण रूप से कोई गलतबयानी हुई है, तो हमें उस तथ्य को रिपोर्ट करने की आवश्यक है। हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है क्योंकि उक्त जानकारी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

इंड-एएस वित्तीय विवरण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारियाँ

कंपनी का निदेशक मंडल इन इंड-एएस वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 134(5) में बताए गए मामलों के लिए जिम्मेदार है जो कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015, जैसा संशोधन हो, के साथ पढ़ी जाने वाली अधिनियम की धारा 133 के अधीन निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) एवं भारत में आम तौर पर स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांत के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय प्रदर्शन, नकदी प्रवाह और कंपनी की इक्विटी में परिवर्तन की सही और निष्पक्ष निष्पक्ष समझ प्रदान करते हैं।

इस जिम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा एवं धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव करना, उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; ऐसे निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हों; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव करना, जो लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, भी शामिल है, जो कि इंड-एएस वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक एवं सही और निष्पक्ष समझ प्रदान करने वाले तथा स्वतंत्र हों एवं महत्वपूर्ण गलतबयानी से मुक्त हों, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या वित्तीय विवरण समग्र रूप से महत्वपूर्ण गलतबयानी से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय शामिल होती है। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है लेकिन यह इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि एसएएस के अनुसार आयोजित लेखापरीक्षा में मौजूद होने वाली महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता हमेशा लग जाएगा। गलतबयानी धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और उन्हें महत्वपूर्ण तब माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, उनकी वजह से उपयोगकर्ताओं द्वारा इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए आर्थिक निर्णय यथोचित रूप से प्रभावित होने की सम्भावना हो।

एसए के अनुसार लेखापरीक्षा के हिस्से के रूप में, हम व्यावसायिक निर्णय लेते हैं और पूरे लेखापरीक्षा के दौरान व्यावसायिक संदेह बनाए रखते हैं। हम:

- वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलतबयानी के जोखिमों को पहचानते हैं और उनका आंकलन करते हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के प्रति अनुक्रियाशील लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करते हैं और लेखापरीक्षा से ऐसे साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय का आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप हुई किसी महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता न चल पाने का जोखिम, त्रुटि के परिणामस्वरूप हुई किसी किसी महत्वपूर्ण गलतबयानी की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत प्रस्तुति या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।
- परिस्थितियों में उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करते हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(i) के तहत, हम पर अपनी यह राय व्यक्त करने की भी जिम्मेदारी है कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली मौजूद है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता कैसी है।
- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता एवं प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित खुलासों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करते हैं।

- लेखांकन के गोडंग कंसर्न आधार के सम्बन्ध में प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालते हैं और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर यह राय बनानी होगी कि क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की गोडंग कंसर्न के रूप में बने रहने की क्षमता पर बड़ा संदेह पैदा कर सकता है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित खुलासों पर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे खुलासे अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालाँकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी एक चालू संस्था के रूप में काम करना बंद कर सकती है।
- प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करते हैं, और राय बनाते हैं कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व हुआ है जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त हो सके।

हम अन्य मामलों के अलावा, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय तथा लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्षों के साथ-साथ अपने लेखापरीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में पहचानी गयी किसी भी बड़ी कमी के संबंध में शासन के प्रभारी लोगों के साथ संवाद करते हैं।

हम शासन के प्रभारी लोगों को यह बयान भी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, एवं उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के बारे में उनसे संवाद करेंगे जिससे यथोचित रूप से हमारी स्वतंत्रता पर असर पड़ता हो, और जहां लागू हो, इससे संबंधित सुरक्षा उपाय भी संवाद करेंगे।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उपधारा (5) के संदर्भ में हम "अनुलग्नक - ए" में अनुपालन देते हैं।
2. जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा (11) के संदर्भ में भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश"), जैसा संशोधन हो, द्वारा आवश्यक है, हम "अनुलग्नक - बी" में आदेश के अनुच्छेद 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर लागू सीमा तक एक विवरण देते हैं।
3. अधिनियम की धारा 143(3) के आवश्यकतानुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:
 - क) हमने वे सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारे लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक थे।
 - ख) हमारी राय में कंपनी द्वारा उचित लेखा बही रखी गई हैं, जैसा कि कानून द्वारा अपेक्षित है और उन बही की जांच से जहाँ तक पता चलता है।
 - ग) इस रिपोर्ट में जांच किए गए तुलन पत्र, लाभ और हानि विवरण सहित अन्य व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और नकदी प्रवाह का विवरण लेखा बही के अनुरूप हैं।
 - घ) हमारी राय में, उपरोक्त इंड-एएस वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों एवं इसके साथ पढ़ी जाने वाली प्रासंगिक नियमों का अनुपालन करते हैं।
 - ड) एक सरकारी कंपनी होने के नाते, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164(2), जो इस संबंध में है कि 'क्या कोई निदेशक एक निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य है', कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 463(ई) दिनांक 05.06.2015 के मद्देनजर कंपनी पर लागू नहीं है।
 - च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, "अनुलग्नक - सी" में प्रदान हमारी अलग रिपोर्ट देखें। हमारी रिपोर्ट में वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर एक संशोधित राय व्यक्त है।
 - छ) अधिनियम की अनुसूची V के साथ पठित धारा 197 के प्रावधान 31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए कंपनी पर लागू नहीं हैं।
 - ज) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी में और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार :

- i) कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है - वित्तीय विवरणों का नोट 33 देखें।
- ii) कंपनी के पास डेरिवेटिव अनुबंधों सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था जिसके लिए कोई अनुमानित महत्वपूर्ण हानि हो।
- iii) कंपनी को निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष में कोई राशि स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं थी।
- iv) (क) प्रबंधन ने दर्शाया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में, जैसा कि खातों के नोट्स में प्रकट किया गया है, कंपनी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्थाओं या किसी विदेशी संस्थाओं ("मध्यस्थ") को उधारीकृत निधियों या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या किसी प्रकार के फंड से कोई धनराशि अदा नहीं की गयी है या उधार नहीं दी गयी है या निवेश नहीं की गई है, इस समझ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा हो, के साथ कि कंपनी ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से मध्यस्थ किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को किसी भी तरीके से चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी कोई चीज़ प्रदान करेगा (वित्तीय विवरणों के लिए नोट 40 (vi) देखें);
(ख) प्रबंधन ने दर्शाया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में, जैसा कि खातों के नोट्स में प्रकट किया गया है, कंपनी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्थाओं या किसी विदेशी संस्थाओं ("फंडिंग पार्टियों") से कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है, इस समझ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा हो, के साथ कि कंपनी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, फंडिंग पार्टी ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगी या निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थी की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई गारंटी प्रदान करेगी (वित्तीय विवरण के लिए नोट 40 (vii) देखें); और
(ग) ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें हमने परिस्थितियों में यथार्थ और उचित माना है, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि नियम 11(ई) के उप-खंड (i) और (ii) के तहत किए गए अभ्यावेदन, जैसा कि ऊपर (ए) और (बी) के तहत दिया गया है, में कोई महत्वपूर्ण गलतबयानी शामिल है।
- v) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई लाभांश घोषित या भुगतान नहीं किया है।
- vi) अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, जिसमें लेखापरीक्षा ट्रेल (एडिट लॉग) फैसिलिटी को रिकॉर्ड करने की सुविधा है, का उपयोग करके लेखा बही बनाए रखने के लिए कंपनी (खाता) नियम, 2014 के नियम 3(1) के प्रावधान, 1 अप्रैल, 2023 से कंपनी पर लागू है और तदनुसार, कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11(जी) के तहत रिपोर्टिंग 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लागू नहीं है।

एकेजीवीजी एंड एसोसिएट्स के लिए

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

आईसीएआई फर्म पंजीकरण संख्या: **018598N**

अमन अग्रवाल

पार्टनर

सदस्यता संख्या: **515385**

यूडीआईएन नंबर: **23515385BGYBQS4386**

हस्ताक्षर का स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: **20 जुलाई 2023**

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के लिए "अनुलग्नक - ए"

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर सम तारीख की हमारी रिपोर्ट के "अन्य कानूनी एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" खण्ड के तहत अनुच्छेद 1 में संदर्भित स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक।

क्रम सं.	निर्देश	लेखापरीक्षक के उत्तर
(i)	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से लेखांकन के सभी लेनदेन को संसाधित करने की प्रणाली की व्यवस्था है? यदि हां, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के वित्तीय निहितार्थों के साथ-साथ खातों की अखंडता पर प्रभाव, यदि कोई हो, बताया जाए।	हमारे लेखापरीक्षा के दौरान, हमें ऐसा कोई प्रकरण नहीं मिला जिससे यह विश्वास हो कि कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से लेखांकन के सभी लेनदेन को संसाधित करने की व्यवस्था नहीं है। हमारे लेखापरीक्षा और प्रासंगिक रिकॉर्ड की जांच के आधार पर, हमारी राय है कि सभी लेखांकन लेनदेन का हिसाब आईटी प्रणाली के माध्यम से किया जाता है और खातों की अखंडता पर कोई वित्तीय प्रभाव हमारे द्वारा नोट नहीं किया गया है।
(ii)	क्या कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा मौजूदा ऋण का कोई पुनर्गठन या कर्ज/ ऋण/ ब्याज आदि की माफी/ बट्टे खाते में डालने का कोई मामला है? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव बताया जाए। क्या ऐसे मामलों का ठीक से हिसाब-किताब किया जाता है? (यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू होता है)।	वर्तमान में, कंपनी द्वारा कोई ऋण नहीं लिया गया है और इसलिए, पुनर्गठन, कर्ज या ऋण या ब्याज आदि के छूट या बट्टे खाते में डालने का कोई मामला नहीं है।
(iii)	क्या केंद्र/ राज्य सरकार या इसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/ प्राप्य धनराशि (अनुदान/ सब्सिडी आदि) का इसके नियम और शर्तों के अनुसार उचित हिसाब/ उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की जानकारी दें।	वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान केंद्रीय/ राज्य एजेंसियों से किसी भी विशिष्ट योजना के लिए कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए, संवितरण के नियमों और शर्तों के अनुसार प्राप्त धन के लेखांकन/ उपयोग के लिए कोई प्रयोज्यता नहीं है।

एकेजीवीजी एंड एसोसिएट्स के लिए

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

आईसीएआई फर्म पंजीकरण संख्या: 018598N

अमन अग्रवाल

पार्टनर

सदस्यता संख्या: 515385

यूडीआईएन नंबर: 23515385BGYBQS4386

हस्ताक्षर का स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 20 जुलाई 2023

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के लिए "अनुलग्नक - बी"

(31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों की सम तारीख की हमारी रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी एवं नियामक आवश्यकता पर रिपोर्ट' शीर्षक के तहत अनुच्छेद 2 में संदर्भित)

(i) (क) (क) हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी फर्नीचर और फिक्स्चर, कार्यालय उपकरण और ईडीपी परिसंपत्तियों को छोड़कर संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण प्रदर्शित करते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रख रही है।

(ख) हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी अमूर्त परिसंपत्तियों का पूरा विवरण प्रदर्शित करते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रख रही है।

(ख) हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (मूर्त परिसंपत्तियों) को भौतिक रूप से सत्यापित नहीं किया गया है। तदनुसार, विसंगतियों, यदि कोई हो, का पता नहीं लगाया जा सका और इसलिए, हम इस पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं कि क्या विसंगतियों, यदि कोई है, को लेखा बही में सही-सही प्रदर्शित किया गया है या नहीं।

(ग) हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, सभी अचल संपत्तियों के स्वामित्व/पट्टा विलेख (उन संपत्तियों के अलावा जहां कंपनी पट्टेदार है और पट्टा समझौते पट्टेदार के पक्ष में विधिवत निष्पादित किए गए हैं), जिसे वित्तीय विवरण में प्रकट किया गया है और जिसे संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अधीन शामिल किया गया है, तुलन पत्र की तारीख को कंपनी के नाम पर धारित हैं, केवल उनके अलावा जिनके बारे में नीचे बताया गया है:

संपत्ति की वास्तु का विवरण	सकल वहन मूल्य (लाख रुपये में)	जिनके नाम पर स्वामित्व विलेख है	क्या स्वामित्व विलेख का धारक प्रमोटर, निदेशक या उनका रिश्तेदार या कर्मचारी है	संपत्ति किस तिथि से कब तक धारित है	कंपनी के नाम पर धारित न होने का कारण
भूमि-पूर्णस्वामित्व	3,28,654.81	परियोजना प्रभावित व्यक्ति	नहीं	*	स्वामित्व हस्तांतरण की प्रक्रिया चल रही है
भूमि-पूर्णस्वामित्व	11,593.02	गुजरात सरकार	हाँ	*	स्वामित्व हस्तांतरण की प्रक्रिया चल रही है
भूमि-पट्टाधारिता	664.03	गुजरात सरकार	हाँ	पट्टा करार का ड्राफ्ट प्रक्रियाधीन है	पट्टे की स्थिति में भूमि का स्वामित्व सरकार के पास रहेगा
भूमि-पट्टाधारिता	11,688.12	महाराष्ट्र सरकार	हाँ	वित्तीय वर्ष 2018-19	पट्टा अनुबंध का निष्पादन प्रक्रियाधीन है

* पूर्णस्वामित्व भूमि में विभिन्न परियोजना प्रभावित व्यक्तियों और सरकारी विभागों से अर्जित भूमि शामिल है जिसे विभिन्न तिथियों पर अधिग्रहित किया गया है, इसलिए ऐसे अधिग्रहण के लिए तिथिवार प्रकटीकरण इंगित नहीं किया गया है।

नोट: संपत्ति की वे वस्तुएं शामिल नहीं हैं जहां स्वामित्व हस्तांतरित नहीं किया जाएगा और न ही पट्टा समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने हैं, जिनके लिए केवल उपयोग की अनुमति प्राप्त की गई है।

(घ) हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी किसी भी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (उपयोग के अधिकार की परिसंपत्तियों सहित) या अमूर्त परिसंपत्तियों या दोनों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

- (इ) हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 की 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के अधीन कोई बेनामी संपत्ति नहीं है और इसलिए आदेश के खंड (i)(ई) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।
- (ii) (क) हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास कोई इन्वेंट्री नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड (ii)(ए) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।
- (ख) हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के किसी भी समय, कंपनी को वर्तमान परिसंपत्तियों की प्रतिभूति के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कोई कार्यशील पूंजी सुविधा स्वीकृत नहीं की गई है; इसलिए आदेश के खंड (ii)(बी) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।
- (iii) हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी ने कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पार्टियों को किसी ऋण या ऋण की प्रकृति की किसी भुगतान में कोई निवेश नहीं किया है, कोई गारंटी या प्रतिभूति प्रदान नहीं की है, या कोई ऋण, प्रतिभूति सहित या बिना, प्रदान नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड (iii) (ए), (बी), (सी), (डी), (ई) और (एफ) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।
- (iv) हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने ऋण, निवेश, गारंटी और प्रतिभूति के संबंध में किसी भी लेनदेन में प्रवेश नहीं किया है, जिसके लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधानों के अनुपालन की आवश्यकता हो। तदनुसार आदेश के खंड (iv) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।
- (v) हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किया है; तदनुसार, आदेश के खंड (v) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।
- (vi) हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और जैसा कि समझाया गया है, केंद्र सरकार ने कंपनी के उत्पादों/सेवाओं के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के तहत लागत रिकॉर्ड के रखरखाव को निर्दिष्ट नहीं किया है।
- (vii) (क) हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, माल एवं सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, सीमा शुल्क, उपकर और सामग्री की अन्य वैधानिक देय सहित निर्विवाद वैधानिक देय जो कंपनी पर लागू होते हैं, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा सभी मामलों में उपयुक्त प्राधिकारियों के समक्ष नियमित रूप से जमा किया गया है। हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, 31 मार्च, 2023 तक भविष्य निधि, ईएसआई, आयकर, माल और सेवा कर, सीमा शुल्क, उपकर और सामग्री की अन्य वैधानिक देय के संबंध में उनके देय होने की तारीख से 6 महीने से अधिक की अवधि के लिए कोई निर्विवाद राशि देय नहीं है।
- (ख) हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, किसी विवाद के कारण कोई आयकर, सेवा कर, माल एवं सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर बकाया नहीं है।
- (viii) प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, पहले से दर्ज न की गई आय से संबंधित ऐसा कोई लेनदेन नहीं था जिसे वर्ष के दौरान आयकर अधिनियम, 1961 (1961 की 43) के तहत कर निर्धारण में आय के रूप में सरेंडर या प्रकट किया गया था।
- (ix) हमारे द्वारा जांचे गए कंपनी के रिकॉर्ड और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई ऋण या अन्य उधार या सावधि ऋण प्राप्त नहीं किया है और इसलिए आदेश के खंड (ix) पर रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

- (x) (क) हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या अतिरिक्त सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण लिखतों सहित) के माध्यम से धन नहीं जुटाया है और इसलिए आदेश के खंड (x) (ए) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।
- (ख) हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने शेयरों का कोई तरजीही आवंटन या निजी प्लेसमेंट या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूर्ण या आंशिक या वैकल्पिक रूप से) नहीं किया है और इसलिए आदेश के खंड (x) (बी) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।
- (xi) (क) वित्तीय विवरणों के सही और निष्पक्ष समझ की रिपोर्ट करने के उद्देश्य से की गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं तथा प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या कंपनी पर कोई धोखाधड़ी देखी या रिपोर्ट नहीं की गई है।
- (ख) हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तारीख तक कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत केंद्र सरकार के समक्ष कोई रिपोर्ट फॉर्म एडीटी -4 में दायर नहीं की गई है, जैसा कि कंपनी के नियम 13 (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के तहत निर्धारित है।
- (ग) भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखापरीक्षा प्रथाओं के अनुसार और हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, और प्रबंधन द्वारा हमें दी गयी प्रस्तुति के अनुसार कंपनी के बही और रिकॉर्ड की जांच के दौरान यह पाया गया कि वर्ष के दौरान कंपनी को कोई विसलब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xi)(सी) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।
- (xii) हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है और इसलिए आदेश के खंड (xii) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।
- (xiii) हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के अनुसार, कंपनी संबंधित पक्षों के साथ सभी लेनदेन के लिए कंपनी अधिनियम की धारा 177 और 188, जहां लागू हो, का अनुपालन करती है एवं वित्तीय विवरण आदि में संबंधित पार्टियों के साथ लेनदेन के विवरण का प्रकट किया गया है, जैसा लागू लेखांकन मानकों के अनुसार आवश्यक है।
- (xiv) (क) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास उसके व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप एक आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली उपलब्ध है।
- (ख) हमने लेखापरीक्षा अवधि के लिए कंपनी के आंतरिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर विचार किया है।
- (xv) हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की जांच के आधार पर, कंपनी ने अपने निदेशकों या अपने निदेशकों से जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है और इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
- (xvi) (क) हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, आदेश के खंड (xvi)(ए) और (बी) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।
- (ख) कंपनी एक कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी (सीआईसी) नहीं है जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए नियमों में परिभाषित किया गया है। इसलिए, आदेश का खंड (xvi)(सी) लागू नहीं होता है।
- (ग) हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, समूह के हिस्से के रूप में कोई कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी (सीआईसी) समूह में शामिल नहीं है और तदनुसार आदेश के खंड (xvi) (डी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

- (xvii) हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के अनुसार, कंपनी को हमारे लेखापरीक्षा द्वारा कवर किए गए वित्तीय वर्ष और ठीक पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान नकद घाटा नहीं हुआ है। इसलिए, आदेश के खंड (xvii) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।
- (xviii) हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी के वैधानिक लेखापरीक्षकों का कोई इस्तीफा नहीं हुआ है। इसलिए, आदेश के खंड (xviii) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।
- (xix) हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और वित्तीय अनुपात, वित्तीय परिसंपत्तियों की एजिंग और प्राप्ति तथा वित्तीय देनदारियों के भुगतान की अपेक्षित तिथियों, वित्तीय विवरणों के साथ जुड़ी अन्य जानकारी और निदेशक मंडल तथा प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारे ज्ञान के आधार पर और इन धारणाओं का समर्थन करने वाले साक्ष्यों की जांच के आधार पर, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें विश्वास हो कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक कोई भी महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, जो दर्शाता हो कि कंपनी तुलन पत्र की तारीख को अपनी मौजूदा देनदारियों, जब और जैसे तुलन पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर बकाया होती हैं, को पूरा करने में सक्षम नहीं है। हालाँकि, हम प्रकट करते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे यह भी प्रकट करते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि तुलन पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर आने वाली सभी देनदारियों, जब और जैसे बकाया होंगी, कंपनी द्वारा उनका भुगतान किया जाएगा।
- (xx) (क) हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 की उपधारा (5) के तहत चल रही परियोजनाओं के अलावा किसी अन्य परियोजना के लिए कोई भी राशि अव्ययित नहीं रही है। इसलिए, आदेश के खंड (xx) (ए) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।
- (ख) हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 की उपधारा (5) के तहत चल रही परियोजना के लिए 89.32 लाख रुपये की शेष राशि को उक्त अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (6) के प्रावधानों के अनुपालन में विशेष खाते में स्थानांतरित कर दिया गया है।
- (xxi) कंपनी को समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड (xxi) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

एकेजीवीजी एंड एसोसिएट्स के लिए

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

आईसीएआई फर्म पंजीकरण संख्या: 018598N

अमन अग्रवाल

पार्टनर

सदस्यता संख्या: 515385

यूडीआईएन नंबर: 23515385BGYBQS4386

हस्ताक्षर का स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 20 जुलाई 2023

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के लिए "अनुलग्नक - सी"

(सम तिथि की नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सदस्यों को हमारी रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' अनुभाग के तहत अनुच्छेद 3 (एफ) में संदर्भित)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2023 की तारीख को समाप्त वर्ष के लिए मेसर्स नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ("कंपनी") के वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा के साथ संयोजन के रूप में उस तारीख तक कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का लेखापरीक्षा किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशक, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा 'वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट' में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों मंडल आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है, जो इसके व्यवसाय के व्यवस्थित तथा कुशल संचालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और निर्धारण, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने एवं विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जैसा कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक है।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखापरीक्षा के आधार पर कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के संबंध में एक राय व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी 'वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट' ("मार्गदर्शन नोट") और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू सीमा तक, किया है। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के अनुसार यह आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना बनाएं और निष्पादित करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किए गए और बनाए रखे गए थे तथा क्या ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित हुए हैं।

हमारे लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं निष्पादित करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, इस जोखिम का आंकलन करना कि कोई महत्वपूर्ण कमजोरी मौजूद है और मूल्यांकित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और संचालन की प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें इंड-एएस वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलतबयानी के जोखिमों का आंकलन भी शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय हेतु आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने और बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए डिजाइन की गई एक प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो:

- 1) ऐसे रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित हैं, जो यथोचित रूप से विवरण देते हुए कंपनी की संपत्तियों के लेनदेन और स्वभाव को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाता है;
- 2) उचित आश्वासन प्रदान करता है कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार इंड-एएस वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति हेतु लेनदेन को आवश्यक रूप से दर्ज किया जाता है और यह कि कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण के साथ ही किए जा रहे हैं; और

- 3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर निर्धारण के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करता है, जिसका इंड-एएस वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएँ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं, जिसमें मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन द्वारा नियंत्रणों को ओवरराइड किए जाने की संभावना के कारण त्रुटि या धोखाधड़ी की वजह से महत्वपूर्ण गलतबयानी हो सकता है और उसका पता नहीं लग सकता है। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, स्थितियों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकते हैं या यह कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री का क्षय हो सकता है।

विशेषज्ञ की राय का आधार

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे लेखापरीक्षा के आधार पर, 31 मार्च, 2023 तक निम्नलिखित महत्वपूर्ण कमजोरी की पहचान की गई है:

कंपनी के पास संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (मूर्त परिसंपत्तियों) के भौतिक सत्यापन के लिए उचित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली उपलब्ध नहीं थी, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी संभावित रूप से ऐसी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (मूर्त परिसंपत्तियों) की पहचान कर सकती थी जो अस्तित्व में नहीं हैं या कंपनी के नियंत्रण में नहीं हैं।

विशेषज्ञ की राय

हमारी राय में, नियंत्रण मानदंड के उद्देश्यों की उपलब्धि पर उपरोक्त 'योग्य राय का आधार' अनुच्छेद में वर्णित सामग्री के संभावित प्रभावों को छोड़कर, कंपनी ने सभी भौतिक मामलों में, वित्तीय पर एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली बनाए रखी है, और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक नियंत्रण 31 मार्च 2023 तक प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी 'वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट' में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों के आंतरिक नियंत्रण पर आधारित था।

हमने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट में लागू ऑडिट परीक्षणों की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने में ऊपर पहचानी गई और रिपोर्ट की गई भिन्नताओं पर विचार किया है और भिन्नताएं कंपनी के वित्तीय विवरणों पर हमारी राय को प्रभावित नहीं करती हैं।

एकेजीवीजी एंड एसोसिएट्स के लिए

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

आईसीएआई फर्म पंजीकरण संख्या: 018598N

अमन अग्रवाल

पार्टनर

सदस्यता संख्या: 515385

यूडीआईएन नंबर: 23515385BGYBQS4386

हस्ताक्षर का स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 20 जुलाई 2023

31 मार्च 2023 तक तुलन पत्र

राशि (लाख रुपये में)

विवरण		नोट सं.	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
I.	परिसंपत्तियां			
1	गैर-चालू परिसंपत्तियां			
	(क) सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण	3	9,44,493.95	8,20,695.15
	(ख) पूंजीगत कार्य - प्रगति	4	25,99,505.24	10,16,796.48
	(ग) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	5.1	6,685.61	7,008.10
	(घ) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	5.2	509.36	-
	(इ) परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार	5.3	1,460.32	1,894.92
	(च) वित्तीय परिसंपत्तियां	6		
	(i) ऋण	6.1	25.69	27.66
	(ii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	6.2	227.88	534.44
	(छ) आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	7	-	338.72
	(ज) अन्य गैर - चालू परिसंपत्तियां	8	6,42,953.43	6,48,048.47
			41,95,861.48	24,95,343.94
2	चालू परिसंपत्तियां			
	(क) वित्तीय परिसंपत्तियां	9		
	(i) व्यापार प्राप्तियां	9.1	-	-
	(ii) नकदी तथा नकदी समतुल्य	9.2	57,288.19	2,97,110.76
	(iii) उपरोक्त (ii) के अलावा बैंक में जमा अन्य राशि	9.3	106.42	20,308.17
	(iv) ऋण	9.4	3.85	3.85
	(v) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	9.5	880.64	1,016.77
	(ख) चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)	19	373.98	492.94
	(ग) अन्य चालू परिसंपत्तियां	10	10,424.29	8,057.62
			69,077.37	3,26,990.11
	कुल परिसंपत्तियां		42,64,938.85	28,22,334.05
II.	इक्विटी और देनदारियां			
1	इक्विटी			
	(क) इक्विटी शेयर पूंजी	11	14,21,143.00	12,93,000.00
	(ख) अन्य इक्विटी	12	53,935.64	39,253.79
			14,75,078.64	13,32,253.79
2	देनदारियां			
(i)	गैर - चालू देनदारियां			
	(क) वित्तीय देनदारियां	13		
	(i) उधारी		-	-
	(i) पट्टे की देनदारियां	13.1	867.76	1,414.81
	(ii) व्यापार देनदारियां			
	(क) सूक्ष्म उद्यमों एवं लघु उद्यमों का कुल बकाया; और		-	-
	(ख) सूक्ष्म उद्यमों एवं लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों का कुल बकाया		-	-
	(iii) अन्य	13.2	25,32,565.76	13,20,523.08
	(ख) प्रावधान-गैर वर्तमान	14	791.96	751.45
	(ग) आस्थगित कर देनदारियां (निवल)		81.30	-
	(घ) अन्य गैर - चालू देनदारियाँ	15	-	8.75
			25,34,306.78	13,22,698.09

राशि (लाख रुपये में)				
विवरण		नोट सं.	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
(ii)	चालू देनदारियां			
	(क) वित्तीय देनदारियां	16		
	(i) उधारी		-	-
	(क) पट्टे की देनदारियां	16.1	831.96	682.03
	(ii) व्यापार देनदारियां	16.2		
	(क) सूक्ष्म उद्यमों एवं लघु उद्यमों का कुल बकाया; और		-	-
	(ख) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों का कुल बकाया		-	-
	(iv) अन्य	16.3	2,29,225.41	1,43,207.75
	(ख) अन्य चालू देनदारियां	17	25,145.05	23,213.76
	(ग) प्रावधान-चालू	18	351.01	278.63
	(घ) चालू कर देनदारियां (निवल)	19	-	-
			2,55,553.43	1,67,382.17
	कुल इक्विटी एवं देनदारियां		42,64,938.85	28,22,334.05

सामान्य जानकारी	1
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश	2
वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाले नोट्स	1 से 43

यह हमारी संलग्न सम दिनांक की रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन पत्र है।

एकेजीवीजी एवं एसोसिएट्स के लिए

निदेशक मंडल के लिए एवं उसकी ओर से

चार्टर्ड अकाउंटेंट

एफआरएन: 018598N

पार्टनर: अमन अग्रवाल

राजेन्द्र प्रसाद

विवेक प्रकाश त्रिपाठी

सुमीता शर्मा

एम. नं.: 515385

प्रबंध निदेशक

निदेशक वित्त और सीएफओ

कंपनी सचिव

डीआईएन: 08006234

डीआईएन: 10216466

एम नं: FCS 5250

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 20 जुलाई 2023

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु लाभ एवं हानि का विवरण

राशि (लाख रुपये में)

विवरण		नोट सं.	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
I	परिचालन से राजस्व	-	-	-
II	अन्य आय	20	9,776.63	12,318.08
III	कुल आय (I+II)		9,776.63	12,318.08
	व्यय			
	कर्मचारी लाभ व्यय	21	240.66	194.29
	वित्तीय लागत	22	16.28	7.08
	मूल्यहास एवं परिशोधन व्यय	23	193.17	169.52
	अन्य व्यय	24	2,475.75	3,288.29
IV	कुल व्यय (IV)		2,925.86	3,659.18
V	असाधारण मदों और कर पूर्व लाभ/ (हानि) (III-IV)		6,850.77	8,658.90
VI	असाधारण मदों		-	-
VII	कर पूर्व लाभ/ (हानि) (V - VI)		6,850.77	8,658.90
VIII	कर व्यय:			
	(1) चालू कर	25	1,042.61	2,073.47
	(2) आस्थगित कर	25	428.87	47.20
IX	सतत परिचालनों से अवधि के दौरान लाभ/(हानि) (VII-VIII)		5,379.29	6,538.23
X	असतत परिचालनों से लाभ/(हानि)		-	-
XI	असतत परिचालनों का कर व्यय		-	-
XII	असतत परिचालनों से लाभ/ (हानि) (X - XI)		-	-
XIII	अवधि (IX + XII) के लिए लाभ/(हानि)		5,379.29	6,538.23
XIV	अन्य व्यापक आय			
	क. (i) वे मदें जिन्हें लाभ या हानि के रूप में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा	26	(35.15)	(10.03)
	(ii) उन मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि के रूप में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा	26	8.85	2.52
	ख. (i) वे मदें जिन्हें लाभ या हानि के रूप में पुनः वर्गीकृत किया जाएगा		-	-
	(ii) उन मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि के रूप में पुनः वर्गीकृत किया जाएगा		-	-
XV	अवधि (XIII + XIV) के लिए कुल व्यापक आय (जिसमें लाभ (हानि) और अवधि के लिए अन्य व्यापक आय शामिल हैं)		5,352.99	6,530.72
XVI	प्रति इक्विटी शेयर आय (सतत परिचालन हेतु):			
	(1) मूल (रुपये में) (शेयर का अंकित मूल्य 1,000 रुपये)	27	3.92	5.46
	(2) डाइल्यूटेड (रुपये में) (शेयर का अंकित मूल्य 1,000 रुपये)	27	3.91	5.46
XVII	प्रति इक्विटी शेयर आय (असतत परिचालन हेतु) :			
	(1) मूल (रुपये में) (शेयर का अंकित मूल्य 1,000 रुपये)		-	-
	(2) डाइल्यूटेड (रुपये में) (शेयर का अंकित मूल्य 1,000 रुपये)		-	-
XVIII	प्रति इक्विटी शेयर आय (असतत और सतत परिचालनों हेतु) :			
	(1) मूल (रुपये में) (शेयर का अंकित मूल्य 1,000 रुपये)	27	3.92	5.46
	(2) डाइल्यूटेड (रुपये में) (शेयर का अंकित मूल्य 1,000 रुपये)	27	3.91	5.46

वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाले नोट्स

1 से 43

यह हमारी संलग्न सम दिनांक की रिपोर्ट में उल्लिखित लाभ एवं हानि का विवरण है

एकेजीवीजी एवं एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन: 018598N

निदेशक मंडल के लिए एवं उसकी ओर से

पार्टनर: अमन अग्रवाल
एम. नं.: 515385

राजेन्द्र प्रसाद
प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 08006234

विवेक प्रकाश त्रिपाठी
निदेशक वित्त और सीएफओ
डीआईएन: 10216466

सुमीता शर्मा
कंपनी सचिव
एम नं: FCS 5250

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 20 जुलाई 2023

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह का विवरण

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
क. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह	6,850.77	8,658.90
असाधारण मदों एवं कर पूर्व लाभ		
समायोजित मदें :-		
मूल्यहास और परिशोधन	193.17	169.52
करों पर ब्याज	0.90	4.32
एचबीए परिसंपत्तियों पर ब्याज आय (इंडएएस समायोजन)	(1.02)	(2.30)
ब्याज आय	(9,622.14)	(12,114.46)
अन्य व्यापक मद	(35.15)	(10.03)
लीज देयताओं पर ब्याज	2.49	2.23
वित्तीय परिसंपत्तियों पर ब्याज आय	(21.13)	(19.64)
पट्टा परिशोधन	(1.77)	-
वित्तीय देयताओं का परिशोधन	-	(65.43)
विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव	-	(243.12)
उचित मूल्य समायोजन - प्रतिभूति	0.40	0.25
परिचालन पूंजी परिवर्तन से पूर्व परिचालन लाभ	(2,633.48)	(3,619.76)
समायोजित मदें :-		
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में कमी/(वृद्धि)	(9.98)	(112.79)
अन्य चालू परिसंपत्तियों में कमी / (वृद्धि)	(2,384.72)	(5,890.42)
अन्य गैर चालू परिसंपत्तियों में कमी/(वृद्धि)	15.78	12.17
वित्तीय परिसंपत्ति ऋण में कमी/(वृद्धि)	2.99	(10.25)
अन्य वित्तीय दायित्व में वृद्धि/(कमी)	98,077.84	1,19,360.09
प्रावधानों में वृद्धि/(कमी)	112.89	423.73
अन्य चालू देयता में वृद्धि/(कमी)	1,931.29	9,972.99
अन्य गैर चालू देयता में वृद्धि/(कमी)	(8.75)	(602.46)
कुल समायोजन	97,737.34	1,23,153.06
परिचालनों से सृजित नकदी	95,103.86	1,19,533.30
चुकाया गया कर	(924.55)	(2,494.75)
परिचालन गतिविधियों से सृजित कुल नकदी	94,179.31	1,17,038.55
ख. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह .		
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की खरीद और	(17,05,971.83)	(10,13,001.06)
अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां और सीडब्ल्यूआईपी (बिक्री का निवल)	5,079.26	(2,90,248.90)
परियोजना कार्य और पूंजीगत मदों के लिए पूंजीगत अग्रिम	20,201.75	(20,308.17)
नकदी तथा नकदी समतुल्यों के अलावा बैंक के अन्य जमा राशि में परिवर्तन	10,095.94	11,738.02
निवेश गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकदी	(16,70,594.88)	(13,11,820.11)
ग. वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
इक्विटी शेयर पूंजी के निर्गमन से प्राप्त आय	1,08,143.00	2,35,000.00
शेयर आवेदन राशि जिसके लिये आवंटन लंबित है	29,457.00	20,000.00
शेयर जारी करने का व्यय	(145.64)	(377.50)

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
रेल मंत्रालय की ओर से ईएपी को दी गयी अग्रिम राशि	12,00,000.00	11,20,000.00
पट्टा देयता पर ब्याज	(157.78)	(154.07)
पट्टा देयता के लिए भुगतान	(703.58)	(755.49)
वित्तीय गतिविधियों से सृजित निवल नकदी (ग)	13,36,593.00	13,73,712.94
नकदी तथा नकदी समतुल्यों में निवल वृद्धि/(कमी) (क+ख+ग)	(2,39,822.57)	1,78,931.38
प्रारंभिक नकदी तथा नकदी समतुल्य	2,97,110.76	1,18,179.38
अंतिम नकदी तथा नकदी समतुल्य	57,288.19	2,97,110.76
नकदी तथा नकदी समतुल्य में शामिल हैं:		
हस्त में मुद्रा:	-	-
बैंकों के पास जमा शेष राशि:	-	-
- चालू खाता	1,444.81	24,679.60
- फ्लेक्सी अकाउंट में	35,828.60	32,316.20
- 3 महीने या तीन महीने से कम की मूल परिपक्वता वाली सावधि जमा खाते में	20,000.00	2,40,102.81
- अग्रदाय खाते में	14.78	12.15
तुलन पत्र के अनुसार नकदी तथा नकदी समतुल्य	57,288.19	2,97,110.76

टिप्पणियाँ:

नकदी प्रवाह का विवरण कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा अधिसूचित नकदी प्रवाह के इंड एस-7 विवरण में निर्धारित अप्रत्यक्ष पद्धति के तहत तैयार किया गया है। 31 मार्च 2023 को वित्तीय गतिविधियों से सृजित देनदारियों का मिलान नोट 28(ii) में प्रस्तुत किया गया है। कोष्ठक में दिए गए आंकड़े नकदी के बहिर्प्रवाह को दर्शाते हैं।

यह नकदी प्रवाह का विवरण है जिसका संदर्भ सम दिनांक संलग्नक की हमारी रिपोर्ट में दिया गया है।

एकेजीवीजी एवं एसोसिएट्स के लिए
 चार्टर्ड अकाउंटेंट
 एफआरएन: 018598N

निदेशक मंडल के लिए एवं उसकी ओर से

पार्टनर: अमन अग्रवाल
 एम. नं.: 515385

राजेन्द्र प्रसाद
 प्रबंध निदेशक
 डीआईएन: 08006234

विवेक प्रकाश त्रिपाठी
 निदेशक वित्त और सीएफओ
 डीआईएन: 10216466

सुमीता शर्मा
 कंपनी सचिव
 एम नं: FCS 5250

स्थान: नई दिल्ली
 दिनांक: 20 जुलाई 2023

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	चालू रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में शेष राशि	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	चालू रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में पुनः कथित शेष राशि	चालू वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	चालू रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष राशि
शेयरों की संख्या (संख्या)	12,93,00,000	-	12,93,00,000	1,28,14,300	14,21,14,300.00
शेयर पूंजी की राशि (राशि लाख रुपये में)	12,93,000	-	12,93,000	1,28,143	14,21,143.00

ख. अन्य इक्विटी

विवरण	आरक्षितियां एवं अधिशेष		शेयर अनुप्रयोग राशि का लंबित आवंटन	कुल
	सामान्य आरक्षितियाँ	प्रतिधारित आय		
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	-	22,185.28	20,000.00	42,185.28
लेखांकन नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि की त्रुटियाँ	-	(2,931.50)	-	(2,931.50)
वर्ष की शुरुआत में पुनः कथित शेष राशि	-	19,253.78	20,000.00	39,253.78
इस वर्ष का लाभ	-	5,379.30	-	5,379.30
वर्ष हेतु अन्य व्यापक आय (आयकर का शुद्ध)	-	(26.30)	-	(26.30)
वर्ष हेतु कुल व्यापक आय	-	5,353.00	-	5,353.00
अवधि के दौरान प्राप्त शेयर अनुप्रयोग राशि	-	-	1,37,600.00	1,37,600.00
वर्ष के दौरान जारी किये गये शेयर	-	-	(1,28,143.00)	(1,28,143.00)
शेयर जारी करने का व्यय	-	(128.14)	-	(128.14)
वर्ष के अंत में शेष राशि	-	24,478.64	29,457.00	53,935.64

यह इक्विटी में परिवर्तन का विवरण है जिसका उल्लेख हमारी संलग्न सम दिनांक की रिपोर्ट में किया गया है।

एकेजीवीजी एवं एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन: 018598N

निदेशक मंडल के लिए एवं उसकी ओर से

पार्टनर: अमन अग्रवाल
एम. नं.: 515385

राजेन्द्र प्रसाद
प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 08006234

विवेक प्रकाश त्रिपाठी
निदेशक वित्त और सीएफओ
डीआईएन: 10216466

सुमीता शर्मा
कंपनी सचिव
एम नं: FCS 5250

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 20 जुलाई 2023

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	चालू रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में शेष राशि	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	चालू रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में पुनः कथित शेष राशि	चालू वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	चालू रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष राशि
शेयरों की संख्या (संख्या)	9,58,00,000	-	9,58,00,000	3,35,00,000	12,93,00,000
शेयर पूंजी की राशि (राशि लाख रुपये में)	9,58,000	-	9,58,000	3,35,000	12,93,000

ख. अन्य इक्विटी

विवरण	आरक्षितियां एवं अधिशेष		शेयर अनुप्रयोग राशि का लंबित आवंटन	कुल
	सामान्य आरक्षितियाँ	प्रतिधारित आय		
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	-	14,134.55	1,00,000	1,14,134.55
लेखांकन नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि की त्रुटियाँ	-	(1,076.48)	-	(1,076.48)
वर्ष की शुरुआत में पुनः कथित शेष राशि	-	13,058.07	1,00,000	1,13,058.07
इस वर्ष का लाभ	-	6,538.23	-	6,538.23
वर्ष हेतु अन्य व्यापक आय (आयकर का शुद्ध)	-	(7.51)	-	(7.51)
वर्ष हेतु कुल व्यापक आय	-	6,530.72	-	6,530.72
अवधि के दौरान प्राप्त शेयर अनुप्रयोग राशि	-	-	2,55,000.00	2,55,000.00
वर्ष के दौरान जारी किये गये शेयर	-	-	(3,35,000.00)	(3,35,000.00)
शेयर जारी करने का व्यय	-	(335.00)	-	(335.00)
वर्ष के अंत में शेष राशि	-	19,253.79	20,000.00	39,253.79

यह इक्विटी में परिवर्तन का विवरण है जिसका उल्लेख हमारी संलग्न सम दिनांक की रिपोर्ट में किया गया है।

एकेजीवीजी एवं एसोसिएट्स के लिए
 चार्टर्ड अकाउंटेंट
 एफआरएन: 018598N

निदेशक मंडल के लिए एवं उसकी ओर से

पार्टनर: अमन अग्रवाल
 एम. नं.: 515385

राजेन्द्र प्रसाद
 प्रबंध निदेशक
 डीआईएन: 08006234

विवेक प्रकाश त्रिपाठी
 निदेशक वित्त और सीएफओ
 डीआईएन: 10216466

सुमीता शर्मा
 कंपनी सचिव
 एम नं: FCS 5250

स्थान: नई दिल्ली
 दिनांक: 20 जुलाई 2023

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय विवरण पर नोट्स (1 - 43)

1. सामान्य जानकारी

नेशनल हाईस्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएचएसआरसीएल) भारत में स्थित एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जिसका पंजीकृत कार्यालय दूसरी मंजिल, एशिया भवन, रोड नंबर-205, सेक्टर-9, द्वारका (दक्षिण-पश्चिम दिल्ली) नई दिल्ली - 110077 में है। कंपनी को भारत में कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत 12 फरवरी 2016 को महाराष्ट्र राज्य एवं गुजरात राज्य और/या किसी अन्य क्षेत्र के बीच या तो खुद से या पट्टे पर लेकर या अन्यथा किसी अन्य मॉडल से और किसी भी मोड से या सभी अत्याधुनिक बुनियादी सुविधाओं के साथ मोड का संयोजन, जैसा कि रेलवे मंत्रालय या भारत सरकार या ऐसे किसी अन्य सक्षम प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित गया हो, से एक नया ट्रांजिट रूट बनाने के लिए हाई स्पीड रेल सेवाओं के करना योजना निर्माण, डिजाइन, विकास, निर्माण, प्रारंभ, रखरखाव, संचालन और वित्त पोषण के उद्देश्य से (इसके बाद "एनएचएसआर परियोजना" कहा गया है) संस्थापित किया गया था।

2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश

2.1 क) अनुपालन का कथन

कंपनी के वित्तीय विवरण समय-समय पर संशोधित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम 2015 के साथ पढ़ी जाने वाली कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक (इंडएएस) के अनुसार और भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तैयार किए जा रहे हैं।

ख) माप का आधार

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परंपरा के तहत और वास्तविक संचयी आधार पर तैयार किए गए हैं, निम्नलिखित मर्दों को छोड़कर, जिन्हें प्रासंगिक इंड-एएस द्वारा आवश्यक उचित मूल्य पर मापा गया है।

- उचित मूल्य पर मापी गई कुछ वित्तीय परिसंपत्तियां और देनदारियां (वित्तीय लिखतों के संबंध में लेखांकन नीति की नोट संख्या 2.21 देखें)
- परिभाषित लाभ योजना और योजना परिसंपत्तियां।

ग) चालू बनाम गैर चालू का वर्गीकरण

कंपनी चालू / गैर-चालू वर्गीकरण के आधार पर तुलन पत्र में परिसंपत्तियों और देनदारियों को प्रस्तुत करती है। एक परिसंपत्ति को चालू परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब:-

- उसे सामान्य परिचालन चक्र में प्राप्त करने, बेचने या उपभोग करने का आशय हो;
- मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य के लिए धारित किया गया हो;
- रिपोर्टिंग अवधि के बाद 12 महीने के भीतर उगाही करने की उम्मीद हो; या
- नकद या नकद समकक्ष हो, जब तक कि रिपोर्टिंग की तारीख के बाद कम से कम 12 महीने के लिए विनिमय या देयता का निपटान करने के लिए उपयोग हेतु प्रतिबंधित न किया गया हो।

अन्य सभी परिसंपत्तियों को गैर - चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

एक देयता को चालू देयता के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब:-

- उसे सामान्य परिचालन चक्र में निपटाने का आशय हो;
- मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य के लिए धारित किया गया हो;
- रिपोर्टिंग तिथि के बाद 12 महीने के भीतर निपटाया जाना हो; या
- रिपोर्टिंग तिथि के बाद कम से कम 12 महीने के लिए देयता के निपटान को स्थगित करने के लिए कोई बेशर्त अधिकार न हो।

अन्य सभी देनदारियों को गैर - चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को गैर - चालू परिसंपत्तियों और देनदारियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

परिचालन चक्र:

परिचालन चक्र, प्रसंस्करण के लिए परिसंपत्तियों के अधिग्रहण और नकद या नकद समकक्ष में उसकी उगाही के बीच का समय है। कंपनी ने अपने परिचालन चक्र में बारह महीनों की पहचान की है।

घ) आंकलन और निर्णय का उपयोग

इंडएएस के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन को निर्णय लेने, ऐसे आंकलन लगाने और अभिधारणा करने की आवश्यकता होती है जो लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग, और वित्तीय विवरण की तारीख को परिसंपत्तियों, देनदारियों की रिपोर्ट की गयी राशि, आकस्मिक परिसंपत्तियों और देनदारियों का प्रकटीकरण और आय एवं व्यय की रिपोर्ट की गयी राशि को प्रभावित करते हैं। ऐसे अनुमानों के उदाहरणों में कर्मचारी सेवानिवृत्ति लाभ योजनाओं के प्रति भविष्य का उत्तरदायित्व, एवं संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण का अनुमानित जीवन, कर्मचारी लाभ व्यय, प्रावधान आदि शामिल हैं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

अनुमानों और अंतर्निहित अभिधारणाओं की आवधिक आधार पर समीक्षा की जाती है। भविष्य के परिणाम, इन अनुमानों में परिवर्तन के कारण भिन्न हो सकते हैं एवं वास्तविक परिणाम और अनुमानों के बीच अंतर को उस अवधि में पहचाने जाते हैं जिसमें परिणाम ज्ञात/कार्यान्वित होते हैं।

वित्तीय विवरणों की समझ को बढ़ाने के लिए, लेखांकन नीतियों को लागू करने में आंकलन, अनिश्चितता और महत्वपूर्ण निर्णयों के महत्वपूर्ण क्षेत्र के बारे में जानकारी यहाँ नीचे बताई गयी है, जो वित्तीय विवरणों में पहचानी गई राशियों पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है:

- संपत्ति, संयंत्र और उपकरण : उपयोगी जीवन और अवशिष्ट मूल्यों की समय-समय पर मूल्यहास विधि के साथ समीक्षा की जाती है। जीवन ऐतिहासिक अनुभवों के साथ-साथ भविष्य की घटनाओं की प्रत्याशा पर आधारित है
- प्रावधान : बैलेंसशीट की तारीख पर दायित्वों को निपटाने के लिए आंकलन के आधार पर प्रावधान निर्धारित किए जाते हैं।
- आकस्मिक देनदारियां/परिसंपत्तियां : प्रबंधन के निर्णय के आधार पर आकस्मिक देनदारियां/संपत्तियां प्रकट की जाती हैं, प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को समीक्षा की जाती हैं और चालू प्रबंधन के आंकलन को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया जाता है।
- गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि परीक्षण : संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण की वसूली योग्य राशि का निर्धारण तकनीकी विशेषज्ञों के अभिधारणाओं के आधार पर निर्धारित की जाती है।
- आस्थगित कर परिसंपत्तियों को पहचानना : आस्थगित कर परिसंपत्ति को भविष्य में कर योग्य आय की संभावना के आंकलन के आधार पर पहचाना जाता है जिसके विरुद्ध आस्थगित कर का उपयोग किया जा सकता है।
- रोजगार के बाद के लाभ : कर्मचारी लाभ के उत्तरदायित्व को तथ्यात्मक अनुमानों के आधार पर मापा जाता है जिसमें मृत्यु दर और विथड्रॉल दरों के साथ-साथ छूट दरों में भविष्य के परिवर्तनों, वेतन वृद्धि की दर और मुद्रास्फीति दर से संबंधित प्राक्कलन भी शामिल हैं। कंपनी मानती है कि उत्तरदायित्वों को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्राक्कलन को विनियोजित और प्रलेखित किया जाता है। परिणामी गणनाओं पर भौतिक प्रभाव।

- (इ) भारतीय रुपए में प्रस्तुत की गई सभी वित्तीय जानकारी और सभी मूल्यों को निकटतम लाख में पूर्णांकित किया गया है, केवल उन स्थानों के अलावा जहाँ अन्यथा कहा गया हो।

राशि लाख रुपये में प्रस्तुत की गई है। कुलयोग में देखी गई कोई भी विसंगति पूर्णांकन के कारण है और इसमें सुधार की आवश्यकता नहीं होगी।

2.2 नकदी प्रवाह का विवरण

नकदी प्रवाह को अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके रिपोर्ट किया जाता है, जिसके द्वारा कर पूर्व लाभ / (हानि) को गैर-नकद प्रकृति के लेनदेन के प्रभाव और अतीत या भविष्य की नकद प्राप्तियों या भुगतानों के किसी भी स्थगन या संचय के लिए

समायोजित किया जाता है। कंपनी के परिचालन, निवेश और वित्तपोषण गतिविधियों संबंधी नकदी प्रवाह को उपलब्ध जानकारी के आधार पर पृथक किया जाता है।

नकदी प्रवाह के विवरण में प्रस्तुतीकरण के उद्देश्य से, नकदी तथा नकदी समतुल्यों में कैश इन हैंड, वित्तीय संस्थानों के पास जमा राशि, तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता वाली अन्य अल्पकालिक, अत्यधिक तरल निवेश शामिल हैं जो ज्ञात नकदी मात्रा में आसानी से परिवर्तनीय हैं और जो मूल्य में परिवर्तन और बैंक ओवरड्राफ्ट के मामूली जोखिम के अधीन हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट को तुलन पत्र में चालू देनदारियों में उधार के अंतर्गत दिखाया गया है।

2.3 कार्यात्मक एवं प्रस्तुति मुद्रा

वित्तीय विवरण में शामिल कार्यात्मक एवं प्रस्तुति मुद्रा मदों को प्राथमिक आर्थिक वातावरण की मुद्रा का उपयोग करके मापा जाता है जिसमें कंपनी परिचालित होती है (कार्यात्मक मुद्रा)। वित्तीय विवरण को भारतीय रुपये (आईएनआर) में दर्शाए गए हैं, जो कार्यात्मक होने के साथ-साथ कंपनी की प्रस्तुति मुद्रा भी है।

विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्राओं में अंकित लेनदेन को लेनदेन के समय प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किए गए हैं।

विदेशी मुद्राओं में अंकित मौद्रिक मदों का रिपोर्टिंग तिथि के विनिमय दरों पर अनुवाद किया जाता है।

मौद्रिक मदों के निपटान या अनुवाद पर उत्पन्न होने वाले विनिमय मतभेदों को लाभ या हानि में पहचाना गया है।

2.4 संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण

(क) संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण को लागत से संचित मूल्यहास और हानि, यदि कोई हो, को घटाकर मापा जाता है।

परिसंपत्तियों की लागत में निम्नलिखित शामिल हैं:

- परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए प्रत्यक्ष रूप से आई लागत
- यदि मान्यता मानदंड पूरे होते हैं, तो मदों को तोड़ने और हटाने और उस साइट को पुनर्स्थापित करने की अनुमानित लागत का वर्तमान मूल्य, जिस पर यह स्थित है।

(ख) यदि मान्यता मानदंड पूरे होते हैं, तो प्रतिस्थापन, प्रमुख निरीक्षण, महत्वपूर्ण पुर्जों की मरम्मत की लागत को पूंजीकृत किया जाता है।

(ग) संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण की एक मद के निपटान पर या जब परिसंपत्तियों के निरंतर उपयोग से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ उत्पन्न होने की उम्मीद न हो, तो उसे अमान्य कर दिया जाता है। संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण की किसी मद के निपटान या सेवानिवृत्ति पर उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या हानि को परिसंपत्ति के बिक्री आय और वहन राशि के बीच के अंतर के रूप में निर्धारित किया जाता है और इसे लाभ या हानि के विवरण में पहचाना जाता है।

मूल्यहास और परिशोधन

(क) परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन पर संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण पर मूल्यहास सीधी रेखा विधि (एसएलएम) के आधार पर प्रदान किया जाता है, जैसा कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्दिष्ट है।

(ख) संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण के वास्तु के प्रत्येक भाग का मूल्यहास अलग से किया जाता है, यदि किसी भाग की लागत मद की कुल लागत के संबंध में अधिक है और उस भाग का उपयोगी जीवन शेष परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन से अलग है।

(ग) कर्मचारियों को दी गई परिसंपत्ति:

- कर्मचारियों को दी गई संपत्ति: मोबाइल फोन को छोड़कर कर्मचारियों को दी गई अन्य परिसंपत्ति का एसएलएम आधार पर 3 वर्ष की अवधि में मूल्यहास किया गया है।
- कर्मचारियों को दिया गया मोबाइल फोन: कर्मचारियों को दी गई परिसंपत्ति का एसएलएम आधार पर 2 वर्ष की अवधि में मूल्यहास किया गया है।
- गैर-वापसी योग्य आधार पर कर्मचारियों को जारी किए गए ब्रीफ केस और लैंडलाइन उपकरण की लागत की प्रतिपूर्ति भुगतान के वर्ष में व्यय के तहत डाला जाता है।

- (घ) संपत्ति संयंत्र तथा उपकरण (कर्मचारियों को दी गई परिसंपत्ति के अलावा) की महत्वपूर्ण मदों की चालू और तुलनात्मक अवधि के लिए परिसंपत्ति का अनुमानित उपयोगी जीवन इस प्रकार है:
- | | |
|---------------------|---------|
| फर्नीचर और फिक्स्चर | 10 वर्ष |
| ईडीपी परिसंपत्ति | 3 वर्ष |
| कार्यालय उपकरण | 5 वर्ष |
| वाहन | 8 वर्ष |
| भवन | 60 वर्ष |
| ट्रैक स्लैब | 15 वर्ष |
- (ङ) पट्टाधारिता सुधारों को उस महीने से पट्टे की अवधि में परिशोधित किया जाता है जिसमें ऐसे सुधारों को पूंजीकृत किया गया है।
- (च) प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर मूल्यहास के तरीकों, उपयोगी जीवन और शेष मूल्यों की समीक्षा की जाती है।

2.5 अमूर्त परिसंपत्तियां

क. प्रारंभिक पहचाना और माप

एक अमूर्त परिसंपत्ति को तभी पहचाना जाता है यदि सम्भावना हो कि परिसंपत्ति से अपेक्षित भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे और परिसंपत्ति की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

कंपनी द्वारा अर्जित अमूर्त परिसंपत्तियों की प्रारंभिक पहचान हेतु लागत पर मापा जाता है। इसके बाद लागत से संचित परिशोधन और संचित क्षति हानि को घटाकर मापा जाता है। लागत में परिसंपत्तियों को उसके अपेक्षित उपयोग के लिए तैयार करने हेतु आवश्यक कोई भी प्रत्यक्ष आकस्मिक व्यय शामिल है।

विकास गतिविधियों पर व्यय को केवल तभी पूंजीकृत किया जाता है यदि व्यय को विश्वसनीय रूप से मापा जा सके, उत्पाद या प्रक्रिया तकनीकी और व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य हो, भविष्य में आर्थिक लाभ संभावित हों और कंपनी के पास विकास को पूरा करने और परिसंपत्ति का उपयोग करने या बेचने के लिए पर्याप्त संसाधन हों या चाहती हो।

किए गए व्यय जो अमूर्त संपत्तियों के तहत पूंजीकरण के लिए पात्र हैं, उन्हें तब तक विकासाधीन अमूर्त संपत्तियों के तहत रखा जाता है जब तक कि वे अपने अपेक्षित उपयोग के लिए तैयार न हो जाएं।

ख. परिशोधन

अमूर्त संपत्तियों का परिशोधन निम्नानुसार किया जाता है:

1. सॉफ्टवेयर - ईआरपी के अलावा 3 वर्ष
2. सॉफ्टवेयर - ईआरपी 5 वर्ष
3. भूमि के उपयोग का अधिकार, उपयोग के अधिकार की अवधि के दौरान परिशोधित किया जाता है। चालू और तुलनात्मक अवधि के लिए ऐसी परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन 15 वर्ष है।

ग. बाद की लागतें

बाद के व्यय को परिसंपत्ति की वहन राशि में वृद्धि के रूप में पहचाना जाता है जब संभावना हो कि वहन की गई लागत से प्राप्त होने वाले भविष्य के आर्थिक लाभ उद्यम को प्राप्त होंगे और मद की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

घ. अमान्य करना

एक अमूर्त परिसंपत्ति की पहचान तब रद्द कर दी जाती है जब उनके उपयोग से या उनके निपटान पर भविष्य में कोई आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं होती है। अमूर्त परिसंपत्तियों की किसी मद के निपटान पर लाभ एवं हानि का निर्धारण निपटान से प्राप्त आय के साथ अमूर्त परिसंपत्तियों की वहन राशि की तुलना करके किया जाता है और लाभ एवं हानि के विवरण में पहचाना जाता है।

2.6 जारी पूंजीगत कार्य

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को बकाया रहने वाली संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण के अधिग्रहण के लिए भुगतान की राशि और बैलेंस

तिथि से पहले अपेक्षित उपयोग के लिए तैयार नहीं होने वाली संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण की लागत को जारी पूंजीगत कार्य के अधीन प्रकट किया जाता है।

बिल के निपटान पर परिनिर्धारित क्षति का हिसाब लगाया जाता है। दावों, जिसमें मूल्य भिन्नता शामिल है, को स्वीकार किए जाने पर इसका लेखांकन किया जाता है।

जिस व्यय को प्रत्यक्ष रूप से कंपनी द्वारा शुरू की गई परियोजना के साथ पहचाना जा सकता है, उसे "प्रत्यक्ष परियोजना व्यय" के तहत "जारी पूंजीगत कार्य" में नाम लिखा जाता है। कर्मचारी लाभ जैसे अप्रत्यक्ष व्यय और परियोजना से सीधे संबंधित अप्रत्यक्ष व्यय को परियोजना पर प्रभारित किया गया है।

निर्माण अवधि से संबंधित आय और अन्य आकस्मिक आय जैसे ब्याज आय (इक्विटी के माध्यम से प्राप्त धन की अस्थायी परिनियोजन के अलावा), निविदा दस्तावेजों की बिक्री आदि को निर्माण के दौरान व्यय के विरुद्ध समायोजित किया जाता है।

जेआईसीए से ब्याज पर लिए गए ऋण के बदले पास थ्रू सहायता (ईएपी फंड) पर अर्जित ब्याज और परियोजना से संबंधित ठेकेदारों आदि को ब्याज पर प्रदान किए गए अग्रिम को उधारी लागत की सीमा तक सीडब्ल्यूआईपी के अधीन निर्माण के दौरान ब्याज (आईडीसी) के विरुद्ध समायोजित किया जाता है।

2.7 भूमि

1. भूमि को नियंत्रण के आधार पर एक परिसंपत्ति के रूप में पहचाना जाता है, जैसा कि भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति हेतु फ्रेमवर्क के अधीन आवश्यक है।
2. विभिन्न सरकारी निकायों और विभागों सहित भूमि मालिकों द्वारा सौंपे गए और कंपनी द्वारा कब्जे में लिए गए भूमि खण्डों को, कंपनी द्वारा भूमि का कब्जा लेने के समय या भुगतान करने पर, जो भी पहले हो, कंपनी के नाम पर स्वामित्व विलेख का पंजीकरण कराने का इंतजार किए बिना, पूंजीकृत किया गया है।
3. अतिरिक्त प्रतिपूर्ति, यदि कोई हो, भुगतान देय होने पर दर्ज किया जाएगा क्योंकि राशि का आंकलन नहीं किया जा सकता है।
4. पुनर्वास और पुनर्स्थापन की लागत और भूमि से संबंधित अन्य व्ययों को भूमि की लागत में जोड़े जाते हैं।
5. भूमि की लागत या भूमि के प्रतिपूर्ति के संबंध में अनंतिम रूप से / उत्तरदायित्वों के संबंधित प्रभाव में किए गए भुगतान, जिसमें कब्जे में मौजूद पट्टा धारिता भूमि शामिल है, संरचनाओं के अधिग्रहण की लागत से ध्वस्त किए गए ऐसे संरचनाओं की बिक्री आय को घटाकर प्राप्त राशि को भूमि या पट्टा धारिता भूमि की लागत के रूप में पहचाना जाता है।
6. अस्थायी आधार पर अधिग्रहीत भूमि के लिए अनंतिम रूप से / उत्तरदायित्वों के संबंधित प्रभाव में किए गए भुगतान को भूमि के कब्जे की अवधि के दौरान परिशोधित किया जाता है।
7. कंपनी के लिए भूमि खरीदने के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकरण (सीएएलए) को भुगतान की गई राशि को शुरुआत में भूमि के लिए अग्रिम (सीएएलए) माना जाता है। उसके बाद उक्त उद्देश्य के लिए सीएएलए खातों के माध्यम से सीधे भूमि मालिकों को किए गए संवितरण को भूमि की लागत के रूप में समायोजित किया जाता है और सीएएलए को शेष राशि अग्रिम के रूप में दिखाई जाती है।

2.8 प्रावधान, आकस्मिक देनदारियां और आकस्मिक परिसंपत्तियां

- क) देनदारियों के संबंध में प्रावधानों को पहचाना जाता है जिन्हें केवल पर्याप्त मात्रा में आंकलन का उपयोग करके मापा जा सकता है जब:
- i. पिछली घटना के परिणामस्वरूप कंपनी का वर्तमान दायित्व हो।
 - ii. दायित्व को निपटाने के लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के संभावित बहिर्प्रवाह की आवश्यकता होगी; और
 - iii. दायित्व की राशि का विश्वसनीय रूप से आंकलन लगाया जा सकता है। प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर प्रावधानों की समीक्षा की जाती है।

प्रावधानों में छूट

जहां पैसे के समय मूल्य का प्रभाव महत्वपूर्ण है, प्रावधान की राशि दायित्व को निपटाने के लिए अपेक्षित व्यय के वर्तमान मूल्य के बराबर होगी।

- ख) आकस्मिक देनदारियों को निम्नलिखित में से किसी एक मामले में प्रकट किया जाता है:
- किसी पिछली घटना से सृजित वर्तमान दायित्व, जब यह संभव नहीं है कि दायित्व को निपटाने के लिए संसाधनों के बहिर्प्रवाह की आवश्यकता होगी; या
 - वर्तमान दायित्व का कोई विश्वसनीय आंकलन नहीं किया जा सकता; या
 - एक संभावित दायित्व जब तक कि संसाधन के बहिर्प्रवाह की संभावना दूर न हो।

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर आकस्मिक देनदारी और आकस्मिक परिसंपत्ति के विरुद्ध आवश्यक आकस्मिक देनदारी और प्रावधानों की समीक्षा की जाती है।

- ग) आकस्मिक परिसंपत्तियों को प्रकट किया जाता है जहां आर्थिक लाभ का अंतर्प्रवाह संभावित हो।

2.9 राजस्व की पहचान

- क) ग्राहकों के साथ अनुबंध से प्राप्त राजस्व
- ग्राहकों के साथ अनुबंध से प्राप्त राजस्व को तब पहचाना जाता है जब मदों या सेवाओं का नियंत्रण ग्राहक को उस राशि पर हस्तांतरित किया जाता है, जो कंपनी उन मदों या सेवाओं के बदले में प्रतिफल प्राप्त करने की हकदार है।
 - राजस्व को प्राप्त या प्राप्य प्रतिफल के उचित मूल्य पर मापा जाता है।
- ख) अन्य राजस्व की पहचान
- ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके बकाया राशि और लागू ब्याज दर को ध्यान में रखते हुए समय अनुपात के आधार पर पहचाना जाता है।

2.10 पट्टे

- एक पट्टाधारी होने के नाते
कंपनी पट्टे की शुरुआत की तारीख पर उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति और पट्टे की देनदारी को पहचानती है। उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति को शुरू में लागत पर मापा जाता है, जिसमें पट्टा देनदारियों की प्रारंभिक राशि शामिल है, जो प्रारंभ तिथि पर या उससे पहले किए गए पट्टे के किसी भी भुगतान और साथ ही वहन की गई कोई प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत और अंतर्निहित परिसंपत्तियों को नष्ट करने और हटाने की लागत का आंकलन या अंतर्निहित परिसंपत्ति या उस साइट को पुनर्स्थापित करने की लागत का आंकलन घटाव कोई प्राप्त पट्टा प्रोत्साहन राशि के लिए समायोजित होती है।

उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति को बाद में प्रारंभ तिथि से लेकर उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन के अंत तक या पट्टे की अवधि के अंत तक, जो भी पहले हो, सीधी-रेखा विधि का उपयोग करके मूल्यहास किया जाता है। उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति का अनुमानित उपयोगी जीवन संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण के उपयोगी जीवन के समान आधार पर निर्धारित किया जाता है। इसके अलावा, उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति के लिए समय-समय पर होने वाली क्षति हानियाँ, यदि कोई हो, को घटाया जाता है, और पट्टे की देनदारी के कुछ पुनर्माप के लिए समायोजित किया जाता है।

पट्टे की देनदारी शुरू में पट्टे के भुगतान के वर्तमान मूल्य पर मापी जाती है जो प्रारंभ तिथि पर भुगतान नहीं किया गया है, पट्टे में निहित ब्याज दर का उपयोग करके जिसपर छूट दी गई है, या यदि वह दर आसानी से निर्धारित नहीं की जा सकती है, तो कंपनी की वृद्धिशील उधार दर पर मापी जाती है।

पट्टे की देनदारी को प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके परिशोधन लागत पर मापा जाता है; इसे तब दोबारा मापा जाता है जब किसी सूचकांक या दर में बदलाव के कारण भविष्य के पट्टे के भुगतान में बदलाव होता है। जब पट्टे की देनदारी को इस तरह से दोबारा मापा जाता है, तो उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति की वहन राशि के अनुरूप समायोजन किया जाता है, या यदि उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति की वहन राशि को शून्य कर दिया गया है तो लाभ एवं हानि में दर्ज किया जाता है।

कंपनी उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति प्रस्तुत करती है जो तुलन पत्र में "उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति" के तहत निवेश संपत्ति की परिभाषा और "अन्य वित्तीय देनदारियों" में पट्टे की देनदारियों को पूरा नहीं करती है।

अल्पावधि पट्टे और कम मूल्य वाली परिसंपत्तियों के पट्टे

कंपनी ने 12 महीने या उससे कम की पट्टा अवधि वाले अल्पकालिक पट्टों और कम मूल्य वाली परिसंपत्तियों के पट्टे के लिए उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति और पट्टा देनदारियों को नहीं पहचानने का निर्णय लिया है। कंपनी इन पट्टों से जुड़े पट्टा भुगतान को पट्टा अवधि के दौरान सीधी-रेखा आधार पर व्यय के रूप में पहचानती है।

ii. एक पट्टादाता होने के नाते

जब कंपनी एक पट्टादाता के रूप में कार्य करती है, तो यह पट्टे की शुरुआत में यह निर्धारित करती है कि प्रत्येक पट्टा एक वित्त पट्टा है या एक परिचालन पट्टा है। प्रत्येक पट्टे को वर्गीकृत करने के लिए, कंपनी इस बात का समग्र मूल्यांकन करती है कि क्या पट्टे द्वारा अंतर्निहित परिसंपत्ति के स्वामित्व के प्रति प्रासंगिक सभी जोखिमों और पुरस्कारों का पर्याप्त रूप से हस्तांतरण होता है या नहीं। यदि ऐसा होता है, तो पट्टा एक वित्त पट्टा है, यदि नहीं तो यह एक परिचालन पट्टा है। मूल्यांकन के भाग के रूप में, कंपनी कुछ संकेतकों पर विचार करती है जैसे कि क्या पट्टा परिसंपत्ति के आर्थिक जीवन के प्रमुख भाग के लिए है या नहीं।

यदि किसी व्यवस्था में पट्टा और गैर-पट्टा घटक शामिल हैं, तो कंपनी अनुबंध में प्रतिफल आवंटित करने के लिए इंड एस-115 "ग्राहकों के साथ अनुबंध से प्राप्त राजस्व" लागू करती है।

कंपनी परिचालन पट्टा के तहत प्राप्त पट्टा भुगतान को "अन्य आय" के हिस्से के रूप में पट्टा अवधि पर सीधी-रेखा के आधार पर आय के रूप में पहचानती है।

2.11 गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

परिसंपत्तियों की क्षति पर लागू इंड एस-36 के अनुसार, कंपनी की परिसंपत्तियों की वहन राशि की प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर समीक्षा की जाती है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्षति का कोई संकेत है या नहीं। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है, तो संपत्ति की उगाही योग्य राशि का आंकलन अधिकतर उचित मूल्य से बिक्री की लागत और उपयोग मूल्य को घटाकर लगाया जाता है। जब भी किसी परिसंपत्ति या उसकी नकदी पैदा करने वाली इकाई की वहन राशि उसकी उगाही योग्य राशि से अधिक हो जाती है, तो क्षति हानि को लाभ एवं हानि विवरण में पहचाना जाता है। यदि उगाही योग्य राशि के आंकलन में कोई बदलाव हुआ है और ऐसी हानि या तो मौजूद नहीं है या कम हो गई है, तो पूर्व लेखांकन अवधि में पहचानी गई क्षति हानि को रिवर्स कर दिया जाता है। क्षति हानि के रिवर्सल को लाभ एवं हानि विवरण में पहचाना जाता है।

2.12 उधारी लागत

परियोजना के लिए विशेष रूप से उधार ली गई और उसके साथ पहचानी गई धनराशि पर वहन की गई उधारी लागत को परियोजना या उसके हिस्से के चालू होने के समय तक पूंजीकृत किया जाता है और उसके बाद उस सीमा तक राजस्व में प्रभारित किया जाता है जब तक परिसंपत्ति वाणिज्यिक परिचालन के अधीन होती है।

उधार ली गई धनराशि की अस्थायी परिनियोजन से संबंधित आय को उधारी लागत की सीमा तक उधारी लागत के विरुद्ध समायोजित किया जाता है; उधारी लागत से अतिरिक्त की राशि को लाभ एवं हानि विवरण में दर्शाया जाता है।

2.13 कर्मचारी लाभ

क) अल्पकालिक कर्मचारी लाभ

सेवाएं प्रदान करने के बारह महीनों के भीतर देय सभी कर्मचारी लाभों को अल्पकालिक कर्मचारी लाभ के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वेतन, पारिश्रमिक और अल्पकालिक प्रतिपूरित अनुपस्थिति आदि जैसे लाभों को उस अवधि में पहचाना जाता है जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करता है।

ख) दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

i. दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों के लिए दायित्व जैसे कि दीर्घकालिक प्रतिपूरित अनुपस्थिति, अर्ध वेतन अवकाश और एलटीसी को उसी तरह से पहचाना जाता है जैसे नीचे (सी) (ii) में उल्लिखित परिभाषित लाभ योजनाओं

के मामले में पहचाना जाता है, सिवाय इसके कि दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजना के बीमांकिक लाभ या हानि को लाभ एवं हानि विवरण में पहचाना जाता है

ग) रोजगार के बाद के लाभ

- i. परिभाषित योगदान योजनाएं: कंपनी भविष्य निधि योजना, सीजीआईएस और कर्मचारी राज्य बीमा योजना के संबंध में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को परिभाषित योगदान देती है। कंपनी अपने कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन योजना का लाभ भी देती है। योजनाओं के तहत प्रदत्त/देय योगदान को उस अवधि के दौरान पहचाना जाता है जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करता है।
- ii. परिभाषित लाभ योजनाएं: उपमान, सामान भत्ता और पोस्ट-मेडिकल सेवानिवृत्ति लाभ रोजगार के बाद की परिभाषित लाभ योजनाएं हैं। तुलन पत्र में पहचानी गई देनदारी, तुलन पत्र की तारीख को परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य घटाया योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य के बराबर है। परिभाषित लाभ दायित्व की गणना प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट (पीयूसी) पद्धति का उपयोग करके एक स्वतंत्र बीमांकिक द्वारा की जाती है।
 - कंपनी ने उपमान / मेडिकल फंड के प्रबंधन के लिए एक अलग एनएचएसआरसीएल कर्मचारी समूह उपमान ट्रस्ट/ एनएचएसआरसीएल मेडिकल ट्रस्ट की स्थापना की है।
 - कंपनी अपनी तुलन पत्र में परिभाषित लाभ योजना के शुद्ध दायित्व को एक परिसंपत्ति या देनदारी के रूप में पहचानती है।
 - निवल परिभाषित लाभ देनदारी/ (परिसंपत्ति) के पुनः मापन के माध्यम से प्राप्त लाभ या हानि को अन्य व्यापक आय में पहचाना जाता है।
 - योजना परिसंपत्तियों के पोर्टफोलियो के वास्तविक रिटर्न, जो परिभाषित लाभ दायित्व को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली छूट दर को लागू करके की गई गणना से अधिक है, को अन्य व्यापक आय में पहचाना जाता है।
 - निवल परिभाषित लाभ दायित्व/ (संपत्ति) पर लागू सेवा लागत और निवल ब्याज लागत/(आय) को लाभ एवं हानि विवरण में पहचाना जाता है।

घ) सेवानिवृत्ति लाभ

'प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों' के सेवानिवृत्ति लाभों का लेखा-जोखा रेल मंत्रालय के दिशानिर्देशों के आधार पर किया गया है।

इ) पुनर्मापन

अनुभव समायोजन और परिभाषित लाभ योजनाओं जैसे उपमान, सामान भत्ता और पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल स्कीम से संबंधित बीमांकिक अभिधारणाओं में बदलाव से सृजित होने वाले पुनर्मापन लाभ एवं हानि को उस अवधि में पहचाना जाता है जिस दौरान वे सीधे अन्य व्यापक आय में घटित होते हैं। उन्हें इक्विटी में बदलाव के विवरण और तुलन पत्र में प्रतिधारित आय में शामिल किया गया है।

2.14 चालू आयकर

- i. वर्ष हेतु कर व्यय में चालू आयकर और स्थगित कर शामिल हैं।
- ii. चालू कर को लागू कर दरों का उपयोग करके कर प्राधिकरणों को भुगतान की जाने वाली अपेक्षित राशि पर मापा जाता है।
- iii. राशि की गणना करने के लिए उपयोग की जाने वाली कर दरें और कर कानून वे हैं जो उन देशों में रिपोर्टिंग तिथि पर अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित होते हैं जहां कंपनी परिचालित होती है और कर योग्य आय उत्पन्न करती है।
- iv. ओसीआई मदों से संबंधित चालू कर को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में पहचाना गया है।

2.15 आस्थगित कर

भारतीय लेखांकन मानक (इंडएएस 12) के अनुसार भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी "आय कर" में

- i. आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों और देनदारियों को अस्थायी अंतर के लिए पहचाना जाता है, जिसकी गणना रिपोर्टिंग

- तिथि पर अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित कर दरों और कर कानूनों का उपयोग करके की जाती है।
- ii. आस्थगित आयकर परिसंपत्ति को इस सीमा तक पहचाना जाता है कि यह संभव है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके विरुद्ध कटौती योग्य अस्थायी अंतर, और अप्रयुक्त कर क्रेडिट और अप्रयुक्त कर घाटे को आगे बढ़ाया जा सकता है।
 - iii. आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर की जाती है और इस सीमा तक घटाई जाती है कि यह अब संभव नहीं है कि समस्त आस्थगित आयकर परिसंपत्ति या उसके हिस्से का उपयोग करने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा।
 - iv. ओसीआई मदों से संबंधित आस्थगित कर को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में पहचाना गया है।

2.16 प्रति शेयर आय

1. प्रति शेयर मूल आय की गणना अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से इक्विटी शेयरधारकों के कारण वर्ष की निवल लाभ या हानि को विभाजित करके की जाती है। वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या को बोनस इश्यू और शेयर विभाजन की घटनाओं के प्रति समायोजित किया जाता है।
2. प्रति शेयर डाइल्यूटेड आय की गणना के लिए, इक्विटी शेयरधारकों के कारण अवधि की शुद्ध लाभ या हानि और वर्ष के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या को सभी डाइल्यूटिव संभावित इक्विटी शेयरों के संपत्तियों के लिए समायोजित किया जाता है।

2.17 प्रारंभिक व्यय

सभी प्रारंभिक व्यय वहन किए जाने पर व्यय के रूप में पहचाने जाते हैं।

2.18 इक्विटी धारकों को लाभांश

प्रदत्त/ देय लाभांश को उस वर्ष में पहचाना जाता है जिसमें संबंधित लाभांश को शेयरधारकों या निदेशक मंडल द्वारा उचित रूप से अनुमोदित किया जाता है।

2.19 तुलन पत्र की तारीख के बाद होने वाली घटनाएं

तुलन पत्र की तारीख के बाद होने वाली घटनाओं पर इंडिएएस 10 (तुलन पत्र की तारीख के बाद होने वाली आकस्मिकताएं और घटनाएं) के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करते समय विचार किया जाता है।

2.20 उचित मूल्य मापन

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर कुछ वित्तीय लिखतों को उचित मूल्य पर मापती है। उचित मूल्य वह कीमत है जो किसी परिसंपत्ति को बेचने पर प्राप्त की जाएगी या माप तिथि पर बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन के माध्यम से देनदारी हस्तांतरित करने पर भुगतान किया जाएगा। उचित मूल्य मापन इस धारणा पर आधारित है कि परिसंपत्ति को बेचने या देनदारी को हस्तांतरित करने का लेनदेन:

- या तो परिसंपत्ति या देनदारी के प्रमुख बाजार में हो, या
- प्रमुख बाजार की अनुपस्थिति में, परिसंपत्ति या देनदारी के लिए सबसे लाभप्रद बाजार में हो।

मुख्य या सबसे लाभप्रद बाजार कंपनी के लिए सुलभ होना चाहिए। किसी परिसंपत्ति या देनदारी का उचित मूल्य उन अभिधारणाओं का उपयोग करके मापा जाता है जो बाजार प्रतिभागी परिसंपत्ति या देनदारी का मूल्य निर्धारण करते समय उपयोग करेंगे, यह मानते हुए कि बाजार प्रतिभागी आर्थिक रूप से अपने सर्वोत्तम हित में कार्य करते हैं। कंपनी उन मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करती है जो ऐसी परिस्थितियों में उपयुक्त हैं और जिनके लिए उचित मूल्य मापने हेतु पर्याप्त डेटा उपलब्ध है जिससे प्रासंगिक ऑब्सर्वेबल इनपुट का उपयोग अधिकतम और अनऑब्सर्वेबल इनपुट का उपयोग न्यूनतम किया जा सकता है।

2.21 वित्तीय लिखत

क) प्रारंभिक पहचान:

वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों को तब पहचाना जाता है जब कंपनी लिखत के संविदात्मक प्रावधानों में एक पक्ष बनती है। वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों को शुरुआत में उचित मूल्य पर मापा जाता है। लेन-देन लागत जो सीधे वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों (लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों और

वित्तीय देनदारियों के अलावा) के अधिग्रहण या जारी करने के कारण होती हैं, वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय देनदारी की प्रारंभिक पहचान पर मापे गए उचित मूल्य में जोड़ी जाती हैं या घटाई जाती हैं।

ख) बाद के मापन:

वित्तीय परिसंपत्तियां

वित्तीय परिसंपत्तियों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

i. परिशोधित लागत पर

वित्तीय परिसंपत्तियों को बाद में परिशोधित लागत पर मापा जाता है यदि ये वित्तीय परिसंपत्तियां किसी ऐसे व्यवसाय के अंतर्गत धारित की जाती हैं जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने के लिए इन परिसंपत्तियों को धारण करना है और वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर नकदी प्रवाह को बढ़ाती हैं, जो केवल मूलधन और बकाया मूल राशि पर ब्याज का भुगतान है।

ii. अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य

वित्तीय परिसंपत्तियों को अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है यदि ये वित्तीय परिसंपत्तियां एक ऐसे व्यवसाय के अंतर्गत धारित की जाती हैं जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने और वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचने, दोनों को क्रियान्वित करना है और वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर नकदी प्रवाह को बढ़ाती हैं, जो केवल मूलधन और बकाया मूल राशि पर ब्याज का भुगतान है।

iii. लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर

यदि वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रारंभिक पहचान पर परिशोधित लागत या अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर नहीं मापा जाता है तो इसे लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है। लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों के अधिग्रहण के लिए प्रत्यक्ष रूप से की गई लेनदेन लागत को तुरंत लाभ या हानि विवरण में पहचाना जाता है।

वित्तीय देनदारियाँ

वित्तीय देनदारियों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

i. परिशोधित लागत पर वित्तीय देनदारियाँ

व्यापार और अन्य देय, प्रतिभूति और प्रतिधारण राशि आदि द्वारा दर्शाई गई परिशोधित लागत पर वित्तीय देनदारियों को शुरुआत में उचित मूल्य पर पहचाना जाता है, और बाद में प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है।

ii. लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देनदारियाँ (एफवीटीपीएल)

कंपनी ने एफवीटीपीएल में कोई वित्तीय देनदारियाँ निर्दिष्ट नहीं की हैं।

ग) अमान्य करना:

i. वित्तीय परिसंपत्ति

एक वित्तीय परिसंपत्ति (या, जहां लागू हो, वित्तीय परिसंपत्ति का एक हिस्सा या समान वित्तीय परिसंपत्तियों के समूह का हिस्सा) को केवल तभी अमान्य कर दिया जाता है जब परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह के संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाते हैं या वित्तीय परिसंपत्तियों और काफी हद तक परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिम और अनुदानों को हस्तांतरित कर दिया जाता है।

ii. वित्तीय देनदारी

एक वित्तीय देनदारी तब अमान्य हो जाती है जब देनदारी के तहत दायित्व का निर्वहन या रद्द कर दिया जाता है या समाप्त हो जाता है। जब एक मौजूदा वित्तीय देनदारी को उसी ऋणदाता से काफी भिन्न शर्तों पर किसी अन्य देनदारी से बदल दिया जाता है, या मौजूदा देनदारी की शर्तों को काफी हद तक संशोधित किया जाता है, तो ऐसे विनिमय या संशोधन को मूल देनदारी की अमान्यता और एक नए देनदारी की मान्यता के रूप में माना जाता है, और संबंधित वहन राशि में अंतर को लाभ या हानि विवरण में पहचाना जाता है।

घ) **वित्तीय संपत्तियों की क्षति:**

कंपनी क्षति हानि की माप और पहचान के लिए अपेक्षित जमा क्षीण (ईसीएल) मॉडल लागू करती है। कंपनी व्यापार प्राप्तियों पर क्षति हानि भत्ते को पहचानने के लिए 'सरलीकृत पद्धति' को अपनाती है। सरलीकृत पद्धति के अनुप्रयोग से कंपनी को क्रेडिट जोखिम में परिवर्तनों को ट्रैक करने की आवश्यकता नहीं होती है। बल्कि, यह प्रारंभिक पहचान से ही, प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर आजीवन ईसीएल के आधार पर क्षति हानि भत्ते को पहचानती है।

कंपनी अग्रगामी आधार पर परिशोधित लागत और एफवीटीओसीआई ऋण उपकरणों पर ली गई अपनी परिसंपत्तियों से जुड़ी अपेक्षित जमा क्षीण का आंकलन करती है। क्षति पद्धति इस पर लागू होती है कि क्या क्रेडिट जोखिम में कोई उल्लेखनीय वृद्धि हुई है या नहीं।

अवधि के दौरान पहचानी गई ईसीएल क्षति हानि भत्ता (या रिवर्सल) को लाभ एवं हानि विवरण में आय/व्यय के रूप में पहचाना जाता है।

2.22 बिक्री के लिए धारित गैर-चालू परिसंपत्ति (या निपटान समूह)

गैर- चालू परिसंपत्ति (या निपटान समूह) को बिक्री के लिए धारित परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जब उनकी वहन राशि मुख्य रूप से बिक्री लेनदेन के माध्यम से वसूल की जानी होती है और बिक्री को अत्यधिक संभावित माना जाता है। बिक्री को अत्यधिक संभावित तभी माना जाता है जब परिसंपत्ति या निपटान समूह अपनी वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध हो, यह संभावना नहीं है कि बिक्री वापस ले ली जाएगी, और वर्गीकरण की तारीख से एक वर्ष के भीतर बिक्री की उम्मीद होती है। बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत निपटान समूहों को निम्नतर वहन राशि और उचित मूल्य घटाया बिक्री की लागत के बराबर माना जाता है। संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियों को एक बार बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किए जाने के बाद उनका मूल्यहास या परिशोधन नहीं किया जाता है। बिक्री के लिए धारित संपत्तियों और देनदारियों को वित्तीय स्थिति के विवरण में अलग से प्रस्तुत किया जाता है।

यदि इंड एस 105 द्वारा बताए गए मानदंड "बिक्री के लिए धारित गैर - चालू संपत्ति और असतत परिचालन" अब पूरे नहीं होते हैं, तो निपटान समूह का बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकरण अमान्य हो जाता है। गैर - चालू परिसंपत्ति जिसका बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकरण अमान्य हो गया है, उसे (i) इसकी निम्नतर वहन राशि पर मापा जाता है, परिसंपत्ति को बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत करने से पहले, मूल्यहास के लिए समायोजित करने से पहले, जिसे पहचाना गया होता यदि उस परिसंपत्ति को बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया होता, और (ii) इसकी निम्नतर उगाही योग्य राशि पर मापा जाता है, उस तारीख को जब निपटान समूह का बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकरण अमान्य हो जाता है।

2.23 पूर्व अवधि समायोजन

पूर्व अवधि की महत्वपूर्ण त्रुटियों को प्रस्तुत पूर्व अवधि, जिसमें त्रुटि हुई थी, के लिए तुलनात्मक राशियों को पुनर्स्थापित करके पूर्वव्यापी रूप से सुधारा जाता है। यदि त्रुटि प्रस्तुत प्रारंभिक अवधि से पहले हुई है, तो प्रस्तुत प्रारंभिक अवधि के लिए परिसंपत्तियों, देनदारियों और इक्विटी के प्रारंभिक शेष को पुनर्स्थापित किया जाता है जब तक कि यह अव्यावहारिक न हो, और उस स्थिति में, नई लेखांकन नीति को यथासंभव जल्द से जल्द भावी रूप से लागू करने के लिए तुलनात्मक जानकारी को समायोजित किया जाता है।

पूर्वदत्त व्यय

प्रत्येक मामले में 5,00,000/- रुपये तक के पूर्वदत्त व्ययों को वर्ष के व्यय/आय के रूप में माना जाता है और खातों के स्वाभाविक शीर्षकों के अधीन शामिल किया जाता है।

2.24 मानदण्ड/संशोधन जो जारी किए गए हैं लेकिन अभी तक प्रभाव में नहीं आए हैं

एमसीए ने 31 मार्च 2023 की अधिसूचना के माध्यम से भारतीय लेखांकन मानक संशोधन नियम, 2023 जारी किए थे। भारतीय लेखांकन मानक संशोधन नियम, 2023 के तहत निम्नलिखित मानदंडों में संशोधन किए गए हैं:

1. पहली बार भारतीय लेखांकन मानकों को अपनाना (इंड एस-101)
2. शेयर आधारित भुगतान (इंड एस-102)
3. व्यापार संयोजन (इंड एस-103)

4. वित्तीय लिखत: प्रकटीकरण (इंड एस-107)
5. वित्तीय लिखत (इंड एस - 109)
6. ग्राहकों के साथ अनुबंध से प्राप्त राजस्व (इंड एस - 115)
7. वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति (इंड एस - 1)
8. लेखांकन नीतियां, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियां (इंड एस - 8)
9. आयकर (इंड एस - 12)
10. अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग (इंड एस - 34)

इन संशोधनों की प्रभावी तिथि 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक अवधि है। कंपनी वर्तमान में संशोधनों के प्रभाव का मूल्यांकन कर रही है और अभी तक वित्तीय विवरणों पर प्रभाव निर्धारित नहीं किया गया है।

नोट :- 3

संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण

विवरण	पूर्ण स्वामित्व भूमि	पट्टाधारित भूमि	भवन	ट्रेक स्लैब	पट्टाधारित सुधार	फर्नीचर और फिक्सचर	मोटर वाहन	ईडीपी परिसंपत्तियां	कार्यालय उपकरण	कुल
सकल वहन राशि										
1 अप्रैल 2021 को	5,31,009.36	18,327.00	3,772.71	1,339.76	643.24	715.77	75.02	1,145.22	707.58	5,57,735.66
संवर्धन	2,63,671.40	1,086.73	-	-	3.74	99.63	-	375.46	131.95	2,65,368.91
निस्तारण/ समायोजन	-	-	-	-	-	(1.92)	-	(7.19)	(19.54)	(28.65)
31 मार्च 2022 को	7,94,680.76	19,413.73	3,772.71	1,339.76	646.98	813.48	75.02	1,513.49	819.99	8,23,075.92
संवर्धन	1,24,225.74	-	-	-	91.87	58.65	-	170.48	144.67	1,24,691.41
निस्तारण/ समायोजन	(2.05)	2.05	-	-	-	(2.74)	-	(20.14)	(42.03)	(64.91)
31 मार्च 2023 को	9,18,904.45	19,415.78	3,772.71	1,339.76	738.85	869.39	75.02	1,663.83	922.63	9,47,702.42
संचित मूल्यहास और हानि										
1 अप्रैल 2021 को	-	-	2.76	182.79	545.81	170.29	28.37	623.07	303.26	1,856.35
वर्ष हेतु मूल्यहास शुल्क	59.76	-	-	75.94	(97.51)	120.41	8.92	226.08	138.26	531.86
निस्तारण/ समायोजन	-	-	-	-	-	(1.17)	-	(2.68)	(3.59)	(7.44)
31 मार्च 2022 को	-	-	62.52	258.73	448.30	289.53	37.29	846.47	437.93	2,380.77
वर्ष हेतु मूल्यहास शुल्क	59.73	-	-	84.85	148.17	119.27	8.91	263.77	200.01	884.71
निस्तारण/ समायोजन	-	-	-	-	-	(1.46)	-	(17.69)	(37.86)	(57.01)
31 मार्च 2023 को	-	-	122.25	343.58	596.47	407.34	46.20	1,092.55	600.08	3,208.47
कुल वहन मूल्य										
31 मार्च 2023 को	9,18,904.45	19,415.78	3,650.46	996.18	142.38	462.05	28.82	571.28	322.55	9,44,493.95
31 मार्च 2022 को	7,94,680.76	19,413.73	3,710.19	1,081.03	198.68	523.95	37.73	667.02	382.06	8,20,695.15

नोट 3.1 --

पूर्ण स्वामित्व भूमि / पट्टा धारिता भूमि के संवर्धन में भूमि अधिग्रहण लागत एवं भूमि अधिग्रहण और सुगमता से संबंधित व्यय शामिल हैं। कुछ मामलों में, भूमि पूर्ण स्वामित्व में है और स्वामित्व कंपनी के नाम पर हस्तांतरित किया जाना बाकी है। भूमि के मूल्य में भारत सरकार / रेल मंत्रालय / राज्य सरकार / स्थानीय प्राधिकरणों आदि से प्राप्त 19415.78 लाख रुपये (19413.73 लाख रुपये की पीवाई) की पट्टाधारिता भूमि शामिल है। हालाँकि, कुछ मामलों में, पट्टे की शर्तों को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। कुछ मामलों में अधिग्रहित पूर्ण स्वामित्व भूमि का स्वामित्व / नामांतरण हस्तांतरण लंबित है।

नोट 3.2 -- भूमि से संबंधित व्यय को पूर्ण स्वामित्व भूमि, पट्टाधारिता भूमि और भूमि के उपयोग के अधिकार के लिए वर्ष के दौरान भूमि के संबंधित शीर्ष में किए गए संवर्धन के अनुपात में आवंटित किया गया है।

नोट 3.3 -- कंपनी के नाम पर नहीं रखी गई अचल संपत्तियों के स्वामित्व विलेख के संबंध में जानकारी के लिए नोट 41 (xviii) देखें।

नोट :- 4

जारी पूंजीगत कार्य

विवरण	कुल	राशि (लाख रुपये में)
1 अप्रैल 2021 को	2,71,509.79	
संवर्धन (अनुगामी व्यय)	7,45,286.69	
समायोजन	-	
31 मार्च 2022 को	10,16,796.48	
संवर्धन (अनुगामी व्यय)	15,82,708.76	
समायोजन	-	
31 मार्च 2023 को	25,99,505.24	

नोट 4.1 – जारी पूंजीगत कार्य का विस्तृत विवरण

विवरण	शेष	वित्तीय वर्ष 2021-22		वित्तीय वर्ष 2022-23	
	01.04.2021 को	संवर्धन	समायोजन	संवर्धन	समायोजन
क. एमएचएसआर:					
निर्माण/ खरीद लागत *	1,00,108.30	6,81,614.44	-	14,80,012.78	22,61,735.52
उपयोगिता स्थानांतरण	1,14,367.55	33,370.55	-	23,305.56	1,71,043.66
परामर्श सेवा लागत	16,690.27	12,426.81	-	30,871.93	59,989.01
प्रारंभिक परियोजना व्यय	4,349.87	1,079.15	-	1,285.73	6,714.75
आकस्मिक परियोजना व्यय	36,889.41	18,842.88	-	21,571.74	77,304.03
घटायी: निविदा की बिक्री और अन्य आय	(895.61)	(2,047.14)	-	(753.66)	(3,696.41)
ख. कार्यालय भवन:					
कार्यालय भवन	-	-	-	26,414.68	26,414.68
कुल	2,71,509.79	7,45,286.69	-	15,82,708.76	25,99,505.24

* इसमें एनएचएसआरसीएल कॉर्पोरेट कार्यालय के लिए नए कार्यालय भवन हेतु 26,414.68 लाख रुपये की राशि शामिल है।

नोट 4.2 -- पूंजीगत कार्य-प्रगति की परिपक्वता अनुसूची

31 मार्च 2023 तक

सीडब्ल्यूआईपी	अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
प्रगति अधीन परियोजनाएं (एमएचएसआर*) एनबीसीसी टावर निर्माण अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएँ	15,56,294.08 26,414.68 -	7,45,286.69 - -	1,51,686.66 - -	1,19,823.13 - -	25,73,090.56 26,414.68 -
कुल	15,82,708.76	7,45,286.69	1,51,686.66	1,19,823.13	25,99,505.24

राशि (लाख रुपये में)

31 मार्च 2022 तक

CWIP	अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
प्रगति अधीन परियोजनाएं (एमएचएसआर*) अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएँ	7,45,286.69 -	1,51,686.66 -	82,718.21 -	37,104.92 -	10,16,796.48 -
कुल	7,45,286.69	1,51,686.66	82,718.21	37,104.92	10,16,796.48

राशि (लाख रुपये में)

चूंकि कोई अतिदेय और अधिक लागत नहीं है, इसलिए दोनों श्रेणियों (अधिक लागत या अतिदेय) के लिए संयुक्त आधार पर प्रकटीकरण की सूचना नहीं दी जाती है।

* मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना।

नोट:-- 5.1

अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	स्पेक्ट्रम शुल्क	सॉफ्टवेयर	भूमि के उपयोग का अधिकार*	कुल
सकल वहन राशि				
1 अप्रैल 2021 को	-	388.17	1,681.69	2,069.85
संवर्धन	-	5,451.82	822.82	6,274.64
निस्तारण/ समायोजन	-	-	(13.58)	(13.58)
31 मार्च 2022 को	-	5,839.99	2,490.93	8,330.91
संवर्धन	1,159.47	48.78	70.29	1,278.54
निस्तारण/ समायोजन	-	(116.99)	-	(116.99)
31 मार्च 2023 को	1,159.47	5,771.78	2,561.22	9,492.46
1 अप्रैल 2021 को	-	200.24	127.33	327.58
वर्ष हेतु परिशोधन शुल्क	-	862.18	133.05	995.23
निस्तारण/ समायोजन	-	-	-	-
31 मार्च 2022 को	-	1,062.42	260.38	1,322.81
वर्ष हेतु परिशोधन शुल्क	187.42	1,128.15	168.47	1,484.04
निस्तारण/ समायोजन	-	-	-	-
31 मार्च 2023 को	187.42	2,190.57	428.85	2,806.85
निवल वहन मूल्य				
31 मार्च 2023 को	972.05	3,581.21	2,132.37	6,685.61
31 मार्च 2022 को	-	4,777.55	2,230.54	7,008.10

* पश्चिम रेलवे के पत्र क्रमांक डब्ल्यू 340/23 दिनांक 22.02.2019 के जवाब में, कंपनी ने पिछले वर्षों में मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल (एमएचएसआर) के लिए कुछ भूमि खण्डों के अधिग्रहण/ हस्तांतरण के लिए 8,000.00 लाख रुपये का आंशिक भुगतान किया था। प्राप्त संचार के आधार पर, परिसंपत्तियों का जीवन 35 वर्ष माना गया और तदनुसार किए गए भुगतान का परिशोधन किया गया और जारी पूंजीगत कार्य के अंतर्गत पहचाना गया। पिछले वर्ष के दौरान, कंपनी को भूमि खण्डों के अतिरिक्त अनंतिम भुगतान के लिए पश्चिम रेलवे से दिनांक 08.01.2021 को एक और पत्र प्राप्त हुआ तथा उपलब्ध अतिरिक्त जानकारी और दस्तावेजों के आधार पर लेखांकन उपचार (इन परिसंपत्तियों के जीवन सहित) का पुनर्मूल्यांकन भी किया है। चूंकि उपरोक्त भूमि प्राप्त करने के नियम और शर्तें अभी भी विचाराधीन हैं, जिसमें पश्चिमी रेलवे के साथ अंतिम मूल्यांकन और कंपनी द्वारा पुनर्मूल्यांकन करना शामिल है, इसे लेखांकन आंकलन में परिवर्तन के रूप में शामिल किया गया है। तदनुसार, 7,758.17 लाख रुपये की इस राशि को पिछले वर्ष में पूंजीगत अग्रिमों में पुनर्वर्गीकृत किया गया है और उस पर 241.83 लाख रुपये के परिशोधन लागत को, जिसे "जारी पूंजीगत कार्य" शीर्षक के तहत दर्ज किया गया था, पूंजीगत अग्रिमों में पुनर्वर्गीकृत किया गया है। नियम और शर्तों को अंतिम रूप दिए जाने और अंतिम विचार किए जाने तक, भविष्य की अवधि के लाभ एवं हानि विवरण के आंकलन में उपरोक्त परिवर्तन का वित्तीय प्रभाव 31 मार्च, 2023 तक सुनिश्चित करने योग्य नहीं है।

नोट 5.2 -- विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां – कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	509.36	-
कुल	509.36	-

नोट 5.2.1 – विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों की परिपक्वता अनुसूची

31 मार्च 2023 तक

राशि (लाख रुपये में)

विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ	अवधि के लिए विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों में राशि				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
प्रगति अधीन परियोजनाएं	509.36	-	-	-	509.36
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं	-	-	-	-	-

31 मार्च 2022 तक

राशि (लाख रुपये में)

विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ	अवधि के लिए विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों में राशि				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
प्रगति अधीन परियोजनाएं	-	-	-	-	-
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं	-	-	-	-	-

चूंकि पूरी होने पर लागत अधिक नहीं हुई है, इसकी मूल योजना के पूरा होने की तुलना में अतिदेय नहीं है, इसलिए संयुक्त आधार पर दोनों श्रेणियों (अधिक लागत या अतिदेय) के लिए प्रकटीकरण की सूचना नहीं दी गई है।

नोट 5.3 -- परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	भवन	वाहन	कुल
सकल वहन राशि			
1 अप्रैल 2021 को	2,924.62	273.69	3,198.33
वर्ष के दौरान संवर्धन	245.91	145.61	391.52
निस्तारण/ समायोजन	(271.86)	-	(271.86)
31 मार्च 2022 को	2,898.67	419.30	3,317.99
वर्ष के दौरान संवर्धन	190.72	117.51	308.23
निस्तारण/ समायोजन	(79.30)	(208.71)	(288.01)
31 मार्च 2023 को	3,010.09	328.10	3,338.21
संचित मूल्यहास और हानि			
1 अप्रैल 2021 को	747.60	138.74	886.34
वर्ष हेतु मूल्यहास शुल्क	722.63	85.95	808.58
निस्तारण/ समायोजन	(271.86)	-	(271.86)
31 मार्च 2022 को	1,198.37	224.69	1,423.06
वर्ष हेतु मूल्यहास शुल्क	648.11	94.73	742.84
निस्तारण/ समायोजन	(79.30)	(208.71)	(288.01)
31 मार्च 2023 को	1,767.18	110.71	1,877.89
निवल वहन मूल्य			
31 मार्च 2023 को	1,242.91	217.39	1,460.32
31 मार्च 2022 को	1,700.31	194.61	1,894.92

नोट :- 6

वित्तीय परिसंपत्तियां - गैर-चालू

नोट 6.1 – ऋण

	राशि (लाख रुपये में)	
विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
परिशोधित लागत पर अप्रतिभूत, सुविचारित माल		
कर्मचारी को गृह निर्माण अग्रिम (एचबीए) ऋण	25.69	27.66
कुल	25.69	27.66

नोट 6.2 -- अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

	राशि (लाख रुपये में)	
विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
परिशोधित लागत पर अप्रतिभूत, सुविचारित माल		
प्रतिभूति	227.88	517.34
ग्रहणाधिकार के रूप में रखा गया (नोट 6.2.1 देखें)	-	17.10
कुल	227.88	534.44

कंपनी ने प्रदर्शन गारंटी के रूप में 17.10 लाख रुपये की अपनी दीर्घकालिक जमा राशि का एक हिस्सा महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) को देने का वादा किया है।

नोट 6.2.1 – ग्रहणाधिकार के रूप में रखी गई सावधि जमा का विवरण

	राशि (लाख रुपये में)	
विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
एमआईडीसी (महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम)	-	17.10
कुल	-	17.10

नोट :- 7

आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (निवल)

	राशि (लाख रुपये में)	
विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
क. आस्थगित कर देनदारियाँ		
सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण	546.70	107.85
आस्थगित कर देनदारियों का कुलयोग	546.70	107.85
ख. आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ		
प्राथमिक व्यय	136.22	163.15
सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण	-	-
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	268.92	232.60
पट्टा देनदारियाँ और आरओयू (उपयोग का अधिकार)	60.26	50.82
आस्थगित कर परिसंपत्तियों का कुलयोग	465.40	446.57
निवल आस्थगित कर (देयता)/परिसंपत्ति	(81.30)	338.72

आस्थगित कर परिसंपत्ति/(देयता) में परिवर्तन

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	प्राथमिक व्यय	लीज देनदारियां और आरओयू (उपयोग का अधिकार)	संपत्ति, संयंत्र और कर्मचारी लाभ उपकरण	कुल व्यय	कुल
1 अप्रैल 2021 को प्रारंभिक शेष	131.57	-	99.28	152.56	383.41
वर्ष के दौरान प्रभारित/ (जमा किया गया)					
- लाभ एवं हानि के लिए	31.59	50.82	(207.13)	77.52	(47.20)
- अन्य व्यापक आय के लिए	-	-	-	2.52	2.52
31 मार्च 2022 को अंतिम शेष	163.15	50.82	(107.85)	232.60	338.72
वर्ष के दौरान प्रभारित/ (जमा किया गया)					
- लाभ एवं हानि के लिए	(26.93)	9.44	(438.85)	27.47	(428.87)
- अन्य व्यापक आय के लिए	-	-	-	8.85	8.85
31 मार्च 2023 को अंतिम शेष	136.22	60.26	(546.70)	268.92	(81.30)

नोट :- 8

अन्य गैर - चालू परिसंपत्तियां

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
क) पूंजीगत अग्रिम		
भूमि अधिग्रहण के लिए अग्रिम	90,470.84	1,11,550.67
अन्य के लिए अग्रिम (नोट 8.1 देखें)	5,52,473.46	5,36,472.89
ख) अन्य		
उचित मूल्य समायोजन-प्रतिभूति (नोट 8.2 देखें)	0.83	15.60
उचित मूल्य समायोजन - गृह निर्माण अग्रिम (एचबीए) (नोट 8.3 देखें)	8.30	9.31
कुल	6,42,953.43	6,48,048.47

नोट 8.1 -- इसमें कंपनी की ओर से एक ठेकेदार द्वारा संचालित किए जा रहे बैंक खाते में मौजूद शेष राशि शामिल है, जिसमें ठेकेदार को कंपनी के उपयोगिता स्थानांतरण कार्यों के संबंध में निर्दिष्ट लेनदेन करने की अनुमति है। इसलिए, उपरोक्त शेष राशि को पूंजीगत अग्रिम के रूप में प्रकट किया गया है।

नोट 8.2 -- यह प्रतिभूति के उचित मूल्य और लेनदेन मूल्य के बीच अंतर के अपरिशोधित हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है।

नोट 8.3 -- यह गृह निर्माण अग्रिम (एचबीए) ऋण के उचित मूल्य और लेनदेन मूल्य के बीच अंतर के अपरिशोधित हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है।

नोट :- 9

वित्तीय परिसंपत्तियां - चालू

नोट 9.1 -- व्यापार प्राप्तियां

राशि (लाख रुपये में)		
विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
व्यापार प्राप्तियां		
सुविचारित सुरक्षित - प्रतिभूत;	-	-
सुविचारित सुरक्षित - अप्रतिभूत;	-	-
व्यापार प्राप्तियां जिसके क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-
व्यापार प्राप्तियां - जमा क्षीण	-	-
	-	-

नोट 9.1.1 – कोई व्यापार प्राप्तियां नहीं है, इसलिए इसकी परिपक्वता तैयार नहीं की गई है और इसे प्रकट नहीं किया गया है।

नोट 9.2 -- नकदी और नकदी समतुल्य

राशि (लाख रुपये में)		
विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
नकदी		
बैंकों में शेष राशि:		
– चालू खाते में	1,444.81	24,679.60
– फ्लेक्सी अकाउंट में	35,828.60	32,316.20
अग्रदाय खाते में	14.78	12.15
सावधि जमा (3 महीने या 3 महीने से कम की मूल परिपक्वता के साथ)	20,000.00	2,40,102.81
कुल	57,288.19	2,97,110.76

कंपनी की तत्काल नकदी आवश्यकताओं के आधार पर, अल्पकालिक जमा एक दिन से लेकर तीन महीने के बीच की अलग-अलग अवधि के लिए किए जाते हैं, और संबंधित अल्पकालिक जमा दरों पर ब्याज अर्जित करते हैं।

नोट 9.3 – नकदी और नकदी समतुल्य के अलावा बैंकों में अन्य शेष राशि

राशि (लाख रुपये में)		
विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
बैंकों में शेष राशि:		
सावधि जमा (3 महीने से अधिक से लेकर 12 महीने तक की मूल परिपक्वता के साथ)	-	20,202.29
ग्रहणाधिकार के रूप में रखी गई सावधि जमा (एमआईडीसी) (नोट 9.3.1 देखें)	17.10	-
बैंकों में निर्धारित शेष राशि (नोट 9.3.2 देखें)	89.32	105.88
कुल	106.42	20,308.17

नोट 9.3.1 – कंपनी ने प्रदर्शन गारंटी के रूप में 17.10 लाख रुपये की अपनी दीर्घकालिक जमा राशि का एक हिस्सा महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) को देने का वादा किया है।

नोट 9.3.2 – बैंकों की निर्धारित शेष राशि सीएसआर व्ययों के लिए अव्ययित शेष राशि को दर्शाती हैं।

नोट 9.4 -- ऋण

राशि (लाख रुपये में)		
विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
परिशोधित लागतों पर अप्रतिभूत, सुविचारित माल		
कर्मचारी को गृह निर्माण अग्रिम (एचबीए) ऋण	3.85	3.85
कुल	3.85	3.85

नोट 9.5 -- अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

विवरण	राशि (लाख रुपये में)	
	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
अर्जित ब्याज	157.02	559.98
अन्य प्राप्तियां	1.68	2.89
ब्याज प्राप्तियां	73.82	144.66
प्रतिभूति राशि	648.12	309.24
कुल	880.64	1,016.77

नोट :- 10

अन्य चालू परिसंपत्तियां

विवरण	राशि (लाख रुपये में)	
	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
पूँजीगत अग्रिम के अलावा अन्य अग्रिम		
व्यय के लिए अग्रिम	12.97	2.64
अन्य		
पूर्वदत्त व्यय	289.78	1,230.85
उचित मूल्य समायोजन - प्रतिभूति*	15.58	17.69
उचित मूल्य समायोजन - गृह निर्माण अग्रिम (एचबीए)**	0.87	0.89
अग्रिम - एचएसआर इनोवेशन ट्रस्ट	-	3.52
नई एचएसआर परियोजनाओं पर व्यय (नोट 17.1 देखें)	10,105.09	6,802.03
कुल	10,424.29	8,057.62

* यह प्रतिभूति के उचित मूल्य और लेनदेन मूल्य के बीच अंतर के अपरिशोधित हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है।

** यह गृह निर्माण अग्रिम (एचबीए) के उचित मूल्य और लेनदेन मूल्य के बीच अंतर के अपरिशोधित हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है।

नोट :- 11

इक्विटी शेयर पूँजी

विवरण	राशि (लाख रुपये में)	
	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
अधिकृत शेयर पूँजी		
प्रत्येक 1000 रुपये के 20,00,00,000 इक्विटी शेयर	20,00,000	20,00,000
(31 मार्च 2022 को, प्रत्येक 1000 रुपये के 20,00,00,000 इक्विटी शेयर)	20,00,000	20,00,000
जारी/अभिदत्त और प्रदत्त पूँजी		
प्रत्येक 1000 रुपये के 14,21,14,300 इक्विटी शेयर	14,21,143	12,93,000
(31 मार्च 2022 को, प्रत्येक 1000 रुपये के 12,93,00,000 इक्विटी शेयर)	14,21,143	12,93,000

नोट 11.1 -- इक्विटी शेयरों और शेयर पूँजी की संख्या का मिलान

विवरण	31 मार्च 2023 को		31 मार्च 2022 को	
	शेयरों की संख्या	राशि (लाख रुपये में)	शेयरों की संख्या	राशि (लाख रुपये में)
आरंभ में बकाया जारी/ अभिदत्त और प्रदत्त इक्विटी पूँजी	12,93,00,000	12,93,000	9,58,00,000	9,58,000
संवर्धन: वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर	1,28,14,300	1,28,143	3,35,00,000	3,35,000
वर्ष के अंत में बकाया जारी/ अभिदत्त और प्रदत्त इक्विटी पूँजी	14,21,14,300	14,21,143	12,93,00,000	12,93,000

नोट 11.2 -- शेयरों से जुड़े अधिकार, प्राथमिकताएं और प्रतिबंध

कंपनी के पास इक्विटी शेयरों की केवल एक श्रेणी है, जिसे 1000/- रुपये के सम मूल्य वाला इक्विटी शेयर कहा जाता है। एक इक्विटी शेयर का प्रत्येक धारक प्रति शेयर एक वोट देने का हकदार है। कंपनी के परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयरों के धारक सभी अधिमान्य राशियों के वितरण के बाद, कंपनी की शेष किसी भी परिसंपत्तियों को प्राप्त करने के हकदार होंगे। 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान, इक्विटी शेयरधारकों को वितरण के लिए घोषित लाभांश शून्य था (पिछले वर्ष: शून्य)।

नोट 11.3 -- कंपनी में कुल शेयरों का 5% से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों द्वारा धारित शेयरों का विवरण

शेयरधारक का नाम	31 मार्च 2023 को		31 मार्च 2022 को	
	शेयरों की संख्या	धारण %	शेयरों की संख्या	धारण %
इक्विटी शेयर				
रेल मंत्रालय, भारत सरकार और उसके नामित व्यक्ति	10,00,00,000	70.37%	10,00,00,000	77.34%
गुजरात सरकार	4,20,54,300	29.59%	2,93,00,000	22.66%
महाराष्ट्र सरकार	60,000	0.04%	-	0.00%
कुल	14,21,14,300	100.00%	12,93,00,000	100.00%

नोट 11.4 -- प्रमोटरों द्वारा धारित शेयरों का विवरण

31 मार्च 2023 तक

प्रमोटर का नाम	वर्ष की शुरुआत में शेयर की संख्या (संख्या में)	वर्ष के दौरान परिवर्तन	वर्ष के अंत में शेयर की संख्या	कुल शेयर %	वर्ष के दौरान परिवर्तन %
प्रत्येक 1000/- रुपये का इक्विटी शेयर:					
रेल मंत्रालय, भारत सरकार और उसके नामित व्यक्ति	10,00,00,000	-	10,00,00,000	70.37%	-6.97%
गुजरात सरकार	2,93,00,000	1,27,54,300	4,20,54,300	29.59%	6.93%
महाराष्ट्र सरकार	-	60,000	60,000	0.04%	0.04%
कुल	12,93,00,000	1,28,14,300	14,21,14,300	100.00%	

31 मार्च 2022 को

प्रमोटर का नाम	वर्ष की शुरुआत में शेयर की संख्या (संख्या में)	वर्ष के दौरान परिवर्तन	वर्ष के अंत में शेयर की संख्या	कुल शेयर %	वर्ष के दौरान परिवर्तन %
प्रत्येक 1000/- रुपये का इक्विटी शेयर:					
रेल मंत्रालय, भारत सरकार और उसके नामित व्यक्ति	8,95,00,000	1,05,00,000	10,00,00,000	77.34%	-16.08%
गुजरात सरकार	63,00,000	2,30,00,000	2,93,00,000	22.66%	16.08%
महाराष्ट्र सरकार	-	-	-	-	-
कुल	9,58,00,000	3,35,00,000	12,93,00,000	100.00%	

नोट 11.5 -- रिपोर्टिंग की तारीख से तुरंत पहले पांच वर्षों की अवधि के दौरान कोई भी इक्विटी शेयर बोनस के रूप में या नकद के अलावा किसी अन्य सुविचार के लिए जारी नहीं किया गया था और इस अवधि के दौरान कोई भी शेयर वापस नहीं खरीदा गया था।

नोट :- 12

अन्य इक्विटी

राशि (लाख रुपये में)		
विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
प्रतिधारित आय (नोट 12.1 देखें)	24,478.64	19,253.79
शेयर अनुप्रयोग राशि लंबित आवंटन (नोट 12.2 देखें)	29,457.00	20,000.00
कुल	53,935.64	39,253.79

नोट 12.1 -- प्रतिधारित आय

राशि (लाख रुपये में)		
विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	22,185.28	14,134.53
लेखांकन नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि की त्रुटियाँ	(2,931.49)	(1,076.46)
वर्ष की शुरुआत में पुनः स्थापित शेष राशि	19,253.79	13,058.07
जोड़ा: वर्ष के दौरान लाभ	5,379.29	6,538.23
घटाया: शेयर जारी करने के व्यय	(128.14)	(335.00)
जोड़ा: अन्य व्यापक आय निर्धारित लाभ उत्तरदायित्व के पुनर्माप से सृजित आयकर का निवलयोग	(26.30)	(7.51)
अंतिम शेष	24,478.64	19,253.79

आरक्षितियों की प्रकृति और उद्देश्य:

(क) प्रतिधारित आय

प्रतिधारित आय कंपनी के अवितरित लाभ को दर्शाती है।

नोट 12.2 -- शेयर अनुप्रयोग राशि लंबित आवंटन

राशि (लाख रुपये में)		
विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
प्रारंभिक शेष	20,000.00	1,00,000.00
जोड़ा: वर्ष के दौरान प्राप्त शेयर अनुप्रयोग राशि	1,37,600.00	2,55,000.00
घटाया: वर्ष के दौरान जारी किया गया शेयर	(1,28,143.00)	(3,35,000.00)
अंतिम शेष	29,457.00	20,000.00

नोट 12.2.1 – 31 मार्च 2023 तक शेयर अनुप्रयोग लंबित आवंटन के संबंध में शेयरों को 26 जून 2023 को आवंटित किया गया है।

नोट :- 13

वित्तीय देनदारियाँ - गैर चालू

नोट 13.1 -- पट्टा देनदारियाँ

राशि (लाख रुपये में)		
विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
पट्टा देनदारियाँ	867.76	1,414.81
कुल	867.76	1,414.81

नोट 13.2 -- अन्य वित्तीय देनदारियाँ (परिशोधित लागत पर)

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
रेल मंत्रालय से अग्रिम (नोट 13.2.1 देखें)	25,20,000.00	13,20,000.00
प्रतिभूति राशि	10,799.86	523.08
अन्य देय	1,765.90	-
कुल	25,32,565.76	13,20,523.08

नोट 13.2.1 – वित्त मंत्रालय (एमओएफ) ने मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल (एमएचएसआर) परियोजना के लिए ऋण सुविधाओं का लाभ उठाने हेतु जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी ("जेआईसीए") के साथ निम्नलिखित समझौते (31-मार्च-2023 को) निष्पादित किए हैं। पुनर्भुगतान अवधि 50 वर्ष (15 वर्ष की छूट अवधि सहित) है। ब्याज दर 0.1% प्रति वर्ष है।

उद्देश्य	परियोजना हेतु प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण	एमएचएसआर का निर्माण	एमएचएसआर का निर्माण	एमएचएसआर का निर्माण	एमएचएसआर का निर्माण
ऋण आईडी	आईडी- P264	आईडी - P277	आईडी - P279	आईडी - P305	आईडी - P309
स्वीकृत ऋण राशि (मिलियन जेपीवाई में)	10,453	89,547	1,50,000	1,00,000	3,00,000
ऋण समझौते पर हस्ताक्षर करने की तिथि	15-09-2017	28-09-2018	29-10-2018	25-07-2022	29-03-2023

परिणामस्वरूप, 31 मार्च 2023 तक रेल मंत्रालय ("एमओआर") ने जेआईसीए ऋण के बदले बाहरी सहायता प्राप्त परियोजना ("ईएपी") के रूप में कंपनी को 25,20,000/- लाख रुपये (पिछले वर्ष 13,20,000/- लाख रुपये) की आंशिक राशि जारी की है।

कंपनी और एमओआर के बीच उपरोक्त ईएपी के संबंध में नियम और शर्तें इन वित्तीय विवरणों की तिथि पर विचाराधीन हैं। संबंधित नियमों और शर्तों को अंतिम रूप दिए जाने तक, कंपनी ने उपरोक्त ईएपी को "वित्तीय देनदारियां - गैर-चालू" शीर्षक के तहत प्रस्तुत किया है और इन वित्तीय विवरणों में कोई परिणामी व्यय दर्ज नहीं किया गया है।

लेन-देन के मूल्य को रेल मंत्रालय की ओर से प्रदान किए गए अग्रिम के लिए उचित मूल्य माना जाता है क्योंकि एनएचएसआरसीएल के मामले में समान क्रेडिट रेटिंग वाले समान लिखत के लिए ब्याज उपलब्ध नहीं है। इसलिए, इंड एस 109 के अनुसार उचित मूल्यांकन के लिए किसी समायोजन की आवश्यकता नहीं है।

नोट :- 14

प्रावधान – गैर चालू

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
अवकाश नकदीकरण हेतु प्रावधान	591.20	603.26
सामान/ पुनर्स्थापन भत्ते हेतु प्रावधान	37.34	27.83
एलटीसी (अवकाश यात्रा रियायत) के हेतु प्रावधान	163.42	115.51
सीएसआर हेतु प्रावधान	-	4.85
कुल	791.96	751.45

नोट :- 15

अन्य गैर चालू देनदारियां

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
अग्रिम में प्राप्त हुई किराया आय	-	8.75
कुल	-	8.75

नोट :- 16

वित्तीय देनदारियां – चालू

नोट 16.1 -- पट्टा देनदारियां

राशि (लाख रुपये में)		
विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
पट्टा देनदारियां	831.96	682.03
कुल	831.96	682.03

नोट 16.2 -- व्यापार देनदारियां

राशि (लाख रुपये में)		
विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
व्यापार देनदारियां*		
(क) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि; और	-	-
(ख) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि।	-	-
कुल	-	-

* कोई व्यापार देनदारियां नहीं हैं, इसलिए देनदारियों की परिपक्वता और संबंधित पक्षों को प्रकटीकरण तैयार नहीं किया गया है।

नोट 16.3 -- अन्य वित्तीय देनदारियाँ (परिशोधित लागत पर)

राशि (लाख रुपये में)		
विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
अन्य देय (नोट 16.3.1 देखें)	2,28,449.66	1,41,384.05
कर्मचारी लाभ देय	20.81	27.79
प्रतिभूति राशि	754.94	1,795.91
कुल	2,29,225.41	1,43,207.75

नोट 16.3.1 – अन्य देय राशियाँ ब्याज रहित लिखत हैं।

नोट :- 17

अन्य चालू देनदारियां

राशि (लाख रुपये में)		
विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
अनुबंध देनदारी		
ग्राहक से अग्रिम (नोट 17.1 देखें)	10,207.00	10,207.00
अन्य		
अग्रिम में प्राप्त हुई किराया आय	8.75	23.31
सांविधिक बकाया राशि	14,928.24	12,983.45
अन्य	1.06	-
कुल	25,145.05	23,213.76

नोट 17.1 -- रेल मंत्रालय (एमओआर) ने भारत के कुछ निर्दिष्ट स्थानों पर सात हाई स्पीड रेल ("एचएसआर") कॉरिडोर के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट ("डीपीआर रिपोर्ट") तैयार करने का काम सौंपा है। तदनुसार, कंपनी को उपरोक्त कार्य के संबंध में 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान शून्य रुपये (31 मार्च 2022: शून्य और 31 मार्च 2021: 10,207 लाख रुपये) की अग्रिम राशि प्राप्त हुई है।

उपरोक्त डीपीआर परियोजनाओं को नियंत्रित करने वाले नियम और शर्तें अभी भी विचाराधीन हैं और 31 मार्च, 2023 तक सभी कॉरिडोर के कार्य प्रगति पर हैं। नियमों और शर्तों को अंतिम रूप देने तक, 31 मार्च, 2023 तक इन डीपीआर पर किए गए व्यय को "अन्य चालू परिसंपत्तियां" के अधीन रखा गया है और एमओआर से प्राप्त अग्रिमों को "ग्राहक से प्राप्त अग्रिम राशि" के रूप में प्रकट किया गया है।

नोट :- 18

प्रावधान – चालू

विवरण	राशि (लाख रुपये में)	
	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
सीएसआर व्यय का प्रावधान	74.45	101.03
उपदान का प्रावधान	185.93	126.85
अवकाश नकदीकरण हेतु प्रावधान	51.62	24.98
सामान/ पुनर्स्थापन भत्ते का प्रावधान	0.52	0.34
एलटीसी (अवकाश यात्रा रियायत) के लिए प्रावधान	6.46	2.75
सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ का प्रावधान	32.03	22.68
कुल	351.01	278.63

नोट :- 19

चालू कर परिसंपत्तियां (निवल) / चालू कर देनदारियां (निवल)

विवरण	राशि (लाख रुपये में)	
	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
चालू कर परिसंपत्तियां		
चालू कर का प्रावधान	(1,041.52)	(2,074.74)
अग्रिम कर और स्रोत पर कर कटौती	1,415.50	2,567.68
पिछले वर्ष का वापसी योग्य आयकर	-	-
कुल	373.98	492.94
चालू कर देनदारियां		
चालू कर का प्रावधान	-	-
अग्रिम कर और स्रोत पर कर कटौती	-	-
कुल	-	-

नोट :- 20

अन्य आय

विवरण	राशि (लाख रुपये में)	
	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
ब्याज आय		
एफडीआर पर ब्याज आय	7,740.40	6,236.95
ब्याज आय-फ्लेक्सी खाता	1,626.92	5,376.90
ब्याज आय-अन्य	254.82	500.61
कर्मचारी को एचबीए ऋण की ब्याज आय	2.23	3.59
वित्तीय परिसंपत्तियों पर ब्याज आय	21.13	19.64
अन्य गैर- परिचालन आय		
अन्य प्राप्तियां	131.13	114.96
वित्तीय देनदारियों का परिशोधन	-	65.43
कुल	9,776.63	12,318.08

नोट :-- 21

कर्मचारी लाभ व्यय

विवरण	राशि (लाख रुपये में)	
	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
वेतन और मजदूरी	9,504.14	8,894.58
भविष्य निधि और अन्य निधि में योगदान	1,074.50	849.02
कर्मचारी कल्याण व्यय	1,417.13	1,108.56
कुल	11,995.77	10,852.16
घटाया : सीडब्ल्यूआईपी में अंतरित	(11,755.11)	(10,657.87)
कुल	240.66	194.29

नोट :-- 22

वित्त लागत

विवरण	राशि (लाख रुपये में)	
	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
कर पर ब्याज	13.77	4.85
पट्टा देनदारी पर ब्याज	157.78	154.07
कुल	171.55	158.92
घटाया : सीडब्ल्यूआईपी में अंतरित	(155.27)	(151.84)
कुल	16.28	7.08

नोट :-- 23

मूल्यहास और परिशोधन व्यय

विवरण	राशि (लाख रुपये में)	
	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
मूर्त परिसंपत्तियों पर मूल्यहास (नोट - 3 देखें)	884.72	531.87
अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन (नोट - 5.1 देखें)	1,484.04	995.23
उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति पर मूल्यहास (नोट - 5.3 देखें)	742.84	808.58
कुल	3,111.60	2,335.68
घटाया : सीडब्ल्यूआईपी में अंतरित	(2,918.43)	(2,166.16)
कुल	193.17	169.52

नोट :- 24

अन्य व्यय

विवरण	राशि (लाख रुपये में)	
	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
कार्यालय किराया	1,095.79	1,020.58
शुल्क, दरें और कर	83.43	91.52
मरम्मत रखरखाव एवं अन्य	1,360.96	630.25
बिजली एवं ईंधन	146.68	133.75
यात्रा खर्च	1,815.97	1,369.20
लेखापरीक्षकों को भुगतान (नोट संख्या-24.1 देखें)	5.44	3.35
विधिक एवं पेशेवर शुल्क	208.68	322.37
छपाई और स्टेशनरी	96.92	109.65
संचार व्यय	109.92	88.33
पुस्तकें एवं पत्रिकाएँ	8.47	9.86
अतिथि मनोरंजन व्यय	85.40	49.79
प्रोजेक्ट प्रमोशन	112.64	154.52
अनुसंधान एवं विकास व्यय	351.42	1,700.50
विविध व्यय	24.08	24.77
हाउस कीपिंग व्यय	420.79	402.61
श्रमशक्ति की आउटसोर्सिंग व्यय	2,226.85	2,273.66
विज्ञापन व्यय	27.32	12.25
वेबसाइट विकास शुल्क	21.45	21.11
सीएसआर व्यय	134.28	106.15
विदेशी मुद्रा हानि (निवल)	1,021.54	576.78
कुल	9,358.03	9,101.00
घटाया : सीडब्ल्यूआईपी में अंतरित	(6,882.28)	(5,812.71)
कुल	2,475.75	3,288.29

नोट 24.1 -- लेखापरीक्षकों को भुगतान का विवरण

विवरण	राशि (लाख रुपये में)	
	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
लेखापरीक्षकों को भुगतान		
लेखा - परिक्षण शुल्क	4.50	2.50
व्यय की प्रतिपूर्ति	0.79	0.40
लेखापरीक्षा शुल्क पर जी.एस.टी	0.14	0.45
कुल	5.43	3.35

नोट :- 25

आयकर व्यय

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
चालू आयकर:		
चालू आयकर शुल्क	1,041.52	2,074.74
पिछले वर्ष का आयकर	1.09	(1.27)
आस्थगित कर:		
चालू वर्ष के संबंध में	428.87	47.20
कुल	1,471.48	2,120.67

अन्य व्यापक आय में आयकर व्यय

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
आस्थगित कर:		
चालू वर्ष के संबंध में	(8.85)	(2.52)
	(8.85)	(2.52)
कुल कर व्यय	1,462.63	2,118.15

कर व्यय और लेखांकन लाभ के बीच मिलान:

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
सतत परिचालन हेतु कर पूर्व लाभ का लेखांकन	6,815.62	8,648.87
आयकर पूर्व लाभ का लेखांकन	6,815.62	8,648.87
भारत की विधिक आयकर दर 25.168% (पी.वाई. 25.168%) पर	1,715.36	2,176.75
उन राशियों का कर प्रभाव जो कर योग्य आय की गणना में घटाव योग्य (कर योग्य) नहीं हैं		
इंड एस समायोजन (निवल)	(3.87)	(24.75)
करों पर ब्याज	3.47	1.22
शेयर जारी करने के व्यय के लिए समायोजन	(59.17)	(52.73)
आस्थगित कर समायोजन	420.02	44.68
मूल्यहास का समायोजन	(648.06)	(519.34)
पूर्व अवधि के व्यय		466.87
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व	33.79	26.72
पिछले वर्ष का आयकर व्यय	1.09	(1.27)
	1,462.63	2,118.15
लाभ एवं हानि विवरण में सूचित आयकर व्यय (सतत परिचालन से संबंधित)	1,462.63	2,118.15
प्रभावी कर दर	21.46%	24.49%

नोट :-- 26
अन्य व्यापक आय के घटक (ओसीआई)

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	एफवीटीओसीआई आरक्षित 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	एफवीटीओसीआई आरक्षित 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मापन	(35.15)	(10.03)
कुल	(35.15)	(10.03)
परिभाषित लाभ योजनाओं के पुनर्मापन पर कर	8.85	2.52
कुल	8.85	2.52

नोट :-- 27
आय प्रति शेयर (ईपीएस)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु (रुपए प्रति शेयर)	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु (रुपए प्रति शेयर)
मूल ईपीएस		
सतत परिचालन से (नोट 27.1 देखें)	3.92	5.46
असतत परिचालन से (नोट 27.1 देखें)	-	-
डाइल्यूटेड ईपीएस		
सतत परिचालन से (नोट 27.2 देखें)	3.91	5.46
असतत परिचालन से (नोट 27.2 देखें)	-	-

नोट 27.1 -- मूल आय प्रति शेयर

मूल आय प्रति शेयर की गणना में उपयोग की जाने वाली इक्विटी शेयरों की आय और भारित औसत संख्या:

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
कंपनी के इक्विटी धारकों को देय लाभ:		
सतत परिचालन से (लाख रुपये में)	5,379.29	6,538.23
असतत परिचालन से (लाख रुपये में)	-	-
मूल आय प्रति शेयर की गणना में प्रयुक्त आय (लाख रुपये में)	5,379.29	6,538.23
मूल आय प्रति शेयर के उद्देश्य हेतु शेयरों की भारित औसत संख्या (शेयरों की संख्या लाखों में)	1,373.60	1,196.61
सतत परिचालन से	3.92	5.46
असतत परिचालन से	-	-

नोट 27.2 -- डाइल्यूटेड आय प्रति शेयर

डाइल्यूटेड आय प्रति शेयर की गणना में उपयोग की जाने वाली इक्विटी शेयरों की आय और भारित औसत संख्या:-

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
कंपनी के इक्विटी धारकों को देय लाभ:		
सतत परिचालन से (लाख रुपये में)	5,379.29	6,538.23
असतत परिचालन से (लाख रुपये में)	-	-
सतत परिचालन से डाइल्यूटेड आय प्रति शेयर की गणना में उपयोग की जाने वाली आय	5,379.29	6,538.23
सतत परिचालन से	3.91	5.46
असतत परिचालन से	-	-

डाइल्यूटेड आय प्रति शेयर के प्रयोजन के लिए इक्विटी शेयरों की भारित संख्या, मूल आय प्रति शेयर की गणना में उपयोग किए जाने वाले इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से निम्नानुसार मेल खाती है:

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
मूल आय प्रति शेयर के उद्देश्य हेतु शेयरों की भारित औसत संख्या (शेयरों की संख्या लाखों में)	1,373.60	1,196.61
डाइल्यूशन का प्रभाव:	1.21	0.22
डाइल्यूटेड आय प्रति शेयर के उद्देश्य से शेयरों की भारित औसत संख्या (शेयरों की संख्या लाखों में)	1,374.81	1,196.83

नोट :- 28

(i) पूंजी प्रबंधन

कंपनी का उद्देश्य अपनी पूंजी को इस तरह से प्रबंधित करना है कि एक चालू संस्था के रूप में जारी रहने की उनकी क्षमता सुनिश्चित और सुरक्षित रहे ताकि कंपनी शेयरधारकों को अधिकतम रिटर्न प्रदान करती रहे और अन्य हितधारकों को लाभ पहुंचाती रहे। 31 मार्च 2023 तक कंपनी पर कोई उधारी नहीं है।

इसके अलावा, कंपनी आर्थिक स्थितियों में बदलाव और वित्तीय अनुबंधों की आवश्यकताओं के आलोक में समायोजन करने के लिए अपनी पूंजी संरचना का प्रबंधन करती है। 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान पूंजी प्रबंधन के उद्देश्यों, नीतियों या प्रक्रियाओं में कोई बदलाव नहीं किया गया।

(ii) 31 मार्च 2023 को वित्तपोषण गतिविधियों से सृजित देनदारियों का मिलान

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	पट्टा देनदारियां	इक्विटी शेयर पूंजी	देय स्टाम्प शुल्क	शेयर अनुप्रयोग राशि	रेल मंत्रालय की ओर से ईएपी के लिए अग्रिम	कुल
01 अप्रैल, 2021 को शेष राशि	2,460.80	9,58,000.00	60.00	1,00,000.00	2,00,000.00	12,60,520.80
इंड एस-116 के अंगीकरण पर मान्यता	-	-	-	-	-	-
01 अप्रैल, 2021 को पुनर्निर्धारित शेष राशि	2,460.80	9,58,000.00	60.00	1,00,000.00	2,00,000.00	12,60,520.80
नकदी प्रवाह:-						
- भुगतान	(909.56)	-	(377.50)	-	-	(1,287.06)
- आय	-	2,35,000.00	-	20,000.00	11,20,000.00	13,75,000.00
गैर-नकदी:-						
- वर्ष के दौरान संवर्धन	391.53	-	335.00	-	-	726.53
- पट्टा देनदारियों पर ब्याज	154.07	-	-	-	-	154.07
- इक्विटी शेयर पूंजी के रूप में शेयर अनुप्रयोग राशि की मान्यता	-	1,00,000.00	-	(1,00,000.00)	-	-
31 मार्च, 2022 को	2,096.84	12,93,000.00	17.50	20,000.00	13,20,000.00	26,35,114.34
इंड एस-116 के अंगीकरण पर मान्यता	-	-	-	-	-	-
01 अप्रैल, 2022 को पुनर्निर्धारित शेष राशि	2,096.84	12,93,000.00	17.50	20,000.00	13,20,000.00	26,35,114.34
नकदी प्रवाह:-						
- भुगतान	(861.36)	-	(145.64)	-	-	(1,007.00)
- आय	-	1,08,143.00	-	29,457.00	12,00,000.00	13,37,600.00
गैर-नकदी:-						
- वर्ष के दौरान संवर्धन	306.46	-	128.14	-	-	434.60
- पट्टा देनदारियों पर ब्याज	157.78	-	-	-	-	157.78
- इक्विटी शेयर पूंजी के रूप में शेयर अनुप्रयोग राशि की मान्यता	-	20,000.00	-	(20,000.00)	-	-
31 मार्च, 2023 को	1,699.72	14,21,143.00	-	29,457.00	25,20,000.00	39,72,299.72

नोट :- 29

उचित मूल्य मापन

(i) श्रेणीवार वित्तीय लिखत

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2023 को			31 मार्च 2022 को		
	एफवीटीपीएल*	एफवीटीओसीआई**	परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल*	एफवीटीओसीआई**	परिशोधित लागत
वित्तीय परिसंपत्तियां						
(i) प्रतिभूतियां	-	-	876.00	-	-	826.58
(ii) कर्मचारियों को एचबीए ऋण	-	-	29.54	-	-	31.51
(iii) नकदी तथा नकदी समतुल्य	-	-	57,288.19	-	-	2,97,110.76
(iv) उपरोक्त (iii) के अलावा बैंकों में अन्य शेष राशि	-	-	106.42	-	-	20,308.17
(v) अन्य	-	-	232.52	-	-	724.63
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	-	-	58,532.67	-	-	3,19,001.65
वित्तीय देनदारियां						
(i) प्रतिभूतियां	-	-	11,554.80	-	-	2,318.99
(ii) रेल मंत्रालय की ओर से ईएपी के लिए अग्रिम	-	-	25,20,000.00	-	-	13,20,000.00
(iii) पट्टा देनदारियां	-	-	1,699.72	-	-	2,096.84
(iv) अन्य	-	-	2,30,236.37	-	-	1,41,411.84
(v) रेल मंत्रालय से सहायता अनुदान	-	-	-	-	-	-
कुल वित्तीय देनदारियां	-	-	27,63,490.89	-	-	14,65,827.67

* लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य

** अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य

(ii) परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ जिन्हें परिशोधित लागत पर मापा जाता है जिसके लिए उचित मूल्यों का प्रकटीकरण किया गया है।

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2023 को		31 मार्च 2022 को	
	वहन मूल्य	उचित मूल्य	वहन मूल्य	उचित मूल्य
वित्तीय परिसंपत्तियां				
प्रतिभूति	876.00	818.68	826.58	790.19
कर्मचारी ऋण	29.54	29.13	31.51	31.03
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	905.54	847.81	858.09	821.22
वित्तीय देनदारियां				
प्रतिभूति	11,554.80	11,554.80	2,318.99	2,318.99
कुल वित्तीय देनदारियां	11,554.80	11,554.80	2,318.99	2,318.99

क. अल्पकालिक प्रतिभूति, नकदी तथा नकदी समतुल्य, और अन्य अल्पकालिक प्राप्तियां और अन्य देय राशियों के अल्पावधि प्रकृति के कारण इनकी वहन राशि को उनके उचित मूल्यों के समान माना जाता है।

ख. दीर्घकालिक प्रतिभूति के उचित मूल्य की गणना मौजूदा बाजार दर का उपयोग करके रियायती नकदी प्रवाह पर की गई थी। अनऑब्सेर्वेबल इनपुट को शामिल करने के कारण उन्हें स्तर-3 के उचित मूल्य पदानुक्रम के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

उचित मूल्य पदानुक्रम

स्तर 1 - समान परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत कीमतें (असमायोजित)।

स्तर 2 - स्तर 1 के अंतर्गत शामिल उद्धृत कीमतों के अलावा अन्य इनपुट जो परिसंपत्ति या देनदारी के लिए प्रत्यक्ष रूप से (यानी कीमतों के रूप में) या अप्रत्यक्ष रूप से (यानी कीमतों से व्युत्पन्न) ऑब्सेर्वेबल हैं।

स्तर 3 - परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए इनपुट जो ऑब्सेर्वेबल बाजार डेटा (अनऑब्सेर्वेबल इनपुट) पर आधारित नहीं हैं।

निम्नलिखित तालिका आवर्ती आधार पर और परिशोधित लागत पर उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय संपत्तियों और देनदारियों के उचित मूल्य मापन पदानुक्रम को दर्शाती है।

31 मार्च 2023 तक वित्तीय संपत्तियों हेतु उचित मूल्य मापन पदानुक्रम का मात्रात्मक प्रकटीकरण:-

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियाँ जिनके लिए उचित मूल्य प्रकट किया गया है:				
प्रतिभूति	-	-	818.68	818.68
कर्मचारी ऋण	-	-	29.13	29.13
	-	-	847.81	847.81

31 मार्च 2023 तक वित्तीय देनदारियों हेतु उचित मूल्य मापन पदानुक्रम का मात्रात्मक प्रकटीकरण:-

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय देनदारियाँ जिनके लिए उचित मूल्य प्रकट किया गया है:				
प्रतिभूति	-	-	11,554.80	11,554.80
	-	-	11,554.80	11,554.80

31 मार्च 2022 तक वित्तीय परिसंपत्तियों हेतु उचित मूल्य मापन पदानुक्रम का मात्रात्मक प्रकटीकरण:-

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियाँ जिनके लिए उचित मूल्य प्रकट किया गया है:				
प्रतिभूति	-	-	790.19	790.19
कर्मचारी ऋण	-	-	31.03	31.03
	-	-	821.22	821.22

31 मार्च 2022 तक वित्तीय देनदारियों हेतु उचित मूल्य मापन पदानुक्रम का मात्रात्मक प्रकटीकरण:-

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियाँ जिनके लिए उचित मूल्य प्रकट किया गया है:				
प्रतिभूति	-	-	2,318.99	2,318.99
	-	-	2,318.99	2,318.99

नोट :- 30

वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कंपनी को वित्तीय लिखतों के संबंध में विभिन्न जोखिमों के अधीन है। कंपनी बाजार जोखिम, ऋण जोखिम और लिक्विडिटी जोखिम के अधीन है। कंपनी की वित्तीय जोखिम गतिविधियाँ विनियोजित नीतियों और प्रक्रियाओं द्वारा शासित होती हैं और यह कि वित्तीय जोखिम की पहचान, मापन और प्रबंधन कंपनी की नीतियों और जोखिम उद्देश्यों के अनुसार किया जाता है, जिनका सारांश नीचे दिया गया है: -

क) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम ऐसा जोखिम है कि वित्तीय लिखतों के भविष्य नकदी प्रवाह के उचित मूल्य में बाजार की कीमतों में बदलाव के कारण उतार-चढ़ाव होगा। बाजार जोखिम में ब्याज दर जोखिम और विदेशी मुद्रा जोखिम शामिल हैं। कंपनी पर ब्याज दर का कोई जोखिम नहीं है क्योंकि रिपोर्टिंग तिथि तक कंपनी पर कोई ऋण/उधार नहीं है।

ख) विदेशी मुद्रा जोखिम

विनिमय में उतार-चढ़ाव विदेशी मुद्रा में अंकित अनुबंधों के कारण होता है। कंपनी के पास विदेशी मुद्रा जोखिम को कवर करने के लिए कोई हेजिंग लिखत नहीं है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में कंपनी की विदेशी मुद्रा जोखिम के प्रति महत्वपूर्ण जोखिम इस प्रकार है:

31 मार्च 2023 को

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2023 को		31 मार्च 2022 को	
	यूएसडी	जेपीवाई	यूएसडी	जेपीवाई
देनदारी ठेकेदारों को देय	16,614.19	88,217.82	21,420.68	67.21

विदेशी मुद्रा संवेदनशीलता

निम्नलिखित तालिकाएँ यूएसडी और जेपीवाई विनिमय दरों में यथोचित संभावित परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता प्रदर्शित करती हैं, जबकि अन्य सभी चर स्थिर रहते हैं। कंपनी के कर पूर्व लाभ पर प्रभाव मौद्रिक परिसंपत्तियों और देनदारियों के उचित मूल्य में बदलाव के कारण होता है। अन्य सभी मुद्राओं के लिए विदेशी मुद्रा परिवर्तन के प्रति कंपनी का जोखिम महत्वपूर्ण नहीं है।

राशि (लाख रुपये में)

	यूएसडी दर में परिवर्तन	कर पूर्व लाभ पर प्रभाव
31 मार्च 2023 को	5%	(830.75)
	-5%	830.75
31 मार्च 2022 को	5%	(1,363.31)
	-5%	1,363.31

राशि (लाख रुपये में)

	जेपीवाई दर में परिवर्तन	कर पूर्व लाभ पर प्रभाव
31 मार्च 2023 को	5%	(441.12)
	-5%	441.12
31 मार्च 2022 को	5%	(399.05)
	-5%	399.05

ग) क्रेडिट जोखिम

क्रेडिट जोखिम का तात्पर्य है प्रतिपक्ष द्वारा अपने दायित्वों के चूक के कारण जोखिम, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय हानि होती है। कंपनी विभिन्न वित्तीय लिखतों के प्रति क्रेडिट जोखिम के अधीन होती है, उदाहरण के लिए कर्मचारियों को अग्रिम, प्रतिभूतियाँ और अन्य प्राप्तियाँ। अधिकतम क्रेडिट जोखिम वित्तीय परिसंपत्तियों के वहन मूल्य के बराबर होता है।

घ) वित्तीय लिखत और नकद जमा

बैंकों और वित्तीय संस्थानों में धारित शेष राशि से सृजित क्रेडिट जोखिम का प्रबंधन कंपनी की नीति के अनुसार किया जाता है। अधिशेष का निवेश केवल प्रतिपक्ष से प्राप्त वित्तीय उद्धरण के आधार पर अनुमोदित प्रतिपक्ष के साथ ही किया जाता है।

इ) लिक्विडिटी जोखिम

कंपनी की चलनिधि की आवश्यकताओं की निगरानी मासिक अनुमानों के आधार पर की जाती है। कंपनी की लिक्विडिटी का मुख्य स्रोत शेयर पूंजी जारी करने से सृजित नकदी और नकदी समतुल्य एवं रेलवे मंत्रालय से जेआईसीए वित्त पोषित परियोजना के लिए अग्रिम राशि हैं।

कंपनी नकदी प्रवाह की निरंतर निगरानी करके तथा पर्याप्त नकदी और नकदी समतुल्य बनाए रखकर हमारी लिक्विडिटी आवश्यकताओं का प्रबंधन करती है। किसी भी कमी को निर्धारित करने के लिए निवल नकदी आवश्यकता की तुलना उपलब्ध नकदी से की जाती है। अल्पकालिक लिक्विडिटी आवश्यकताओं में मुख्य रूप से परियोजना से संबंधित कार्यों के लिए देय व्यय, कर्मचारियों का बकाया, प्रतिभूतियां और प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को व्यवसाय के सामान्य क्रम के दौरान उत्पन्न होने वाली प्रतिधारण राशि शामिल है। हम अपनी अल्पकालिक लिक्विडिटी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नकदी और नकदी समतुल्य के अंतर्गत पर्याप्त राशि बनाए रखते हैं।

नोट :-- 31

आंकलन एवं अभिधारणो

निम्नलिखित भविष्य से संबंधित प्रमुख प्राक्कलन हैं, और रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आंकलन अनिश्चितता के प्रमुख स्रोत हैं, जिससे अगले वित्तीय वर्ष में परिसंपत्तियों और देनदारियों की वहन राशि में भौतिक समायोजन होने का महत्वपूर्ण जोखिम हो सकता है।

क) उचित मूल्यांकन मापन और मूल्यांकन प्रक्रिया

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के उचित मूल्यों को डीसीएफ मॉडल सहित मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके मापा जाता है। जहां संभव हो इन विधियों के लिए इनपुट ऑब्सेर्वेबल बाजारों से लिए जाते हैं, लेकिन जहां यह संभव नहीं है, वहां उचित मूल्यों पर पहुंचने के लिए कुछ हद तक निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। निर्णयों लेने के दौरान लिक्विडिटी जोखिम, क्रेडिट जोखिम और अस्थिरता जैसे इनपुट पर विचार करना शामिल है। इन कारकों के अभिधारणों में परिवर्तन के कारण वित्तीय लिखतों के सूचित उचित मूल्य प्रभावित हो सकते हैं।

ख) कर

आस्थगित कर परिसंपत्तियों को इस हद तक पहचाना जाता है कि यह संभव है कि ऐसे कर योग्य लाभ उपलब्ध होंगे जिसके विरुद्ध हानि का उपयोग किया जा सकता है। भविष्य की कर नियोजन रणनीतियों के साथ-साथ भविष्य के कर योग्य लाभ के संभावित समय और स्तर के आधार पर, पहचानी जा सकने वाली स्थगित कर परिसंपत्ति की मात्रा निर्धारित करने के लिए प्रबंधन को महत्वपूर्ण निर्णय लेने की आवश्यकता होती है।

ग) संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन

संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियों का अनुमानित उपयोगी जीवन अप्रचलन, मांग, प्रतिस्पर्धा और अन्य आर्थिक कारकों के प्रभाव सहित कई अन्य कारकों पर आधारित हैं। कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि के अंत में संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण के उपयोगी जीवन की समीक्षा करती है।

घ) पट्टे

कंपनी यह निर्धारित करने में अपने आंकलन का उपयोग करती है कि क्या अनुबंध में पट्टा शामिल है या नहीं, पट्टा समझौते का विस्तार विकल्प क्या है और पट्टा समझौते की समाप्ति का विकल्प प्रयोग किया जाएगा या नहीं। इसके अलावा कंपनी पट्टों की पट्टा अवधि के दौरान उपयोग करने हेतु उचित छूट दर की गणना में आंकलन का उपयोग करती है।

नोट :- 32

संबंधित पक्ष का प्रकटीकरण

नोट 32.1 -- संबंधित पक्ष

नोट 32.1.1 -- संस्था के प्रमुख प्रबंधकीय कर्मिक

नाम	पदनाम
अनिल कुमार लाहोटी (22-02-2023 से)	अंशकालिक अध्यक्ष
विनय कुमार त्रिपाठी (31-12-2022 तक)	अंशकालिक अध्यक्ष
राजेन्द्र प्रसाद	प्रबंध निदेशक एवं निदेशक परियोजना (पूर्णकालिक निदेशक)
सतीश चन्द्र अग्निहोत्री (07-07-2022 तक)	प्रबंध निदेशक (पूर्णकालिक निदेशक)
अरुण बिजल्वाण (30-06-2023 तक)	निदेशक वित्त (पूर्णकालिक निदेशक) एवं सीएफओ
विवेक प्रकाश त्रिपाठी (01-07-2023 से)	महाप्रबंधक वित्त [निदेशक वित्त (पूर्णकालिक निदेशक) और सीएफओ का अतिरिक्त प्रभार संभालते हुए]
विजय कुमार	निदेशक चल स्टॉक (पूर्णकालिक निदेशक)
संदीप कुमार	निदेशक (विद्युत एवं प्रणाली) (पूर्णकालिक निदेशक)
मुकुल सरन माथुर (06-01-2023 से)	अंशकालिक (आधिकारिक) निदेशक
अन्विता सिन्हा (12-07-2022 से)	अंशकालिक (आधिकारिक) निदेशक
हरेशकुमार चंदुलाल मोदी	अंशकालिक (आधिकारिक) निदेशक
रविन्द्र नाथ सिंह (07-11-2022 तक)	अंशकालिक (आधिकारिक) निदेशक
पेटल दिल्लन (17-06-2022 तक)	अंशकालिक (आधिकारिक) निदेशक
सुमीता शर्मा	कंपनी सचिव

नोट 32.1.2 -- अन्य संबंधित पक्ष

अन्य संबंधित पक्ष का नाम	संबंध की प्रकृति
एनएचएसआरसीएल कर्मचारी समूह उपदान ट्रस्ट	सेवानिवृत्ति पश्चात लाभ ट्रस्ट
एनएचएसआरसीएल मेडिकल ट्रस्ट	सेवानिवृत्ति पश्चात लाभ ट्रस्ट
एचएसआर इनोवेशन सेंटर ट्रस्ट	अनुसंधान एवं विकास ट्रस्ट
महाराष्ट्र सरकार	कंपनी के प्रमोटर
रेल मंत्रालय, भारत सरकार और उसके नामिती	कंपनी के प्रमोटर
गुजरात सरकार	कंपनी के प्रमोटर

नोट 32.2 -- संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन और शेष राशि

नोट 32.2.1 -- प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों का मुआवजा:

वर्ष के दौरान निदेशकों और प्रमुख प्रबंधन कर्मियों के अन्य सदस्यों का पारिश्रमिक इस प्रकार था:

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
अल्पावधि लाभ	283.08	353.02
रोजगार पश्चात लाभ	48.73	8.51
अन्य दीर्घकालिक लाभ	9.07	34.27
	340.88	395.80

नोट 32.2.2 – ट्रस्ट के साथ लेनदेन

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
एनएचएसआरसीएल कर्मचारी समूह ग्रेडपदान ट्रस्ट	128.05	83.66
एनएचएसआरसीएल मेडिकल ट्रस्ट	22.68	2.42
एचएसआर इनोवेशन सेंटर ट्रस्ट	390.81	1,718.71
	541.54	1,804.79

नोट 32.3 -- संबंधित सरकारी संस्थाओं के साथ लेनदेन

ऊपर बताए गए लेन-देन के अलावा, कंपनी का संबंधित सरकारी संस्थाओं के साथ लेन-देन है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन यहीं तक सीमित नहीं हैं: -

सरकार का नाम:- रेल मंत्रालय, भारत सरकार (संस्था पर महत्वपूर्ण नियंत्रण) और गुजरात सरकार

वित्त वर्ष 2022-23 और 2021-22 के दौरान कुछ महत्वपूर्ण लेनदेन:

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु			31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु		
	महाराष्ट्र सरकार	रेल मंत्रालय (एमओआर)	गुजरात सरकार	महाराष्ट्र सरकार	रेल मंत्रालय (एमओआर)	गुजरात सरकार
इक्विटी शेयर पूंजी के लिए प्राप्त राशि	600.00	-	1,37,000.00	-	1,05,000.00	1,50,000.00
रेल मंत्रालय से अग्रिम	-	12,00,000.00	-	-	11,20,000.00	-
परियोजनाओं के लिए प्राप्त अग्रिम (अनुबंध देनदारियां)	-	-	-	-	-	-
उपयोगिता स्थानांतरण और अन्य संबद्ध कार्यों के लिए किया गया भुगतान	-	(690.60)	-	-	(685.14)	-
सरकारी भूमि की खरीद के लिए किया गया भुगतान	(707.14)	-	(2,366.87)	(2,431.41)	-	(7,225.54)

नोट :- 33

आकस्मिक देनदारियां और पूंजी प्रतिबद्धता

(i) पूंजी प्रतिबद्धता

31.03.2023 तक पूंजी खाते पर निष्पादित किए जाने वाले कार्यों की राशि लेकिन जो प्रदान नहीं की गई है (अग्रिम का निवल) 30,81,843.25 लाख रुपये (पिछले वर्ष 38,13,394.98 लाख रुपये) है।

(ii) कंपनी के खिलाफ दावों जिसे ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है - 195.62 लाख रुपये (पिछले वर्ष 126.95 लाख रुपये) है, भूमि अधिग्रहण से संबंधित अदालती मामले विभिन्न अदालतों में चल रहे हैं, अदालती मामलों के संबंध में देनदारी तुलन पत्र की तारीख पर निर्धारित नहीं की जा सकती हैं।

कंपनी अपनी परियोजनाओं के लिए नियमित रूप से सरकारी और निजी पक्षों से भूमि अधिग्रहण करती है और मालिकों को मौद्रिक मूल्यों में मुआवजा देती है।

निजी पार्टियों के मामले में, कंपनी भूमि और आर एंड आर भुगतान पर कंपनी की नीति के अनुसार नई संपत्ति की बाद की खरीद पर स्टॉप शुल्क और पंजीकरण शुल्क की प्रतिपूर्ति करती है। नई संपत्ति की बाद की खरीद पर स्टॉप शुल्क और पंजीकरण शुल्क की प्रतिपूर्ति की राशि का आंकलन नहीं किया जा सकता है।

नोट :-- 34

कंपनी ने भारत सरकार के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा अधिसूचित इंड एस 19 "कर्मचारी लाभ" के अनुसार कर्मचारी के लाभ व्यय का हिसाब किया है। इंड एस 19 के अनुसार तुलन पत्र में पहचाने गए लाभ एवं हानि विवरण और परिभाषित योगदान योजनाओं, परिभाषित लाभ योजनाओं और अन्य दीर्घकालिक लाभ योजनाओं का सारांश इस प्रकार है-

क) परिभाषित योगदान योजनाएं

विवरण	राशि (लाख रुपये में)	
	2022-23	2021-22
कंपनी ने वर्ष के दौरान लाभ एवं हानि विवरण में निम्नलिखित राशियों को पहचाना है		
भविष्य निधि आदि में नियोक्ता का योगदान	1074.50	849.02
	1074.50	849.02

ख) परिभाषित लाभ योजनाएं और अन्य दीर्घकालिक लाभ योजनाएं

नोट 34.1 -- उपदान और अवकाश नकदीकरण

नोट 34.1.1 -- योजना देनदारियां

विवरण	राशि (लाख रुपये में)			
	2022-23		2021-22	
	उपदान	अवकाश नकदीकरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण
अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	521.00	642.81	315.75	628.24

नोट 34.1.2 – सेवा लागत

विवरण	राशि (लाख रुपये में)			
	2022-23		2021-22	
	उपदान	अवकाश नकदीकरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण
चालू सेवा लागत	137.13	168.85	101.58	204.81
लाभ/हानि में विरतीकरण सहित विगत सेवा लागत	-	-	-	-
गैर-नियमित निपटान पर लाभ या हानि	-	-	-	-
कुल सेवा लागत	137.13	168.85	101.58	204.81

नोट 34.1.3 – निवल ब्याज लागत

विवरण	राशि (लाख रुपये में)			
	2022-23		2021-22	
	उपदान	अवकाश नकदीकरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण
परिभाषित लाभ दायित्व पर ब्याज लागत	22.58	44.92	13.12	28.73
योजना परिसंपत्तियों पर ब्याज आय	(13.51)	-	(7.43)	-
निवल ब्याज लागत (आय)	9.07	44.92	5.69	28.73

नोट 34.1.4 – लाभ दायित्व में परिवर्तन

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	2022-23		2021-22	
	उपदान	अवकाश नकदीकरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण
वर्ष की शुरुआत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	315.76	628.25	192.90	422.51
ब्याज लागत	22.58	44.92	13.12	28.73
सेवा लागत	137.13	168.85	101.58	204.81
लाभ/ हानि में विरतीकरण सहित विगत सेवा लागत	-	-	-	-
प्रदत्त लाभ	-	(38.15)	(11.94)	(31.47)
दायित्व पर कुल बीमांकिक (लाभ)/हानि	45.54	(161.05)	20.10	3.66
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	521.01	642.82	315.76	628.24

नोट 34.1.5 – दायित्व पर बीमांकिक लाभ/ हानि का विभाजन

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	2022-23		2021-22	
	उपदान	अवकाश नकदीकरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण
जनसांख्यिकीय अभिधारणाओं में परिवर्तन से सृजित बीमांकिक (लाभ)/ हानि	-	-	-	-
वित्तीय आंकलन में परिवर्तन से सृजित बीमांकिक (लाभ)/ हानि	(12.90)	(14.58)	(14.72)	(29.01)
अनुभव समायोजन से सृजित बीमांकिक (लाभ)/ हानि	58.45	(146.47)	34.83	32.68

नोट 34.1.6 – योजना परिसंपत्ति पर बीमांकिक लाभ/हानि

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	2022-23		2021-22	
	उपदान	अवकाश नकदीकरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण
अपेक्षित ब्याज आय	(13.51)	-	(7.43)	-
योजना परिसंपत्ति पर वास्तविक आय	19.32	-	7.95	-
वर्ष के दौरान परिसंपत्ति पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	5.81	-	0.52	-

नोट 34.1.7 – दायित्व के निवल मूल्य में परिवर्तन:

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	2022-23		2021-22	
	उपदान	अवकाश नकदीकरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण
प्रारंभिक शेष	126.84	628.25	83.66	422.51
ब्याज लागत	9.07	44.92	5.69	28.73
चालू सेवा लागत	137.13	168.85	101.58	204.81
लाभ/हानि में विरतीकरण सहित विगत सेवा लागत	-	-	-	-
संस्था द्वारा सीधे भुगतान किया गया लाभ	-	(38.15)	-	(31.48)
ट्रस्ट में योगदान	(126.84)	-	(83.66)	-
दायित्व पर बीमांकिक (लाभ)/ हानि	39.73	(161.05)	19.58	3.67
अंतिम शेष	185.93	642.82	126.85	628.24

नोट 34.1.8 – योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	2022-23		2021-22	
	उपदान	अवकाश नकदीकरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण
वर्ष की शुरुआत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	188.91	-	109.24	-
योजना परिसंपत्ति पर संभावित लाभ	19.32	-	7.95	-
नियोक्ता का योगदान	126.84	-	83.66	-
प्रदत्त लाभ	-	-	(11.94)	-
दायित्वों पर बीमांकिक (हानि)/ लाभ	-	-	-	-
अंतिम शेष	335.07	-	188.91	-

नोट 34.1.9 – तुलन पत्र में पहचानी गई राशि

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	2022-23		2021-22	
	उपदान	अवकाश नकदीकरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण
वर्ष के अंत तक दायित्वों का अनुमानित वर्तमान मूल्य	521.00	642.81	315.76	628.24
वर्ष के अंत तक योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	(335.08)	-	(188.91)	-
तुलन पत्र में प्रावधान	185.92	642.81	126.85	628.24
चालू	185.92	51.62	126.85	24.98
गैर - चालू	-	591.19	-	603.26

नोट 34.1.10 – लाभ और हानि विवरण में पहचाना गया व्यय

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	2022-23		2021-22	
	उपदान	अवकाश नकदीकरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण
चालू सेवा लागत	137.13	168.85	101.58	204.81
लाभ/हानि में विरतीकरण सहित विगत सेवा लागत	-	-	-	-
ब्याज लागत	9.07	44.92	5.69	28.73
वर्ष के दौरान पहचानी गई निवल बीमांकिक (लाभ)/हानि	-	(161.05)	-	3.67
लाभ एवं हानि विवरण में पहचाना गया कुल व्यय	146.20	52.72	107.27	237.21

नोट 34.1.11 – अन्य व्यापक आय में पहचाना गया व्यय

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	2022-23		2021-22	
	उपदान	अवकाश नकदीकरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण
निवल संचयी अमान्य बीमांकिक लाभ/(हानि) प्रारंभिक	-	-	-	-
वर्ष के दौरान पीबीओ पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	(45.54)	-	(20.10)	-
वर्ष के दौरान परिसंपत्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	5.81	-	0.52	-
वर्ष के अंत में अमान्य बीमांकिक लाभ/(हानि)	(39.73)	-	(19.58)	-

नोट 34.1.12 – वर्ष के अंत में पीबीओ का चालू और गैर - चालू में विभाजन

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	2022-23		2021-22	
	उपदान	अवकाश नकदीकरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण
चालू देनदारी (एक वर्ष के भीतर देय राशि)	6.73	51.62	1.64	24.98
गैर- चालू देनदारी (एक वर्ष से अधिक के समय में देय राशि)	514.27	591.19	314.12	603.26
वर्ष के अंत में कुल पीबीओ	521.00	642.81	315.76	628.24

नोट 34.1.13 – शुद्ध (देनदारी)/परिसंपत्ति का विभाजन

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	2022-23	2021-22
	उपदान	उपदान
चालू देनदारी	185.92	126.85
गैर - चालू देनदारी	-	-
वर्ष के अंत में कुल पीबीओ	185.92	126.85

नोट 34.1.14 – अगली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए अपेक्षित योगदान

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	2022-23		2021-22	
	उपदान	अवकाश नकदीकरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण
सेवा लागत	151.97	183.07	122.69	239.53
निवल ब्याज लागत	13.65	47.18	9.07	44.92
अगली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए कुल अपेक्षित योगदान	165.62	230.25	131.76	284.45

नोट 34.1.15 – परिभाषित लाभ दायित्व की परिपक्वता प्रोफाइल

राशि (लाख रुपये में)

वर्ष	उपदान	अवकाश नकदीकरण
0 से 1 वर्ष	6.73	51.62
1 से 2 वर्ष	44.17	42.35
2 से 3 वर्ष	14.48	20.19
3 से 4 वर्ष	34.38	39.15
4 से 5 वर्ष	18.78	25.19
5 से 6 वर्ष	19.76	26.17
6 वर्ष के बाद से	382.70	438.14

नोट 34.2 -- अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी), सामान भत्ता, सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ

नोट 34.2.1 – योजना देनदारियां

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	2022-23			2021-22		
	एलटीसी	सामान भत्ता	सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ	एलटीसी	सामान भत्ता	सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ
अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	169.89	37.86	108.97	118.25	28.17	76.48

नोट 34.2.2 – सेवा लागत

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	2022-23			2021-22		
	एलटीसी	सामान भत्ता	सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ	एलटीसी	सामान भत्ता	सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ
चालू सेवा लागत	43.64	16.72	28.01	37.18	15.86	24.07
लाभ/ हानि में विरतीकरण सहित विगत सेवा लागत	-	-	-	-	-	-
गैर-नियमित निपटान पर लाभ या हानि	-	-	-	-	-	-
कुल सेवा लागत	43.64	16.72	28.01	37.18	15.86	24.07

नोट 34.2.3 – निवल ब्याज लागत

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	2022-23			2021-22		
	एलटीसी	सामान भत्ता	सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ	एलटीसी	सामान भत्ता	सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ
परिभाषित लाभ दायित्व पर ब्याज लागत	8.45	2.01	5.47	5.36	1.29	3.49
योजना परिसंपत्तियों पर ब्याज आय	-	-	(3.85)	-	-	(3.32)
निवल ब्याज लागत (आय)	8.45	2.01	1.62	5.36	1.29	0.17

नोट 34.2.4 – वर्तमान लाभ दायित्व में परिवर्तन

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	2022-23			2021-22		
	एलटीसी	सामान भत्ता	सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ	एलटीसी	सामान भत्ता	सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ
अवधि की शुरुआत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	118.25	28.17	76.48	78.76	19.01	51.25
ब्याज लागत	8.45	2.01	5.47	5.35	1.29	3.49
सेवा लागत	43.64	16.72	28.01	37.18	15.87	24.07
विगत सेवा लागत	-	-	-	-	-	-
प्रदत्त लाभ	(56.14)	(2.07)	(3.28)	(32.34)	-	(0.50)
दायित्व पर कुल बीमांकिक (लाभ)/हानि	55.68	(6.98)	2.29	29.29	(8.00)	(1.83)
अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	169.88	37.85	108.97	118.24	28.17	76.48

नोट 34.2.5 – दायित्व पर बीमांकिक (लाभ)/हानि

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	2022-23			2021-22		
	एलटीसी	सामान भत्ता	सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ	एलटीसी	सामान भत्ता	सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ
जनसांख्यिकीय अभिधारणाओं में परिवर्तन से सृजित बीमांकिक (लाभ)/ हानि	-	-	-	-	-	-
वित्तीय आंकलन में परिवर्तन से सृजित बीमांकिक (लाभ)/ हानि	(4.32)	(0.43)	(3.53)	(5.87)	(1.77)	(3.44)
अनुभव समायोजन से सृजित बीमांकिक (लाभ)/ हानि	60.00	(6.55)	5.82	35.17	(6.22)	1.62

नोट 34.2.6 – योजना परिसंपत्ति पर बीमांकिक (लाभ)/हानि

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	2022-23			2021-22		
	एलटीसी	सामान भत्ता	सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ	एलटीसी	सामान भत्ता	सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ
अपेक्षित ब्याज आय	-	-	3.85	-	-	3.32
योजना परिसंपत्ति पर वास्तविक आय	-	-	3.73	-	-	3.05
परिसंपत्ति पर वर्ष हेतु बीमांकिक लाभ/(हानि)	-	-	(0.11)	-	-	(0.27)

नोट 34.2.7 – तुलन पत्र में पहचानी गई राशि

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	2022-23			2021-22		
	एलटीसी	सामान भत्ता	सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ	एलटीसी	सामान भत्ता	सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ
वर्ष के अंत में दायित्वों का अनुमानित वर्तमान मूल्य	169.89	37.86	108.97	118.24	28.17	76.48
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-	(76.94)	-	-	(53.80)
तुलन पत्र में पहचानी गई निवल देनदारी/ (निवल परिसंपत्ति)	169.89	37.86	32.03	118.24	28.17	22.68
चालू	6.46	0.52	32.03	2.74	0.34	22.68
गैर - चालू	163.42	37.34	-	115.50	27.83	-

नोट 34.2.8 – लाभ और हानि विवरण में पहचाने गए व्यय

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	2022-23			2021-22		
	एलटीसी	सामान भत्ता	सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ	एलटीसी	सामान भत्ता	सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ
चालू सेवा लागत	43.64	16.72	28.01	37.18	15.86	24.06
लाभ/हानि में विरतीकरण सहित विगत सेवा लागत	-	-	-	-	-	-
ब्याज लागत	8.45	2.01	1.62	5.35	1.29	0.16
वर्ष के दौरान पहचानी गई निवल बीमांकिक (लाभ)/ हानि	55.68	-	-	29.30	-	-
लाभ एवं हानि विवरण में पहचाने गए कुल व्यय	107.77	18.73	29.63	71.83	17.15	24.22

नोट 34.2.9 – अन्य व्यापक आय में पहचाने गए व्यय

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	2022-23			2021-22		
	एलटीसी	सामान भत्ता	सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ	एलटीसी	सामान भत्ता	सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ
निवल संचयी अमान्य बीमांकिक लाभ/(हानि) प्रारंभिक	-	-	-	-	-	-
पीबीओ पर वर्ष हेतु बीमांकिक लाभ/ (हानि)	-	6.98	(2.29)	-	8.00	1.82
परिसंपत्तियों पर वर्ष हेतु बीमांकिक लाभ/ (हानि)	-	-	(0.11)	-	-	(0.27)
वर्ष के अंत में अमान्य बीमांकिक लाभ/ (हानि)	-	6.98	(2.40)	-	8.00	1.55

नोट 34.2.10 – योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	2022-23			2021-22		
	एलटीसी	सामान भत्ता	सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ	एलटीसी	सामान भत्ता	सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ
वर्ष की शुरुआत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-	53.80	-	-	48.84
योजना परिसंपत्ति पर संभावित लाभ	-	-	3.74	-	-	3.04
नियोक्ता का योगदान	-	-	22.68	-	-	2.42
प्रदत्त लाभ	-	-	(3.28)	-	-	(0.50)
दायित्वों पर बीमांकिक (हानि)/ लाभ	-	-	-	-	-	-
अंतिम शेष	-	-	76.94	-	-	53.80

नोट 34.2.11 – दायित्व के शुद्ध मूल्य में परिवर्तन:

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	2022-23			2021-22		
	एलटीसी	सामान भत्ता	सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ	एलटीसी	सामान भत्ता	सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ
प्रारंभिक शेष	118.25	28.17	22.68	78.75	19.00	2.42
ब्याज लागत	8.45	2.01	1.62	5.36	1.29	0.16
चालू सेवा लागत	43.64	16.72	28.01	37.18	15.88	24.07
लाभ/ हानि में विरतीकरण सहित विगत सेवा लागत	-	-	-	-	-	-
प्रदत्त लाभ	(56.14)	(2.07)	-	(32.34)	-	-
ट्रस्ट में योगदान	-	-	(22.68)	-	-	(2.42)
दायित्व पर बीमांकिक (लाभ)/ हानि	55.68	(6.97)	2.40	29.29	(8.00)	(1.55)
अंतिम शेष	169.88	37.86	32.03	118.24	28.17	22.68

नोट 34.2.12 – वर्ष के अंत में चालू और गैर - चालू में पीबीओ का विभाजन:

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	2022-23			2021-22		
	एलटीसी	सामान भत्ता	सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ	एलटीसी	सामान भत्ता	सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ
चालू देनदारी (एक वर्ष के भीतर देय राशि)	6.46	0.52	0.07	2.74	0.34	0.22
गैर- चालू देनदारी (एक वर्ष से अधिक समय में देय राशि)	163.42	37.34	108.90	115.50	27.83	76.25
वर्ष के अंत में कुल पीबीओ	169.89	37.86	108.97	118.24	28.17	76.47

नोट 34.2.13 – निवल (देयता)/परिसंपत्ति का विभाजन:

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	2022-23	2021-22
	सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ	सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ
चालू देनदारियां	(32.03)	(22.68)
गैर - चालू देनदारियां	-	-
वर्ष के अंत में कुल पीबीओ	(32.03)	(22.68)

नोट 34.2.14 – अगली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए अपेक्षित योगदान

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	2022-23			2021-22		
	एलटीसी	सामान भत्ता	सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ	एलटीसी	सामान भत्ता	सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ
सेवा लागत	-	21.37	32.06	-	21.14	29.78
निवल ब्याज लागत	-	2.78	2.35	-	2.01	1.62
अगली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए अपेक्षित व्यय	-	24.15	34.42	-	23.15	31.40

नोट 34.2.15 – परिभाषित लाभ दायित्व की परिपक्वता प्रोफाइल

राशि (लाख रुपये में)

वर्ष	एलटीसी	सामान भत्ता	सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ
0 से 1 वर्ष	-	0.52	-
1 से 2 वर्ष	-	1.86	-
2 से 3 वर्ष	-	1.96	-
3 से 4 वर्ष	-	2.29	-
4 से 5 वर्ष	-	3.39	-
5 से 6 वर्ष	-	4.03	-
6 वर्ष के बाद से	-	23.81	-

नोट 34.3 -- तुलन पत्र तिथि पर प्रधान बीमांकिक प्राक्कलन

बीमांकिक प्राक्कलन	2022-23	2021-22
मूल्यांकन की विधि:	परियोजना इकाई क्रेडिट विधि	परियोजना इकाई क्रेडिट विधि
छूट की दर:	7.34%	7.15%
वेतन वृद्धि दर:	6.50%	6.50%
सेवानिवृत्ति की आयु:	60 वर्ष	60 वर्ष
निकासी दर:	30 वर्षों तक – 3%	30 वर्षों तक – 3%
	31 से 44 वर्षों तक – 2%	31 से 44 वर्षों तक – 2%
	44 वर्ष से अधिक – 1%	44 वर्ष से अधिक – 1%
मृत्यु दर:	भारत में 100% सुनिश्चित जीवन मृत्यु दर (2012-14)	भारत में 100% सुनिश्चित जीवन मृत्यु दर (2012-14)

नोट 34.4 -- संवेदनशीलता का विश्लेषण

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	अभिधारणाओं में परिवर्तन	सामान भत्ते पर प्रभाव	उपदान दायित्व पर प्रभाव	अवकाश नकदीकरण पर प्रभाव	एलटीसी पर प्रभाव	सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ पर प्रभाव
छूट दर	0.50% (0.50%)	(2.17) 2.41	(31.91) 35.09	(36.23) 39.32	(10.71) 11.78	(7.46) 8.26
वेतन वृद्धि	0.50% (0.50%)	-	34.30 (32.23)	39.52 (36.43)	-	-

नोट :- 35

विदेशी मुद्रा व्यय

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	2022-23	2021-22
परियोजना से संबंधित व्यय (सीडब्ल्यूआईपी)	2,71,646.59	72,230.14
विदेशी टीए/डीए	42.51	-
विदेश यात्रा व्यय	213.79	-
सदस्यता शुल्क	9.61	8.64
	2,71,912.50	72,238.78

नोट :- 36

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

कंपनी को कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पर निम्नानुसार 134.27 लाख रुपये खर्च करने की आवश्यकता है:

नोट 36.1 -- बोर्ड द्वारा अनुमोदित वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली राशि:

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष
बोर्ड द्वारा वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली स्वीकृत राशि	134.27	106.15

नोट 36.2 -- वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि का विवरण इस प्रकार है:

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	वर्ष के दौरान खर्च की गई		भुगतान करना बाकी है		कुल
	पिछले वर्ष के लिए	चालू वर्ष के लिए	पिछले वर्ष हेतु	चालू वर्ष हेतु	
31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान					
(i) किसी संपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	24.25	-	24.25	-	48.50
(ii) उपरोक्त (i) के अलावा अन्य उद्देश्य से	-	-	-	-	-
क) कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में उल्लिखित चार निधियों में योगदान	-	-	-	-	-
ख) पीएम केयर्स फंड में योगदान	-	47.57	-	-	47.57
ग) स्वास्थ्य देखभाल	42.50	36.50	14.87	50.20	144.07
31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान					
(i) किसी संपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	-	-	-	48.50	48.50
(ii) उपरोक्त (i) के अलावा अन्य उद्देश्य से	-	-	-	-	-
क) कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में उल्लिखित चार निधियों में योगदान	-	-	-	-	-
ख) पीएम केयर्स फंड में योगदान	-	0.28	-	-	0.28
ग) स्वास्थ्य देखभाल	-	-	-	57.37	57.37

नोट 36.3 -- चालू परियोजना और चालू परियोजना के अलावा अन्य परियोजनाओं का विवरण

अनुसूची 135(6) के मामले में (चालू परियोजना)

राशि (लाख रुपये में)

01 अप्रैल 2022 को प्रारंभिक शेष		वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली आवश्यक राशि	वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि		31 मार्च 2023 को अंतिम शेष	
कंपनी के पास	अलग सीएसआर अव्ययित खाते में		कंपनी के बैंक खाते से	अलग सीएसआर अव्ययित खाते से	कंपनी के पास	अलग सीएसआर अव्ययित खाते में
-	105.87	86.70	36.50	66.75	-	89.32

अनुसूची 135(5) के मामले में (चालू परियोजना के अलावा)

राशि (लाख रुपये में)

01 अप्रैल 2022 को प्रारंभिक शेष	अनुसूची VII के निर्दिष्ट निधि में जमा राशी, 6 महीनों के भीतर या वर्ष के दौरान	वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली आवश्यक राशि	वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि	31 मार्च 2023 को अंतिम शेष
-	47.57	47.57	-	-

अनुसूची 135(6) के मामले में (चालू परियोजना)

राशि (लाख रुपये में)

01 अप्रैल 2021 को प्रारंभिक शेष		वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली आवश्यक राशि	वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि		31 मार्च 2022 को अंतिम शेष	
कंपनी के पास	अलग सीएसआर अव्ययित खाते में		कंपनी के बैंक खाते से	अलग सीएसआर अव्ययित खाते से	कंपनी के पास	अलग सीएसआर अव्ययित खाते में
-	-	105.87	-	-	-	105.87

अनुसूची 135(5) के मामले में (चालू परियोजना के अलावा)

राशि (लाख रुपये में)

01 अप्रैल 2021 को प्रारंभिक शेष	अनुसूची VII के निर्दिष्ट निधि में जमा राशी, 6 महीनों के भीतर या वर्ष के दौरान	वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली आवश्यक राशि	वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि	31 मार्च 2022 को अंतिम शेष
-	0.28	0.28	-	-

सीएसआर समिति और बीओडी द्वारा अनुमोदित योजना के अनुसार, बहु-वर्षीय परियोजना होने के कारण सीएसआर राशि का उपयोग 2 वर्ष (अर्थात वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24) में किया जाएगा।

सीएसआर व्यय के संबंध में कंपनी द्वारा नियंत्रित ट्रस्ट को कोई योगदान नहीं दिया गया है।

नोट :- 37

नोट 37.1 -- इंड एस-116 के अधीन प्रकटीकरण

(i) कंपनी ने 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी रूप से इंड एस-116 "पट्टे" को अपनाया और संशोधित पूर्वव्यापी पद्धति का उपयोग करके 1 अप्रैल, 2019 को मौजूदा सभी पट्टा अनुबंधों के लिए यह मानदण्ड लागू किया है और प्रारंभिक अनुप्रयोग तिथि पर प्रतिधारित आय के प्रति संचयी समायोजन किया है। कंपनी ने प्रारंभिक अनुप्रयोग तिथि को शेष पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य के आधार पर परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार और संबंधित पट्टा देनदारी को रिकॉर्ड करने का विकल्प चुना है और इसलिए इंड एस-116 को अपनाने के कारण प्रतिधारित आय पर पड़ने वाला प्रभाव शून्य है।

(ii) प्रारंभिक अनुप्रयोग पर चुने गए व्यावहारिक समीचीनों का सारांश :

- (क) प्रारंभिक अनुप्रयोग तिथि पर 12 महीने से कम की पट्टा अवधि वाले पट्टों के लिए उपयोग का अधिकार-परिसंपत्तियों और देनदारियों को नहीं पहचानने की छूट लागू की गई।
- (ख) प्रारंभिक अनुप्रयोग की तिथि पर उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति के माप से प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत को वर्जित रखा गया है।
- (ग) इंड एस-116 केवल उन अनुबंधों पर लागू होता है जो पहले इंड एस-17 के तहत वर्गीकृत पट्टे थे।
- (ङ) पट्टों के पोर्टफोलियो के लिए एकल छूट दर लागू की गई।
- (च) यदि अनुबंध में पट्टे को विस्तारित या समाप्त करने के विकल्प शामिल हैं, तो पट्टे की अवधि निर्धारित करने में दूरदर्शिता का प्रयोग किया जाएगा।
- (iii) पट्टे की देनदारियों के लिए वर्ष के दौरान लागू भारित औसत वृद्धिशील उधारी दर 8.60% और 7.80% (एमसीएलआर) है।
- (iv) कंपनी द्वारा परिचालन पट्टों के तहत परिसंपत्तियों का सारांश इस प्रकार है:

परिसंपत्तियों का विवरण	पट्टादाता का नाम	पट्टा अवधि	समाप्ति खण्ड
तीसरी मंजिल, डी21 कॉर्पोरेट पार्क, द्वारका सेक्टर 21, नई दिल्ली-110077	मणिकरण पावर लिमिटेड	10-01-2020	10-01-2025
पी नंबर 10/11, आरएस नंबर 15/1ए, 9/2, कार्यालय नंबर 1007, टॉवर - ए, स्वास्तिक यूनिवर्सल, रुंध, सूरत 395007	सुकेनदिनेशचंद्र शाह	01-08-2021	31-07-2025
ए-203, स्वास्तिक यूनिवर्सल, रुंध, सूरत 395007	विभूति आर्गेनाइजर/ अरमान कॉर्पोरेशन	01-05-2021	30-04-2025
आर.एस.नं. 60/2पी, कार्यालय क्रमांक 1001 से 1006, स्वास्तिक यूनिवर्सल, रुंध, सूरत 395007	विमल कपाड़िया	01-04-2021	31-12-2022
आर.एस.नं. 60/2पी, कार्यालय क्रमांक 1001 से 1006, स्वास्तिक यूनिवर्सल, रुंध, सूरत 395007	विमल कपाड़िया	01-01-2023	31-12-2026
5 वाहन	लीज प्लान इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	30-03-2019	15-04-2023
20 वाहन	लीज प्लान इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	14-01-2018	09-05-2022
6 वाहन	मर्करी कार रेंटल प्राइवेट लिमिटेड	29-01-2019	28-01-2023
4 वाहन	मर्करी कार रेंटल प्राइवेट लिमिटेड	23-12-2019	15-03-2024
20 वाहन	मर्करी कार रेंटल प्राइवेट लिमिटेड	14-01-2022	13-01-2026
5 वाहन	मर्करी कार रेंटल प्राइवेट लिमिटेड	23-12-2019	22-12-2023
4 वाहन	मर्करी कार रेंटल प्राइवेट लिमिटेड	09-01-2023	08-01-2027
16 वाहन	लीज प्लान इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	01-08-2022	31-07-2026

- (v) पट्टा देनदारियां और उपयोग का अधिकार परिसंपत्तियों में बदलाव
- (क) उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों की वहन राशि और वर्ष के दौरान होने वाले बदलाव को नोट:5.3 में प्रकट किया गया है।
- (ख) पट्टा देनदारी में बदलाव नीचे दिया गया है:

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	भवन	वाहन	भवन	वाहन
	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2022 को
वर्ष की शुरुआत तक प्रारंभिक शेष	1,895.52	201.32	2,316.51	144.30
इंड एस में पहचाने गए परिवर्तन	-	-	-	-
वर्ष के दौरान परिवर्धन	190.72	117.51	245.91	145.61
वर्ष के दौरान संशोधन	(1.77)	-	-	-
वर्ष के दौरान पहचाने गए ब्याज	139.10	18.68	139.73	14.34
वर्ष के दौरान किया गया भुगतान/ पट्टों के लिए कुल नकदी बहिर्वाह	(748.53)	(112.83)	(806.63)	(102.93)
वर्ष के अंत में अंतिम शेष	1,475.04	224.68	1,895.52	201.32

- (vi) कंपनी ने कम मूल्य की परिसंपत्तियों के अल्पकालिक पट्टों के लिए पट्टा दायित्व को मान्य न करने का निर्णय लिया है। इन पट्टों से संबंधित व्यय पट्टा देनदारियों की मापन में शामिल नहीं हैं। इसका विवरण इस प्रकार है:-

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	भवन	वाहन	भवन	वाहन
	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2022 को
अल्पकालिक पट्टे	1,095.79	-	1,020.58	-
परिसंपत्तियों के कम मूल्य के पट्टे	-	-	-	-
	1,095.79	-	1,020.58	-

- (vii) तुलन पत्र में प्रस्तुत पट्टा देनदारियां इस प्रकार हैं:-

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	भवन	वाहन	कुल	भवन	वाहन	कुल
	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2023 को		31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2022 को	
चालू भाग	753.76	78.20	831.96	601.10	80.93	682.03
गैर- चालू भाग	721.28	146.48	867.76	1,294.42	120.39	1,414.81
	1,475.04	224.68	1,699.72	1,895.52	201.32	2,096.84

- (viii) 31 मार्च 2023 तक पट्टा देनदारियों की परिपक्वता विश्लेषण

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2023			31 मार्च 2022		
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2 वर्ष और अधिक	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2 वर्ष और अधिक
कार्यालय पट्टा	851.07	660.13	103.33	736.17	794.55	608.03
वाहन पट्टा	93.67	76.57	82.75	95.88	57.75	73.65
	944.74	736.70	186.08	832.05	852.30	681.68

- (ix) परिवर्तनीय पट्टा भुगतान से संबंधित व्यय शून्य हैं।
- (x) उपयोग का अधिकार परिसंपत्तियों को उप-पट्टे पर देने से होने वाली आय कंपनी पर लागू नहीं होती है।
- (xi) बिक्री और लीजबैक लेनदेन से होने वाली लाभ/ हानि कंपनी पर लागू नहीं है।

नोट 37.2 -- परिसंपत्तियों की क्षति

कंपनी ने वित्तीय वर्ष के अंत में मूल्यांकन किया है कि क्या किसी परिसंपत्ति के क्षति का कोई संकेत है या नहीं (इंडएस 36 के अनुच्छेद 12 के अनुसार)। प्रबंधन का मानना है कि तुलन पत्र की तारीख पर परिसंपत्तियों की क्षति का कोई संकेत नहीं मिलता है। प्रबंधन ने इंड एस-36 'परिसंपत्तियों की क्षति' के अनुसार अमूर्त परिसंपत्तियों सहित कंपनी की सभी परिसंपत्तियों की क्षति पर समीक्षा की है। समीक्षा के आधार पर, प्रबंधन की राय है कि संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण और अमूर्त और अन्य परिसंपत्तियों का आर्थिक प्रदर्शन उम्मीद से ज्यादा खराब नहीं है और इसलिए, तुलन पत्र की तारीख तक किसी भी संपत्ति में कोई क्षति नहीं हुई है।

नोट :-- 38

इंड एस 115 "गाहकों के साथ अनुबंधों से प्राप्त राजस्व" का प्रकटीकरण

अनुबंध शेष राशि

		राशि (लाख रुपये में)	
विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को	
क) व्यापार प्राप्तियां	-	-	
ख) अनुबंध परिसंपत्तियां	-	-	
ग) अनुबंध देनदारियां	10,207.00	10,207.00	

(क) व्यापार प्राप्तियां

		राशि (लाख रुपये में)	
विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को	
वर्ष की शुरुआत में व्यापार प्राप्तियां	-	-	
वर्ष के दौरान पहचाने गए निवल राजस्व	-	-	
समायोजन	-	-	
वर्ष के दौरान प्राप्त भुगतान	-	-	
व्यापार प्राप्तियों की अंतिम शेष	-	-	

(ख) अनुबंध परिसंपत्तियां

		राशि (लाख रुपये में)	
विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को	
वर्ष की शुरुआत में अनुबंध परिसंपत्तियां	-	-	
अनुबंध परिसंपत्ति से व्यापार प्राप्तियों में स्थानांतरण और प्रगति के माप में परिवर्तन के परिणामस्वरूप वृद्धि	-	-	
वर्ष के अंत में अनुबंध परिसंपत्तियां	-	-	

(ग) अनुबंध देनदारियां

		राशि (लाख रुपये में)	
विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को	
वर्ष की शुरुआत में अनुबंध देनदारियां	10,207.00	10,207.00	
अनुबंध देनदारियों से राजस्व में स्थानांतरण और प्रगति के माप में परिवर्तन के परिणामस्वरूप वृद्धि	-	-	
वर्ष के अंत में अनुबंध देनदारियां	10,207.00	10,207.00	

चालू रिपोर्टिंग अवधि में ऐसा कोई राजस्व मान्य नहीं था जो पिछले वर्ष में पूरे किए गए प्रदर्शन दायित्वों से संबंधित हो।

प्रदर्शन दायित्व

परियोजनाओं के संबंध में कंपनी का प्रदर्शन दायित्व ग्राहक को परियोजना रिपोर्ट की डिलीवरी और ग्राहक की अंतिम स्वीकृति पर पूरा हो जाएगा।

नोट :- 39

एमएसएमई प्रकटीकरण

कंपनी ने उन उद्यमों की पहचान की है जिन्होंने कंपनी को सामान और सेवाएं प्रदान की हैं और जो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमडीए) के तहत परिभाषित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की परिभाषा के तहत योग्य हैं। तदनुसार, 31 मार्च 2023 और 31 मार्च 2022 तक ऐसे उद्यमों को देय राशि के संबंध में प्रबंधन द्वारा पहचानी गई सीमा तक कंपनी के पास प्राप्त और उपलब्ध जानकारी के आधार पर वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण किया गया है। अतिदेय राशि और देय ब्याज का विवरण नीचे दिया गया है।

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
क) वर्ष के अंत तक किसी आपूर्तिकर्ता को मूल राशि का भुगतान अदत्त रही	385.06	355.26
ख) उपरोक्त राशि पर देय ब्याज	-	-
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसार भुगतान की गई ब्याज की राशि और वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ताओं को किए गए भुगतान की राशि।	शून्य	शून्य
भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए बकाया और देय ब्याज की राशि, लेकिन इस अधिनियम के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना।	शून्य	शून्य
वर्ष के अंत में अर्जित और अदत्त रही ब्याज की राशि।	शून्य	शून्य
आगामी वर्षों में भी बकाया और देय रह रही अतिरिक्त ब्याज की राशि, उस तारीख तक जब उपरोक्त ब्याज का भुगतान वास्तव में लघु उद्यमों को किया जाता है।	शून्य	शून्य

नोट :- 40

कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III के अनुसार प्रकटीकरण

क. एमसीए ने 24 मार्च 2021 की अधिसूचना के माध्यम से कुछ प्रकटीकरण के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में संशोधन किया है जो 1 अप्रैल 2021 से लागू हैं। कंपनी ने वित्तीय विवरणों में उक्त संशोधन के अनुसार परिवर्तनों को शामिल किया है और नीचे दिए गए प्रकटीकरण उक्त संशोधन के अनुपालन में किए गए हैं:

- कंपनी ने वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के तहत हटाई गई कंपनियों के साथ कोई लेनदेन नहीं किया है, जैसा कि कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III के अनुसार रिपोर्ट किया जाना आवश्यक है।
- कंपनी ने वर्ष के दौरान क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी में व्यापार या निवेश नहीं किया है।
- कंपनी के पास कोई बेनामी संपत्ति नहीं है, जहां किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू की गई है या लंबित है।
- कंपनी की कोई पूर्व अवधि की त्रुटि नहीं है जिसके लिए इक्विटी में बदलाव के विवरण में अलग से प्रकटीकरण करने की आवश्यकता हो।

- (v) कंपनी पर कोई शुल्क या संतुष्टि नहीं है जिसे वैधानिक अवधि के बाद भी आरओसी के साथ पंजीकृत किया जाना बाकी है।
- (vi) कंपनी ने विदेशी संस्थाओं (मध्यस्थों) सहित किसी भी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था (ओं) को इस समझ के साथ धनराशि प्रदान या उधार या निवेश नहीं की है कि मध्यस्थ:
- (क) कंपनी (अंतिम लाभार्थियों) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगा या निवेश करेगा
- (ख) अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई गारंटी प्रदान करेगा
- (vii) कंपनी को विदेशी संस्थाओं (फंडिंग पार्टों) सहित किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था (ओं) से कोई फंड प्राप्त नहीं हुआ है (चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा) कि कंपनी:
- (क) फंडिंग पार्टों (अंतिम लाभार्थियों) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार या निवेश करेगी या
- (ख) अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई चीज प्रदान करेगी,
- (viii) कंपनी ने प्रमोटरों, निदेशकों, केएमपी और अन्य संबंधित पक्षों को ऋण के रूप में कोई ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं की है।
- (ix) कंपनी ने आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में समर्पण या खुलासा नहीं किया है।
- (x) आरओयू परिसंपत्तियों सहित संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण का वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यांकन नहीं किया गया है, इसलिए अनुसूची III के अनुसार आवश्यक बाद का प्रकटीकरण लागू नहीं हैं।
- (xi) वर्ष के दौरान अमूर्त परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया गया है, इसलिए अनुसूची III के अनुसार आवश्यक बाद का प्रकटीकरण लागू नहीं हैं।
- (xii) कंपनी ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों से उधार नहीं लिया है, इसलिए अनुसूची III के अनुसार आवश्यक अतिरिक्त प्रकटीकरण लागू नहीं हैं।
- (xiii) कंपनी के पास निवेश संपत्ति नहीं है, इसलिए अनुसूची III के अनुसार आवश्यक अतिरिक्त प्रकटीकरण लागू नहीं हैं।
- (xiv) कंपनी को बैंकों या वित्तीय संस्थानों को त्रैमासिक स्टॉक विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए अनुसूची III के अनुसार आवश्यक अतिरिक्त प्रकटीकरण लागू नहीं हैं।
- (xv) कंपनी को वित्तीय संस्थान के बैंकों द्वारा जानबूझकर चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है, इसलिए अनुसूची III के अनुसार आवश्यक अतिरिक्त प्रकटीकरण लागू नहीं हैं।
- (xvi) कंपनी का किसी भी कंपनी में कोई अतिरिक्त निवेश नहीं है, इसलिए अधिनियम की धारा 2 के खंड (87) के साथ पढ़े गए कंपनी (परतों की संख्या पर प्रतिबंध) नियम, 2017 के तहत अनुपालन की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए अतिरिक्त प्रकटीकरण लागू नहीं है, जैसा कि कंपनी अधिनियम 2013 द्वारा अपेक्षित है।

विवरण	अंश	भाजक	मार्च 31, 2023	मार्च 31, 2022	परिवर्तन %	25% से अधिक के परिवर्तन का कारण
चालू अनुपात	चालू परिसंपत्तियां	चालू देनदारियां	0.27	1.95	-86.15%	अनुपात तुलनीय नहीं है क्योंकि कंपनी निर्माणाधीन है।
इक्विटी अनुपात पर रिटर्न	करों के बाद निवल लाभ	औसत शेयरधारक इक्विटी	-	0.01	-100.00%	अनुपात तुलनीय नहीं है क्योंकि कंपनी निर्माणाधीन है और कोई परिचालन लाभ नहीं है।

विवरण	अंश	भाजक	मार्च 31, 2023	मार्च 31, 2022	परिवर्तन %	25% से अधिक के परिवर्तन का कारण
नियोजित पूंजी पर रिटर्न	ब्याज और कर पूर्व आय	कार्यरत मूलधन	-	-	-	अनुपात तुलनीय और निर्धारित करने योग्य नहीं है क्योंकि कंपनी निर्माणाधीन है और कोई परिचालन लाभ नहीं है।
कर्ज सेवा कवरेज अनुपात	ऋण सेवाओं के लिए उपलब्ध आय	कुल ब्याज और मूलधन का पुनर्भुगतान	6.49	7.38	-12.06%	अनुपात तुलनीय नहीं है क्योंकि कंपनी निर्माणाधीन है और कोई परिचालन लाभ नहीं है।

निम्नलिखित अनुपात कंपनी पर लागू नहीं होते, इसलिए कोई गणना नहीं की गई है

क्रम सं.	विवरण
1	ऋण इक्विटी अनुपात
2	इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात
3	व्यापार प्राप्तियां टर्नओवर अनुपात
4	व्यापार देनदारियां टर्नओवर अनुपात
5	निवल पूंजी टर्नओवर अनुपात
6	निवल लाभ अनुपात
7	निवेश पर रिटर्न

(xviii) अचल संपत्तियों के स्वामित्व विलेख कंपनी के नाम पर नहीं हैं

राशि (लाख रुपये में)

तुलन पत्र में प्रासंगिक पंक्ति मद	संपत्ति की मद का विवरण	सकल वहन मूल्य	स्वामित्व विलेख जिसके नाम पर है	क्या स्वामित्व विलेख धारक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर/ निदेशक का रिश्तेदार या प्रमोटर/ निदेशक का कर्मचारी है	संपत्ति किस तिथि से धारित है	कंपनी के नाम पर धारित न होने का कारण
संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण	पूर्णस्वामित्व भूमि	3,28,654.81	परियोजना प्रभावित व्यक्ति	नहीं	*	स्वामित्व का हस्तांतरण प्रक्रियाधीन है
	पूर्णस्वामित्व भूमि	11,593.02	गुजरात सरकार	हाँ	*	स्वामित्व का हस्तांतरण प्रक्रियाधीन है
	पट्टाधारिता भूमि	664.03	गुजरात सरकार	हाँ	पट्टा समझौता का मसौदा प्रक्रियाधीन है	पट्टाधारिता भूमि के मामले में स्वामित्व सरकार के पास रहेगी
	पट्टाधारिता भूमि	11,688.12	महाराष्ट्र सरकार	हाँ	वित्तीय वर्ष 2018-19	पट्टा समझौता का कार्यान्वयन प्रक्रियाधीन है
निवेश संपत्ति	शून्य	शून्य	-	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

राशि (लाख रुपये में)

तुलन पत्र में प्रासंगिक पंक्ति मद	संपत्ति की मद का विवरण	सकल वहन मूल्य	स्वामित्व विलेख जिसके नाम पर है	क्या स्वामित्व विलेख धारक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर/ निदेशक का रिश्तेदार या प्रमोटर/ निदेशक का कर्मचारी है	संपत्ति किस तिथि से धारित है	कंपनी के नाम पर धारित न होने का कारण
विक्रय के लिए धारित गैर - चालू परिसंपत्ति	शून्य	शून्य	-	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
अन्य	शून्य	शून्य	-	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

* फ्रीहोल्ड भूमि में विभिन्न परियोजनाओं से प्रभावित व्यक्तियों और सरकारी विभागों से अर्जित भूमि शामिल है जिसे विभिन्न तिथियों पर अधिग्रहित किया गया है, इसलिए ऐसे अधिग्रहण के लिए तिथिवार प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

नोट: संपत्ति की मदें शामिल नहीं हैं, जहां स्वामित्व हस्तांतरित नहीं किया जाएगा और न ही पट्टा समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। केवल उपयोग के अधिकार की अनुमति प्राप्त की गई है।

ख. वित्तीय विवरण कंपनी पर लागू सीमा तक अनुसूची III (24 मार्च, 2021 की अधिसूचना द्वारा संशोधित) के अनुसार तैयार किया गया है। निम्नलिखित मदों को वित्तीय विवरण में रिपोर्ट नहीं किया गया है क्योंकि ये कंपनी पर लागू नहीं हैं या इनका मूल्य शून्य है।

चालू और गैर - चालू परिसंपत्तियां

- क) निवेश संपत्ति
- ख) गुडविल
- ग) वाहक पौधों के अलावा अन्य जैविक परिसंपत्तियां
- घ) निवेश
- इ) इन्वेंटरी
- च) व्यापार प्राप्तियां

चालू और गैर - चालू देनदारियाँ

- क) रिफंड देनदारियां
- ख) सरकारी अनुदान

लागू न होने वाली सीमा तक अन्य सभी प्रकटीकरण रिपोर्ट नहीं किए गए हैं।

ग. अन्य प्रकटीकरण

रोजगार के दौरान कर्मचारी लाभ और रोजगार के बाद के लाभों से संबंधित सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 ("संहिता") को सितंबर 2020 में राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई। संहिता को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है। हालाँकि, जिस तारीख को संहिता लागू होगी, उसे अधिसूचित नहीं किया गया है। कंपनी कोड के प्रभावी होने पर उसके प्रभाव का आकलन करेगी और कोड के प्रभावी होने की अवधि में किसी भी संबंधित प्रभाव को रिकॉर्ड करेगी।

नोट :- 41

आईसीआई की विशेषज्ञ सलाहकार समिति की राय के अनुसार कंपनी द्वारा वहन किए गए स्पेक्ट्रम शुल्क, परियोजना परिवर्धन व्यय और अनुसंधान एवं विकास व्यय के लेखांकन उपचार में परिवर्तन

नोट 41.1 -- लेनदेन इस प्रकार हैं:

प्रकृति	राशि (लाख रुपये में) 2021-22
परियोजना परिवर्धन व्यय	926.23
अनुसन्धान एवं विकास व्यय	2,005.27
कुल	2,931.50

नोट 41.1.1 – कंपनी द्वारा वहन किए गए उपरोक्त व्यय को पूंजीगत व्यय के रूप में माना गया और तदनुसार कंपनी के वित्तीय विवरण में जारी पूंजीगत कार्य के रूप में मान्यता दी गई। अब आईसीआई से प्राप्त राय के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2022-23 से ऐसे व्यय को राजस्व व्यय माना गया है और लाभ एवं हानि खाते में डाला गया है और उपरोक्त व्यय का 01-04-2022 और 01-04-2021 तक बकाया प्रारंभिक शेष संबंधित वित्तीय वर्ष में प्रतिधारित आय खाते खोलकर समायोजित किया गया है।

नोट 41.2 -- तुलन पत्र एवं लाभ एवं हानि मदों के विवरण पर प्रभाव के साथ लेनदेन का सुधार

नोट 41.2.1 – तुलन पत्र की मदों पर प्रभाव इस प्रकार है:

पंक्ति की मदें	2021-22	1 अप्रैल 2021 को प्रारंभिक शेष	कुल
जारी पूंजीगत कार्य	(1,855.02)	(1,076.48)	(2,931.50)
कुल परिसंपत्तियां	(1,855.02)	(1,076.48)	(2,931.50)
अन्य वित्तीय देनदारियां	-	-	-
कुल देनदारी	-	-	-
निवल परिसंपत्तियां (इक्विटी)	(1,855.02)	(1,076.48)	(2,931.50)

नोट 41.2.2 – लाभ एवं हानि की मदों पर प्रभाव इस प्रकार हैं:

प्रकृति	राशि (लाख रुपये में) 2021-22
कर्मचारी लाभ व्यय	-
मूल्यहास और परिशोधन व्यय	-
अन्य व्यय	1,855.02
कुल व्यय	1,855.02
कुल राजस्व	-
कर पूर्व लाभ	(1,855.02)

नोट 41.2.3 -- प्रति शेयर आय पर प्रभाव (मूल और डाइल्यूटेड):

प्रकृति	राशि (लाख रुपये में) 2022-23
इक्विटी शेयर धारकों के कारण होने वाले लाभ पर प्रभाव (लाख रुपये में)	(1,855.02)
इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (शेयरों की संख्या लाखों में)	1,373.60
आय प्रति शेयर पर प्रभाव (मूल और डाइल्यूटेड) (रुपये में)	(1.35)

नोट :-- 42

पिछले वर्ष के आंकड़ों को, जहां भी आवश्यक हो, पुनर्वर्गीकृत/पुनः समूहित किया गया है ताकि उन आंकड़ों के संबंध में चालू वर्ष की प्रस्तुति की पुष्टि की जा सके।

नोट :-- 43

वित्तीय विवरण का अनुमोदन

20 जुलाई 2023 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल द्वारा वित्तीय विवरणों को मंजूरी दी गई है।

एकेजीवीजी एवं एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन: 018598N

निदेशक मंडल के लिए एवं उसकी ओर से

पार्टनर: अमन अग्रवाल
एम. नं.: 515385

राजेन्द्र प्रसाद
प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 08006234

विवेक प्रकाश त्रिपाठी
निदेशक वित्त और सीएफओ
डीआईएन: 10216466

सुमीता शर्मा
कंपनी सचिव
एम नं: FCS 5250

दिनांक: 20 जुलाई 2023
स्थान : नई दिल्ली

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरण पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ।

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग रूपरेखा के अनुसार 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएचएसआरसीएल) के वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। ऐसा उनके द्वारा 20 जुलाई 2023 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से किया गया बताया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143(6)(ए) के तहत 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा वैधानिक लेखा परीक्षक के कार्य दस्तावेज देखे बिना स्वतंत्र रूप से किया गया है और यह मुख्य रूप से वैधानिक लेखा परीक्षक और कंपनी कर्मियों की पूछताछ एवं कुछ लेखांकन रिकॉर्ड की चयनात्मक जांच तक सीमित है।

अपने अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मैं अधिनियम की धारा 143(6)(बी) के तहत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों पर प्रकाश डालना चाहूंगा जो मेरे ध्यान में आए हैं और जो मेरे विचार से वित्तीय विवरणों और संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट की बेहतर समझ प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं:

क. लाभप्रदता पर टिप्पणियाँ

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि का विवरण

अन्य आय - 97,76.63 लाख रुपये - नोट 20

'अन्य आय' में 86,32.98 लाख रुपये¹ शामिल हैं, जो 2022-23 के दौरान बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना निधि के अधिशेष की जमा राशि पर कंपनी द्वारा अर्जित ब्याज है।

इंड एस 23 की आवश्यकताओं के अनुसार ब्याज आय को परिसंपत्तियों की लागत में पूंजीकृत किए जाने वाले उधारी लागत के विरुद्ध समायोजित किया जाना चाहिए। अधिशेष ईएपी निधि की जमा राशि पर अर्जित आय को पूंजीगत कार्य-प्रगति के तहत समायोजित करने के बजाय "अन्य आय" के तहत बयान करने के कारण 'अन्य आय' और 'कर पूर्व लाभ' में 86,32.98 लाख रुपये, प्रतिधारित आय² में 114,63.03 लाख रुपये और 'पूंजीगत कार्य प्रगति' में 200,96.013 लाख रुपये³ की अतिशयोक्ति हुई है।

ख. वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियाँ

(i) तुलन पत्र

(क) कंपनी वर्ष 2021-22 तक स्पेक्ट्रम शुल्क के भुगतान को पूंजीगत कार्य प्रगति के तहत बुक कर रही थी। 2018-19 से 2021-22 तक के वर्षों के दौरान, कंपनी ने 4,402 लाख रुपये का स्पेक्ट्रम शुल्क भुगतान पूंजीगत कार्य प्रगति के तहत बुक किया है। हालाँकि, आईसीएआई की विशेषज्ञ सलाहकार समिति (ईएसी) की राय के आधार पर, कंपनी ने इस प्रथा को बदल दिया और वर्ष 2022-23 के दौरान स्पेक्ट्रम शुल्क के रूप में 972.05 लाख रुपये के भुगतान को अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में माना है।

1. रेल मंत्रालय परियोजना के निर्माण के लिए इक्विटी और बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं (ईएपी) के लिए कंपनी को अग्रिम धनराशि जारी करता है। कंपनी द्वारा धनराशि को अस्थायी रूप से बैंक जमा में निवेश किया जाता है। 'ईएपी' निधि पर अर्जित ब्याज के आंकड़ों की गणना बैंकों में जमा इक्विटी और ईएपी निधि पर आनुपातिक आधार पर की जाती है।
2. जिसमें 2018-19, 2020-21 और 2021-22 के दौरान क्रमशः रुपये 2,72.18 लाख, रुपये 13,22.41 लाख और रुपये 98,68.44 लाख की पूर्व अवधि की त्रुटि शामिल है।
3. 2019-20, 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के दौरान क्रमशः रुपये 2,72.18 लाख, रुपये 13,22.41 लाख, रुपये 98,68.44 लाख और रुपये 86,32.98 लाख की पूंजीगत कार्य प्रगति।

हालाँकि, कंपनी द्वारा पहले अपनाई जा रही प्रथा एक त्रुटि थी, इसलिए, इसे इंड एस - 8 के अनुच्छेद 42 (बी) के तहत और आईसीएआई की ईएसी की राय के अनुसार इसे पूर्वव्यापी रूप से ठीक किया जाना चाहिए था।

- (ख) इसी तरह, कंपनी वर्ष 2021-22 तक परियोजना संवर्धन व्यय और अनुसंधान एवं विकास व्यय के लिए किए जा रहे व्यय को पूंजीगत कार्य प्रगति के तहत बुक कर रही थी और वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान, कंपनी ने 2,931 लाख रुपये के व्यय को पूंजीगत कार्य प्रगति के तहत बुक किया है। हालाँकि, आईसीएआई की विशेषज्ञ सलाहकार समिति (ईएसी) की राय के आधार पर, कंपनी ने इस प्रथा को बदल दिया और इस व्यय को राजस्व व्यय के रूप में माना और वर्ष 2022-23 के दौरान प्रतिधारित आय के साथ समायोजित किया।

हालाँकि, कंपनी द्वारा पहले अपनाई जा रही प्रथा एक त्रुटि थी, इसलिए, इसे इंड एस - 8 के अनुच्छेद 42 (बी) के तहत और आईसीएआई की ईएसी की राय के अनुसार पूर्वव्यापी रूप से ठीक किया जाना चाहिए था।

चूँकि उपरोक्त त्रुटियाँ प्रस्तुत प्रारंभिक अवधि यानी 2021-22 से पहले हुई हैं, इसलिए, प्रस्तुत प्रारंभिक अवधि यानी 2021-22 के लिए परिसंपत्तियों, देनदारियों और इक्विटी के ओपनिंग बैलेंस को पुनर्स्थापित किया जाना चाहिए था।

इस प्रकार, कंपनी द्वारा 31 मार्च 2023 को प्रस्तुत तुलन पत्र इंड एस-8 की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है।

ग. प्रकटीकरण पर टिप्पणियाँ

(i) महत्वपूर्ण लेखांकन नीति

अन्य अमूर्त परिसंपत्ति - रुपये 6,685.61 लाख (नोट 5.1)

कंपनी ने आईसीएआई की विशेषज्ञ सलाहकार समिति की राय के आधार पर भुगतान स्पेक्ट्रम शुल्क को अमूर्त परिसंपत्ति माना है। हालाँकि, कंपनी ने अमूर्त परिसंपत्तियों के रूप में स्पेक्ट्रम शुल्क की पहचान, मापन और परिशोधन के संबंध में किसी भी लेखांकन नीति का खुलासा नहीं किया था।

इस प्रकार, महत्वपूर्ण लेखांकन नीति एक हद तक दोषपूर्ण है।

(ii) राजस्व पहचान (नोट 2.9)

कंपनी ने अपनी लेखांकन नीति में ग्राहकों के साथ किए गए अनुबंध से प्राप्त राजस्व के संबंध में खुलासा किया है कि; (i) ग्राहकों के साथ अनुबंध से प्राप्त राजस्व को तब पहचाना जाता है जब वस्तुओं या सेवाओं का नियंत्रण ग्राहक को उस राशि पर हस्तांतरित किया जाता है जो उस राशि को दर्शाता है जो कंपनी उन वस्तुओं या सेवाओं के बदले में पाने का हकदार होने की अपेक्षा करती है, और (ii) राजस्व को प्राप्त या प्राप्य प्रतिफल के उचित मूल्य पर मापा जाता है।

हालाँकि, इंड एस 115 के अनुच्छेद 46 के अनुसार, ग्राहकों के साथ अनुबंध से प्राप्त राजस्व के लिए आवश्यक है कि कंपनी उस प्रदर्शन दायित्व के लिए आवंटित परिवर्तनीय प्रतिफल के अनुमान को छोड़कर, लेनदेन मूल्य की राशि को राजस्व के रूप में पहचानेगी।

इस प्रकार, राजस्व के पहचान के संबंध में महत्वपूर्ण लेखांकन नीति एक हद तक दोषपूर्ण है।

घ. लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर टिप्पणियाँ

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 20 जुलाई 2023 का संदर्भ आमंत्रित किया जाता है, जिसमें स्वतंत्र लेखा परीक्षक ने राय दी है कि वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम 2013 द्वारा आवश्यक जानकारी देती है, जो अपेक्षित तरीके से प्रस्तुत की जाती है और अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानकों के अनुरूप 'सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण' देती है।

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की राय संधारणीय नहीं है क्योंकि क्रमांक क पर की गई टिप्पणी का वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी के रिपोर्ट की गई लाभ पर महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। चालू वर्ष में रुपये 68,50.77 लाख की रिपोर्ट की गई 'असाधारण वस्तुओं एवं कर पूर्व लाभ' को रुपये 17,82.21 लाख के समकक्ष 'असाधारण वस्तुओं एवं कर पूर्व हानि' में परिवर्तित हो गई हैं।

नतीजतन, स्वतंत्र लेखा परीक्षक द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों के 'सच्चे और निष्पक्ष दृष्टिकोण' पर उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट (रिपोर्ट के 'राय' शीर्षक के तहत) के माध्यम से व्यक्त की गई राय संधारणीय नहीं है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
के लिए एवं उनकी ओर से

डॉ. नीलोत्पल गोस्वामी
लेखापरीक्षा महानिदेशक
रेलवे कमर्शियल, नई दिल्ली

दिनांक : 15 सितंबर 2023

स्थान : नई दिल्ली

2022-23 के वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) की टिप्पणियों पर प्रबंधन का उत्तर

क्र. मांक	सीएजी की टिप्पणियाँ	सीएजी की टिप्पणियों पर प्रबंधन का उत्तर
क.	लाभप्रदता पर टिप्पणियाँ 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि का विवरण अन्य आय - रुपये 97,76.63 लाख - नोट 20 'अन्य आय' में 2022-23 के दौरान बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना निधि से अधिशेष जमा पर कंपनी द्वारा अर्जित ब्याज रुपये 86,32.98 लाख¹ शामिल है। इंड एस 23 की आवश्यकताओं के अनुसार ब्याज आय को परिसंपत्तियों की लागत में पूंजीकृत किए जाने वाले उधारी लागत के विरुद्ध समायोजित किया जाना चाहिए। अधिशेष ईएपी निधि की जमा राशि पर अर्जित आय को पूंजीगत कार्य-प्रगति के तहत समायोजित करने के बजाय "अन्य आय" के तहत बयान करने के कारण 'अन्य आय' और 'कर पूर्व लाभ' में 86,32.98 लाख रुपये, प्रतिधारित आय² में 114,63.03 लाख रुपये और 'पूंजीगत कार्य प्रगति' में 200,96.013 लाख रुपये³ की अतिशयोक्ति हुई है। 1 रेल मंत्रालय परियोजना के निर्माण के लिए इक्विटी और बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं (ईएपी) के लिए कंपनी को अग्रिम धनराशि जारी करता है। कंपनी द्वारा धनराशि को अस्थायी रूप से बैंक जमा में निवेश किया जाता है। 'ईएपी' निधि पर अर्जित ब्याज के आंकड़ों की गणना बैंकों में जमा इक्विटी और ईएपी निधि पर आनुपातिक आधार पर की जाती है। 2 जिसमें 2018-19, 2020-21 और 2021-22 के दौरान क्रमशः रुपये 2,72.18 लाख, रुपये 13,22.41 लाख और रुपये 98,68.44 लाख की पूर्व अवधि की वृद्धि शामिल है। 3 2019-20, 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के दौरान क्रमशः रुपये 2,72.18 लाख, रुपये 13,22.41 लाख, रुपये 98,68.44 लाख और रुपये 86,32.98 लाख की पूंजीगत कार्य प्रगति।	मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल (एमएचएसआर) परियोजना को 09.12.2015 को कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई थी और उसके बाद एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएचएसआरसीएल) की स्थापना की गई थी। परियोजना की पूंजीगत लागत लगभग 1.08 लाख करोड़ रुपये है। परियोजना की कुल लागत के लिए, कंपनी द्वारा रेल मंत्रालय (एमओआर), गुजरात सरकार, महाराष्ट्र सरकार से इक्विटी के रूप में धन की व्यवस्था की गई है। भारत सरकार ने वित्त मंत्रालय (एमओएफ) के माध्यम से जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) से विदेश विकास सहायता ऋण की व्यवस्था की है। वित्त मंत्रालय ने निर्माण और अधिप्राप्ति की दिशा में एमएचएसआर परियोजना के लिए 50 वर्ष की भुगतान अवधि के साथ 0.1% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर ऋण प्राप्त करने के लिए जेआईसीए के साथ समझौता किया है। एमएचएसआर के बहुवर्षीय निर्माण और अधिप्राप्ति अवधि के कारण, एनएचएसआरसीएल के अनुरोध के आधार पर एमओआर (इक्विटी सहित) धनराशि जारी करता है, जो उस अनुमानित व्यय पर निर्भर करता है जिसे पूरा करने की अपेक्षा है। जब और जैसे आवश्यकता पड़ने पर रेल मंत्रालय धनराशि जारी करता है। इक्विटी योगदान के प्रति जारी की गई राशि को इक्विटी के रूप में दिखाया गया है। बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना (ईएपी) के रूप में जारी धनराशि को एमओआर से प्राप्त अग्रिम के रूप में दिखाया गया है, क्योंकि ये जेआईसीए ओडीए ऋण के प्रति हैं। इन्हें अग्रिम के रूप में दिखाया गया है, क्योंकि एनएचएसआरसीएल के इन वित्तीय विवरणों की तारीख तक, जिन नियमों और शर्तों पर एनएचएसआरसीएल को ऋण दिया जाएगा, वे अभी भी एमओएफ और एमओआर के साथ चर्चाधीन हैं। एनएचएसआरसीएल ने निवेश की गई धनराशि पर अर्जित ब्याज को अन्य आय के रूप में माना है। एनएचएसआरसीएल ने इस मामले पर निर्णायक सलाह के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) की विशेषज्ञ सलाहकार परिषद (ईएसी) की राय मांगी है। आईसीएआई के ईएसी की राय (अनुच्छेद 16 के अनुसार) इस प्रकार है: (i) प्रभावी ब्याज पद्धति (ईआईआर) का उपयोग करके गणना की गई उधारी लागत की सीमा तक ब्याज आय को इंड एस 23 की आवश्यकताओं के अनुसार परिसंपत्तियों की लागत में

क्र. मांक	सीएजी की टिप्पणियाँ	सीएजी की टिप्पणियों पर प्रबंधन का उत्तर
		पूँजीकृत किए जाने वाले उक्त उधारी लागत के विरुद्ध समायोजित किया जाना चाहिए। (ii) अतिरिक्त/ अधिशेष ब्याज आय (यदि कोई हो) को इंड एस 107 के साथ पढ़े जाने वाले इंड एस 1 की आवश्यकताओं के अनुसार लाभ एवं हानि के विवरण में पहचाना जाना चाहिए। आईसीआई की ईएसी की सलाह के अनुसार, एनएचएसआरसीएल के वित्तीय विवरण में इसे यथासंभव प्रभावित किया गया। हालाँकि, आय की सटीक राशि निर्धारित करने में व्यावहारिक कठिनाइयाँ हैं जिन्हें उधार लेने की लागत के लिए प्रभारित करने की आवश्यकता है, क्योंकि तुलन पत्र की तारीख तक, भविष्य के पुनर्भुगतान, ऋण की अवधि आदि सहित उचित मूल्यांकन/ ईआईआर के लिए आवश्यक अधिकांश जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा, इसके समान एक फंडिंग लिखत का अभाव, इन नियमों और शर्तों के साथ जिसमें एमएचएसआर परियोजना के समान विशेषताएँ हैं, उपलब्ध नहीं हैं, जो एक बेंचमार्क के रूप में काम कर सकता था। एमएचएसआर परियोजना एक अनूठी, अपनी तरह की पहली, देश की पहली प्रौद्योगिकी संचालित परियोजना है जिसमें प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, बड़े वित्तीय निहितार्थ, एमएचएसआर परियोजना की व्यवहार्यता और निष्पादन, संचालन और रखरखाव से संबंधित कार्यान्वयन जोखिम शामिल हैं। इसलिए प्रबंधन ने वित्त मंत्रालय और रेल मंत्रालय द्वारा नियमों और शर्तों के अंतिम निष्पादन की प्रतीक्षा करना सही समझा, जिसके तहत एनएचएसआरसीएल को जेआईसीए से ओडीए ऋण दिया जाएगा। इसलिए, कंपनी ने एक रूढ़िवादी दृष्टिकोण अपनाने का फैसला किया और शर्तों को अंतिम रूप मिलने तक अपने लेनदेन मूल्य के अग्रिम (ईएपी) को उचित मूल्य माना। आगे स्पष्ट करने और सूचित करने के लिए, एनएचएसआरसीएल ने नोट 13.2.1 में अपने वित्तीय विवरण के तहत निम्नलिखित प्रकटन किया है: “लेन-देन की मूल्य को रेल मंत्रालय की ओर से अग्रिम के लिए उचित मूल्य माना गया है क्योंकि एनएचएसआरसीएल के मामले में समान क्रेडिट रेटिंग वाले समान लिखत के लिए ब्याज उपलब्ध नहीं है। इसलिए, इंड एस 109 के अनुसार उचित मूल्यांकन के लिए किसी समायोजन की आवश्यकता नहीं है।” यह ध्यान देना है कि तुलन पत्र की तारीख तक पूँजीकृत की जाने वाली उधारी लागत निर्धारित नहीं की जा सकती है, इसलिए, ईएसी द्वारा दी गई राय के अनुपालन में, ब्याज आय को लाभ एवं हानि के विवरण में दिखाया गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस मुद्दे से एमएचएसआर पर महत्वपूर्ण वित्तीय प्रभाव पड़ता है। यह मानते हुए कि ब्याज आय को लाभ एवं हानि के विवरण में जमा नहीं किया जाना है और इसे पूँजीगत कार्य प्रगति (सीडब्ल्यूआईपी) में दिखाया जाना है, सीडब्ल्यूआईपी पर प्रभाव, जैसा कि टिप्पणियों में बताया गया है, सही नहीं है क्योंकि इसे सीडब्ल्यूआईपी में दिखाते समय, संबंधित उधारी लागत को भी पहचानना होगा, जो वर्तमान में इन वित्तीय विवरणों की तारीख तक उपलब्ध नहीं है। ऐसी संभावना उत्पन्न हो सकती है कि उधारी लागत, जिसे पूँजीकृत किया जाना है, संबंधित निधियों से प्राप्त ब्याज आय से कम है। शेष ब्याज को फिर भी लाभ एवं हानि के विवरण में दिखाया जाएगा। मामले पर किसी भी अंतिम निर्णय के अभाव में, अन्य बातों के अलावा, ब्याज दर, एनएचएसआरसीएल को ओडीए ऋण पारित करने के नियमों और शर्तों के निपटान के संबंध में, इस मामले में आईसीआई के ईएसी द्वारा दी गई राय के अनुसार उपचार किया गया है। इसके अलावा, एनएचएसआरसीएल इसके लिए एमओआर के साथ अनुवर्ती कार्रवाई कर रहा है। जब भी एनएचएसआरसीएल को ओडीए ऋण पारित करने के संबंध में नियम और शर्तों को अंतिम रूप दिया जाता है, तो इसे ध्यान में रखा जाएगा और पिछले वित्तीय वर्ष के प्रभाव को विधिवत शामिल करते हुए अगले वित्तीय विवरण तैयार करने में आवश्यक लेखांकन उपचार किया जाएगा।

क्र. मांक	सीएजी की टिप्पणियाँ	सीएजी की टिप्पणियों पर प्रबंधन का उत्तर
ख. i.	वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियाँ तुलन पत्र (क) कंपनी वर्ष 2021-22 तक स्पेक्ट्रम शुल्क के भुगतान को पूंजीगत कार्य प्रगति के तहत बुक कर रही थी। 2018-19 से 2021-22 तक के वर्षों के दौरान, कंपनी ने 4,402 लाख रुपये का स्पेक्ट्रम शुल्क भुगतान पूंजीगत कार्य प्रगति के तहत बुक किया है। हालाँकि, आईसीएआई की विशेषज्ञ सलाहकार समिति (ईएसी) की राय के आधार पर, कंपनी ने इस प्रथा को बदल दिया और वर्ष 2022-23 के दौरान स्पेक्ट्रम शुल्क के रूप में 972.05 लाख रुपये के भुगतान को अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में माना है। हालाँकि, कंपनी द्वारा पहले अपनाई जा रही प्रथा एक त्रुटि थी, इसलिए, इसे इंड एस - 8 के अनुच्छेद 42 (बी) के तहत और आईसीएआई की ईएसी की राय के अनुसार इसे पूर्वव्यापी रूप से ठीक किया जाना चाहिए था। (ख) इसी तरह, कंपनी वर्ष 2021-22 तक परियोजना संवर्धन व्यय और अनुसंधान एवं विकास व्यय के लिए किए जा रहे व्यय को पूंजीगत कार्य प्रगति के तहत बुक कर रही थी और वर्ष 2017-18 से	एनएचएसआरसीएल ने अपने बही खाते में 31 मार्च 2022 तक स्पेक्ट्रम शुल्क, परियोजना संवर्धन और अनुसंधान एवं विकास की दिशा में परियोजना से संबंधित कुछ व्यय को पूंजीकृत किया है, हालाँकि, वित्तीय वर्ष (वित्त वर्ष) 2021-22 के लिए अनुपूरक लेखापरीक्षा के दौरान सीएजी ने यह टिप्पणियाँ दी हैं कि इस तरह के व्ययों को लाभ एवं हानि के विवरण में शामिल किया जाना चाहिए। तदनुसार, इस पर राय जानने के लिए मामला आईसीएआई की विशेषज्ञ सलाहकार समिति (ईएसी) को संदर्भित किया गया था। (क) स्पेक्ट्रम शुल्क पर आईसीएआई की ईएसी की राय का प्रभाव, वस्तुओं को वर्तमान परिसंपत्तियों से 972.05 लाख रुपये के अमूर्त परिसंपत्ति की वहन राशि में वर्गीकृत करने से संबंधित है और लाभ-हानि या प्रतिधारित आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इंड एस 8 के अनुसार केवल पूर्व अवधि की महत्वपूर्ण त्रुटियों को पुनर्कथित करने की आवश्यकता है और एक महत्वपूर्ण त्रुटि ऐसी चीज़ है जो उपयोगकर्ता के निर्णय को प्रभावित कर सकती है। ईएसी ने अनुच्छेद 7 में अपनी राय में विशेष रूप से यह बताया है कि: <i>"समिति ने ध्यान दिया है कि प्रश्नकर्ता द्वारा उठाए गए बुनियादी मुद्दे परियोजना से जुड़े स्पेक्ट्रम शुल्क, परियोजना संवर्धन व्यय और अनुसंधान एवं विकास व्यय के लेखांकन उपचार से संबंधित हैं। इसलिए, समिति ने केवल इन मुद्दों की जांच की है और किसी अन्य मुद्दे की जांच नहीं की है जो मामले के तथ्यों से उत्पन्न हो सकता है, जैसे भौतिकता पर विचार, पीपीई के रूप में पूंजीकरण का समय..."</i> उपरोक्त अनुच्छेद से, यह स्पष्ट है कि ईएसी ने वस्तुओं की भौतिकता पर ध्यान नहीं दिया है। चूंकि इस लेनदेन का लाभ एवं हानि की रिपोर्ट की गई राशि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और एनएचएसआरसीएल के तुलन पत्र के आकार को ध्यान में रखते हुए भी इस लेनदेन को वित्तीय विवरण के पूर्वव्यापी पुनर्कथन के उद्देश्य से महत्वपूर्ण नहीं माना गया है। इसलिए, इंड एस 8 की आवश्यकता और ईएसी की राय के अनुपालन में, स्पेक्ट्रम शुल्क को पूर्वव्यापी रूप से पुनर्कथित नहीं किया गया है। इसके अलावा, उक्त टिप्पणियों का कंपनी की वित्तीय स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। (ख) 2931 लाख रुपये कुल व्यय में से 1855 लाख रुपये की राशि वित्तीय वर्ष 2021-22 से संबंधित है और शेष 1076 लाख रुपये की राशि स्थापना से लेकर 2021-22 से पहले की अवधि से संबंधित है। टिप्पणी में कहा गया है कि इस राशि को वित्त वर्ष

क्र. मांक	सीएजी की टिप्पणियाँ	सीएजी की टिप्पणियों पर प्रबंधन का उत्तर
	2021-22 के दौरान, कंपनी ने 2,931 लाख रुपये के व्यय को पूंजीगत कार्य प्रगति के तहत बुक किया है। हालाँकि, आईसीएआई की विशेषज्ञ सलाहकार समिति (ईएसी) की राय के आधार पर, कंपनी ने इस प्रथा को बदल दिया और इस व्यय को राजस्व व्यय के रूप में माना और वर्ष 2022-23 के दौरान प्रतिधारित आय के साथ समायोजित किया। हालाँकि, कंपनी द्वारा पहले अपनाई जा रही प्रथा एक त्रुटि थी, इसलिए, इसे इंड एस - 8 के अनुच्छेद 42 (बी) के तहत और आईसीएआई की ईएसी की राय के अनुसार पूर्वव्यापी रूप से ठीक किया जाना चाहिए था। चूंकि उपरोक्त त्रुटियां प्रस्तुत प्रारंभिक अवधि यानी 2021-22 से पहले हुई हैं, इसलिए, प्रस्तुत प्रारंभिक अवधि यानी 2021-22 के लिए परिसंपत्तियों, देनदारियों और इक्विटी के ओपनिंग बैलेंस को पुनर्स्थापित किया जाना चाहिए था। इस प्रकार, कंपनी द्वारा 31 मार्च 2023 को प्रस्तुत तुलन पत्र इंड एस-8 की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है।	2022-23 की ओपनिंग प्रतिधारित आय में समायोजित किया गया है, हालाँकि, यह टिप्पणी सही नहीं है क्योंकि कंपनी ने वित्त वर्ष 2022-23 की ओपनिंग प्रतिधारित आय में राशि को समायोजित नहीं किया है। कंपनी द्वारा अपनाए गए लेखांकन उपचार को नीचे समझाया गया है: इंड एस 8 का अनुच्छेद 5 प्रस्तुत करता है कि: <i>पूर्वव्यापी पुनर्कथन वित्तीय विवरणों के तत्वों के पहचान, मापन और राशि के प्रकटीकरण को इस प्रकार सुधारना है मानो पिछली अवधि की त्रुटि कभी नहीं हुई थी।</i> इसे ऐसे समझा जा सकता है कि वित्तीय विवरणों में इस तरह से सुधार करने की आवश्यकता है मानो कि ये राशियाँ हमेशा वित्तीय विवरणों में शामिल थीं। इसके अलावा, इंड एस 8 का अनुच्छेद 42 प्रस्तुत करता है कि: <i>अनुच्छेद 43 के अधीन, एक कंपनी को महत्वपूर्ण त्रुटियों का पता लगाने के बाद जारी की जाने वाली अनुमोदित वित्तीय विवरणों के पहले सेट में पिछली अवधि की महत्वपूर्ण त्रुटियों को पूर्वव्यापी रूप से ठीक करना होगा:</i> <i>(क) प्रस्तुत पूर्व अवधि (अवधियों) के लिए तुलनात्मक राशियों को दोबारा पुनर्कथित करके जिसमें त्रुटि हुई; या</i> <i>(ख) यदि त्रुटि प्रस्तुत पूर्व अवधि से पहले हुई है, तो प्रस्तुत पूर्व अवधि के लिए परिसंपत्तियों, देनदारियों और इक्विटी के ओपनिंग बैलेंस को पुनर्कथित करना।</i> उपरोक्त अनुच्छेद (क) के अनुपालन में, एनएचएसआरसीएल ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए लाभ एवं हानि के विवरण में रुपये 1855 लाख की राशि प्रभावित करके लेनदेन को पुनर्कथित किया है और उस अवधि के लिए पूंजीगत कार्य प्रगति को पुनर्कथित किया है जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2021-22 के लाभ में गिरावट आई थी। इस संबंध में आवश्यक प्रकटन वित्तीय विवरण के नोट 41 के माध्यम से किया गया है। 1076 लाख रुपये के संचयी लेनदेन से संबंधित 2021-22 से पूर्व अवधि के लिए पुनर्कथन लागू करने में एनएचएसआरसीएल ने निम्नलिखित उपचार क्रियान्वित किए हैं: 1 अप्रैल 2021 को प्रतिधारित आय के ओपनिंग बैलेंस का पुनर्कथन, यह दर्शाता है कि यदि यह लेनदेन हमेशा होता, तो उस प्रतिधारित आय, के संबंध में जिसमें 1 अप्रैल की ओपनिंग बैलेंस को पुनर्कथित किया गया है, की तुलना में 1 अप्रैल 2021 की प्रतिधारित आय 1076 लाख रुपये (नोट 12) कम होता, का इस संबंध में सन्दर्भ लिया जा सकता है। 2. 1 अप्रैल 2021 को पूंजीगत कार्य प्रगति की ओपनिंग बैलेंस का पुनर्कथन, यह दर्शाता है कि यदि यह लेनदेन हमेशा होता तो पूंजीगत कार्य प्रगति का ओपनिंग बैलेंस 1076 लाख रुपये कम होता।

क्र मांक	सीएजी की टिप्पणियाँ	सीएजी की टिप्पणियों पर प्रबंधन का उत्तर
		इस संबंध में आवश्यक प्रकटन वित्तीय विवरणों के नोट 41 के तहत विस्तृत प्रकटन के माध्यम से भी किया गया है, जिसमें तुलन पत्र, लाभ एवं हानि के विवरण और प्रति शेयर आय पर ईएसी की राय के प्रभाव पर प्रकाश डाला गया है। इसलिए, कंपनी ने इंड एस 8 के अनुच्छेद 42 की आवश्यकता का अनुपालन किया है। इसके अलावा, उक्त टिप्पणियों का कंपनी की वित्तीय स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
ग	प्रकटन पर टिप्पणियाँ (i) महत्वपूर्ण लेखांकन नीति अन्य अमूर्त परिसंपत्ति - रुपये 6,685.61 लाख (नोट 5.1) कंपनी ने आईसीएआई की विशेषज्ञ सलाहकार समिति की राय के आधार पर भुगतान स्पेक्ट्रम शुल्क को अमूर्त परिसंपत्ति माना है। हालाँकि, कंपनी ने अमूर्त परिसंपत्तियों के रूप में स्पेक्ट्रम शुल्क की पहचान, मापन और परिशोधन के संबंध में किसी भी लेखांकन नीति का खुलासा नहीं किया था। इस प्रकार, महत्वपूर्ण लेखांकन नीति एक हद तक दोषपूर्ण है। (ii) राजस्व पहचान (नोट 2.9) कंपनी ने अपनी लेखांकन नीति में ग्राहकों के साथ किए गए अनुबंध से प्राप्त राजस्व के संबंध में खुलासा किया है कि; (i) ग्राहकों के साथ अनुबंध से प्राप्त राजस्व को तब पहचाना जाता है जब वस्तुओं या सेवाओं का नियंत्रण ग्राहक को उस राशि पर हस्तांतरित किया जाता है जो उस राशि को दर्शाता है जो कंपनी उन वस्तुओं या सेवाओं के बदले में पाने का हकदार होने की अपेक्षा करती है, और (ii) राजस्व को प्राप्त या प्राप्य प्रतिफल के उचित मूल्य पर मापा जाता है। हालाँकि, इंड एस 15 के अनुच्छेद 46 के अनुसार, ग्राहकों के साथ अनुबंध से प्राप्त राजस्व के लिए आवश्यक है कि कंपनी उस प्रदर्शन दायित्व के लिए आवंटित परिवर्तनीय प्रतिफल के अनुमान को छोड़कर, लेनदेन मूल्य की राशि को राजस्व के रूप में पहचानेगी। इस प्रकार, राजस्व के पहचान के संबंध में महत्वपूर्ण लेखांकन नीति एक हद तक दोषपूर्ण है।	सीएजी की टिप्पणियाँ नोट कर ली गई हैं। हालाँकि, उक्त टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों के समग्र दृष्टिकोण को प्रभावित नहीं करती हैं। सीएजी की टिप्पणियाँ नोट कर ली गई हैं। हालाँकि, उक्त टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों के समग्र दृष्टिकोण को प्रभावित नहीं करती हैं।

क्र. मांक	सीएजी की टिप्पणियाँ	सीएजी की टिप्पणियों पर प्रबंधन का उत्तर
घ.	लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर टिप्पणी स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 20 जुलाई 2023 का संदर्भ आमंत्रित किया जाता है, जिसमें स्वतंत्र लेखा परीक्षक ने राय दी है कि वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम 2013 द्वारा आवश्यक जानकारी देती है, जो अपेक्षित तरीके से प्रस्तुत की जाती है और अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानकों के अनुरूप 'सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण' देती है। स्वतंत्र लेखा परीक्षक की राय संधारणीय नहीं है क्योंकि क्रमांक क पर की गई टिप्पणी का वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी के रिपोर्ट की गई लाभ पर महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। चालू वर्ष में रुपये 68,50.77 लाख की रिपोर्ट की गई 'असाधारण वस्तुओं एवं कर पूर्व लाभ' को रुपये 17,82.21 लाख के समकक्ष 'असाधारण वस्तुओं एवं कर पूर्व हानि' में परिवर्तित हो गई हैं। नतीजतन, स्वतंत्र लेखा परीक्षक द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों के 'सच्चे और निष्पक्ष दृष्टिकोण' पर उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट (रिपोर्ट के 'राय' शीर्षक के तहत) के माध्यम से व्यक्त की गई राय संधारणीय नहीं है।	इस टिप्पणी के प्रकरण में ऊपर क्रमांक क में दिए गए उत्तर का सन्दर्भ लें।

निदेशक मंडल के लिए एवं उसकी ओर से

(राजेन्द्र प्रसाद)
प्रबंध निदेशक
[डीआईएन: 08006234]

(विवेक प्रकाश त्रिपाठी)
निदेशक वित्त
[डीआईएन: 10216466]

दिनांक : 29 सितंबर 2023
स्थान : नई दिल्ली

